खण्ड-247, अंक-4
गुरूवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(12 मार्च, 1964 ई0)

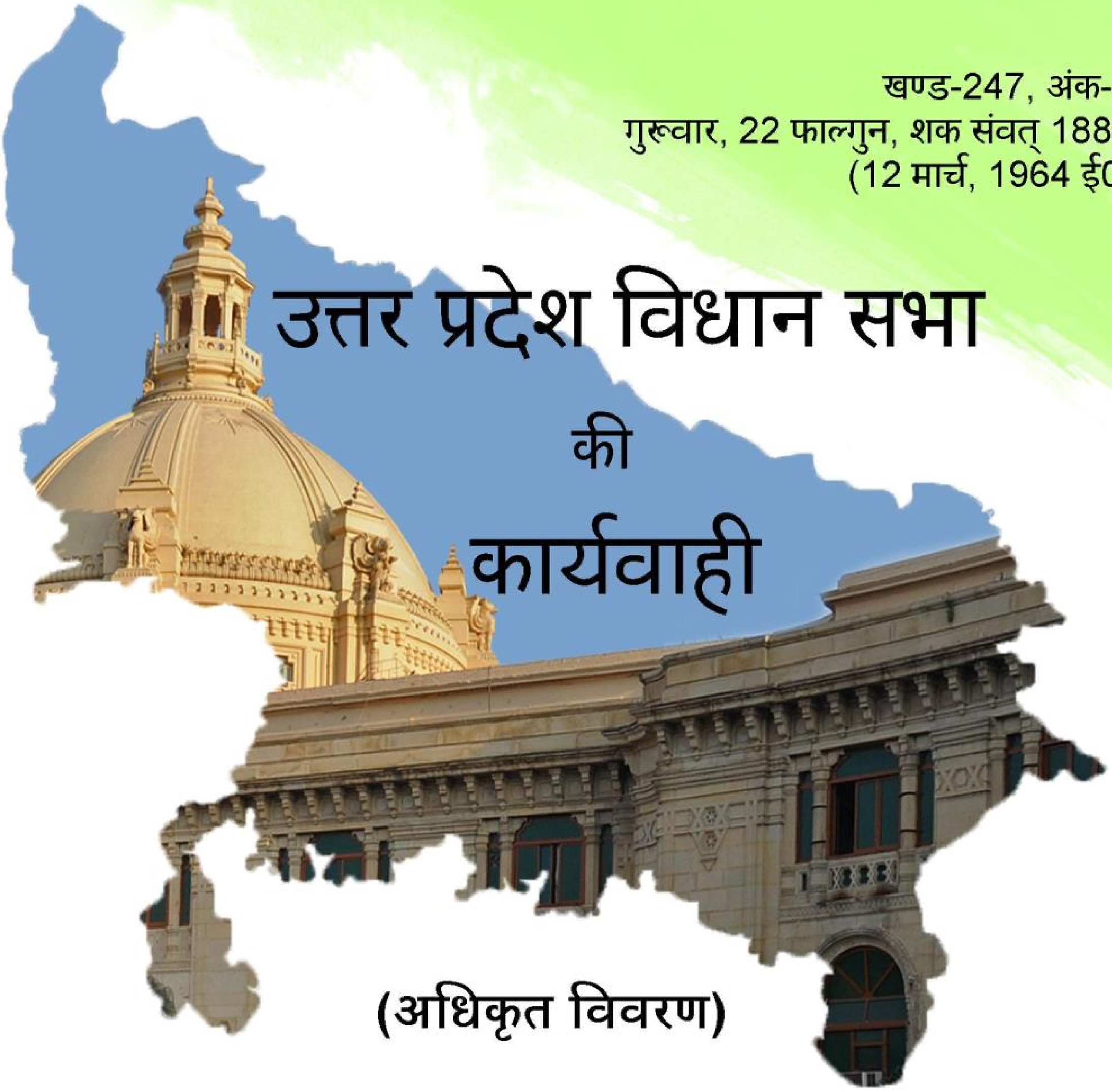

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 247 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३२१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अविद्यनाथ, श्री
आरफ अली खां, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इस्तजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
[illegible], श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गोकुलप्रसाद, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश नारायण सिन्हा, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अन्सारी, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री

बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल, गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया , श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक , श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)

रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट---गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

*१-३--श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)--

[२ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

महराजगंज पुलिस के विरुद्ध श्री लक्ष्मीकान्त का अनशन

*४--श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत थाना महराजगंज के पुलिस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध वहां के एक कार्यकर्ता, श्री लक्ष्मीकान्त ने गत मास के अन्तिम सप्ताह में अनशन आरम्भ कर दिया था ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

जी हां । २४ जनवरी को अनशन आरम्भ किया था ।

*५--श्री ब्रजबिहारी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ लोगों के समझाने-बुझाने के पश्चात् तथा यह आश्वासन दिये जाने के बाद कि उन आरोपों की पूरी जांच होगी उक्त कार्यकर्ता ने अपना अनशन स्थगित कर दिया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां । ऐसा आश्वासन दिये जाने पर उन्होंने अपना अनशन उसी दिन समाप्त कर दिया था ।

*६--श्री ब्रजबिहारी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कार्यकर्त्ता ने भ्रष्टाचार की तालिका देते हुये एलान किया है कि यदि उन मामलों में न्याय नहीं मिला तो वे १४ फरवरी, १९६४ से विधान सभा के सामने आमरण अनशन आरम्भ करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, इस आशय का श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र का पत्र दिनांक २९-१-६४ का शासन को प्राप्त हुआ था ।

श्री ब्रजबिहारी--

क्या उस कार्यकर्ता के विरुद्ध सब-इंस्पेक्टर ने एक लेखपाल से झूठी रिपोर्ट लिखायी थी ? क्या इस सिलसिले में जांच करायी जायगी ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--

जी हां, उस कार्यकर्ता के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखायी गयी थी । उसमें इन्स्पेक्टर का कितना हाथ था, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन मैजिस्ट्रेट द्वारा उसकी इन्क्वायरी करायी जा रही है ।

श्री ब्रजबिहारी--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस जांच के सिलसिले में हाकिम परगना ने लिखा था कि वह रिपोर्ट झूठी थी और जिसने रिपोर्ट की थी उसके निलम्बन करने का आदेश दिया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी हां ।

श्री ब्रजबिहारी --

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस सिलसिले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है, या क्या हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

जो पटवारी की रिपोर्ट हुई उसमें फाइनल रिपोर्ट हुई या क्या कार्यवाही हुई यह तो पता नहीं है । जो पटवारी ने रिपोर्ट की थी उसमें मैजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की और मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचा कि पटवारी ने गलत रिपोर्ट की थी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

ये आरोप क्या थे ? किसके खिलाफ आरोप लगाये गये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्ता---

ये आरोप पुलिस के खिलाफ थे । ये लगभग १२-१३ आरोप उन्होंने लगाये थे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लक्ष्मीकांत ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाये हैं उनकी पूरी जांच सरकार द्वारा करायी गयी या नहीं ? अगर करायी गयी तो उसका नतीजा क्या हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

उसकी जांच करायी गयी है । सी० आई० डी० की कुछ रिपोर्ट आ गयी है और कुछ रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस थानेदार के खिलाफ शिकायत थी, उसकी जांच हुई ? क्या वह थानेदार मुअत्तल कर दिया गया या दूसरी जगह भेज दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

वह मौजूद थे और मुअत्तल नहीं किये गये हैं ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

जिस दिन हड़ताल हुई उसके खिलाफ तो जो रिपोर्ट लाज हुई वह हड़ताल के बाद लोज की गयी और किस अधिकारी ने आश्वासन दिया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

वे स्वयं भी मेरे पास आये थे और मैंने कहा था कि इसकी पूर्णतया जांच होगी और आप हड़ताल न कीजिये ।

श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस लेखपाल ने फर्जी दरख्वास्त दी थी और सरकार भी उससे संतुष्ट है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

लेखपाल ससपेंड है । यह कार्यवाही तो उनके विभाग में होगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आरोप लक्ष्मीकांत जी ने लगाये थे और लिखा था कि सरकार १४ फरवरी तक इनकी जांच नहीं करती तो भूख हड़ताल करेंगे ? आपके पास जो सी० आई० डी० से रिपोर्ट आ गई है क्या उसके आधार पर वे उनको आश्वासन दे सकते हैं कि वे भूख हड़ताल न करें और सरकार जल्दी से जल्दी उनको प्रकाशित करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

मैं अपनी जगह पर संतुष्ट हूं कि जो कार्यवाही की गई है उससे लक्ष्मीकांत जी पूर्णतया संतुष्ट हैं ।

श्री ब्रजबिहारी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सब-इंस्पेक्टर झूठी रिपोर्ट करके किसी आदमी को गिरफ्तार कर ले तो उसको उसी थाने में वे रखना उचित समझते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

जब सब रिपोर्ट आयगी तो सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी के पास यह रिपोर्ट आ गई है कि जौनपुर, रामपुर में जो डकैती हुई है उसकी रिपोर्ट उस थाने में नहीं लिखी गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

मैं सारी इन रिपोर्टों के बारे में बताना जनहित में नहीं समझता हूं ।

श्री जे० पी० मिश्र, (जिला हरदोई)---

लेखपाल ने जो गलत रिपोर्ट की तो क्या मंत्री जी उसके खिलाफ १८२ दफा का प्रयोग करने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

यदि कानूनन ठीक होगा तो जरूर तैयार हूं ।

श्री ब्रजबिहारी---

क्या मंत्री जी महसूस करते हैं कि ऐसे सीरियस आरोप के होते हुये उसको इन्क्वायरी के बीच में उसी थाने में रखना उचित समझते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

यह तो अपनी अपनी राय की बात है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लक्ष्मीकांत जी ने पहले दरख्वास्त पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश को दी थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उनके पास धमकी की चिट्ठी आई थी उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी थी लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं कराई। मैंने कहा कि जो दरख्वास्त आपने उनको दी है, वह मुझे दे दीजिये मैं जांच कराने को तैयार हूं।

आजमगढ़ जिले में दफा १४४

*७---श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ संपूर्ण जिला में धारा १४४ लगा दी गई है ? यदि हां, तो कितने दिनों के लिये तथा किन कारणों से ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां। यह आदेश १६ जनवरी, १९६४ से एक महीने के लिये लागू किया गया था। बाद को इसकी अवधि एक महीने के लिये और बढ़ा दी गई। जिले में शांति बनाये रखने हेतु दफा १४४ लगाई गई।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ में २ महीने से १४४ लगा जिससे न कोई राजनीतिक पार्टी मीटिंग कर सकती है और न जलूस निकाल सकती है और आप कहते हैं शांति व्यवस्था के लिये ऐसा किया तो वह कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी जिसके कारण यह दफा १४४ दो महीने के लिये लगानी पड़ी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

मैं इतना ही कह सकता हूं कि वहां का वातावरण अभी भी काफी दूषित है।

श्री चन्द्रजीत यादव---

यह कहना कि शांति भंग न होने के लिये यह दफा लगाई गई, संपूर्ण जिले में २५ लाख जनता रहती है, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तरह की स्थिति पैदा हो गई, सांप्रदायिक तनाव हो गया या क्या हुआ, जो दो महीने के लिये दफा १४४ लगानी पड़ी ?

श्री अध्यक्ष---

दूसरी तरफ आपका कहना है कि किन कारणों से यह दफा लगाई गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

साम्प्रदायिक तनाव।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के अलावा और २६ जिलों में क्या १४४ लगा दी गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

हां, कई जिलों में लगी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन २६ जिलों में जहां १४४ लगायी गयी यह होली के सिलसिले में लगायी गयी थी या और किसी कारण से ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

साम्प्रदायिक तनाव तो मैंने उत्तर दिया ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या धारा १४४ जो २६ जिलों में लगी हुई है इस कारण से लगायी गयी कि गल्ले के जखीरेबाज जनोपयोगी वस्तुओं को मनमाने ढंग से बेचें और राजनीतिक पार्टियां इसके विरुद्ध कोई आवाज न उठा सकें ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी नहीं । यह बिलकुल गलत है ।

बन्दी छात्र

*८--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जेल में ऐसे कितने छात्र बन्दी हैं जो कि इस शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ हुए छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों पर पकड़े गये थे ? क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब इनकी परीक्षायें समीप आ गई हैं उन्हें मुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

ऐसा कोई छात्र इस समय जेल में बन्दी नहीं है । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

*९--श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद) श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)--

[२ अप्रैल, १९६४ के लिए स्थगित किया गया ।]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियामावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

रायबरेली जिले को विकास अनुदान

*१--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जिला रायबरेली के समुचित विकास पर भिन्न भिन्न मदों में अलग अलग कितना रुपया व्यय किया है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

जिला रायबरेली में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं पर सामुदायिक विकास बजट से भिन्न-भिन्न मदों में निम्नलिखित धन व्यय किया गया है ।

विभिन्न मदों के नाम	पंचवर्षीय योजना	
	प्रथम	द्वितीय
१--कृषि उन्नति	२७,६८६	५७,४७६
२--पशुपालन	—	५५,११९
३--जन स्वास्थ्य	८,९००	४,२३,३२६
४--शिक्षा	—	२,२२,२८७
५--समाज शिक्षा	१,०९८	१,७०,५९६
६--यातायात	९,८२०	४,२८,२१०
७--ग्रामीण गृह उद्योग	—	७७,३६९
८--ऋण (राष्ट्रीय प्रसार योजना) ..	५१,२८६	८,४८,२४०
९--वेतन	६८,२०५	८,६१,७६१
१०--महंगाई एवं यात्रा भत्ता ..	३२,५७५	५,२७,९६२
कुल योग	१,९९,५७०	३६,७२,३४६

[१२ मार्च, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

भटनी चीनी मिल पर बकाया

*१--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया भटनी शुगर मिल पर किसानों के गन्ने की कितनी पिछली रकम बाकी है जिसको मिल ने अभी अदा नहीं की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

३१ जनवरी, १९६४ को देवरिया जिले की भटनी शुगर मिल पर किसानों के गन्ने की पिछली रकम का ७.०२ लाख रुपया बकाया था ।

*२-३ श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

[११ मार्च, १९६४ को तारांकित प्रश्न १-२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

गोला थाने में रामनारायन का कत्ल

*४--श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भखटिया उर्फ मिश्रवलिया, थाना गोला, जिला गोरखपुर में दिनांक २६ दिसम्बर, १९६३ को कोई कत्ल हुआ है ? यदि हां, तो वह कत्ल किस व्यक्ति का हुआ है और उस कत्ल की रिपोर्ट थाने में क्या लिखाई गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, रामनारायन नाम के व्यक्ति का कत्ल तारीख २६-१२-६३ को ग्राम भरवटिया उर्फ मिश्रवलिया, थाना गोला, जिला गोरखपुर में हुआ है। रिपोर्ट की नकल संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ ४१५ पर)

*५--श्री कैलाश--

क्या गृह मंत्री जी को यह मालूम है कि जिन व्यक्तियों ने वह कत्ल किया है, उसमें से कुछ लोगों को मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा कर दिया है? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति और किस आधार पर रिहा हुये हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्री गंगा मिश्र तथा श्री दुर्गा मिश्र, अभियुक्तगण को वृद्धावस्था के कारण ए० डी० एम० (जे) ने जमानत पर रिहा किया है।

*६--श्री कैलाश--

क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस की जांच अब तक किस स्तर पर है? क्या सरकार उसमें किसी बड़े अधिकारी या सी० आई०डी० द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इस मुकदमें में पुलिस द्वारा आठ अभियुक्तगण के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है। अतः सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कैलाश--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया उनकी अवस्था क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

बृद्धावस्था इसमें लिखा हुआ है। ६० से ऊपर जरूर होगी, ८० साल के हैं। लेकिन यह प्रश्न अगर जुडीशल आफिसर से किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री राजनारायण मिश्र--

जिन दो व्यक्तियों को वृद्धावस्था के कारण छोड़ा गया है एफ० आई० आर० में मर्डर करने के सिलसिले में उनके नाम लिखाये गये थे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां।

श्री कैलाश--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रार्थी की ओर से कोई दरख्वास्त पड़ी थी कि इन दोनों व्यक्तियों को जिनको जमानत पर रिहा किया गया है, न रिहा किया जाय क्योंकि इन दोनों से गवाहान पर असर पड़ेगा?

श्री हरगोविन्द सिंह--

अब इसकी सूचना मुझे नहीं है।

झांसी में बलात्कार करने वाले की गिरफ्तारी

*७—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी में माह जनवरी, सन् १९६४ में मुहल्ला सैयरगेट के किसी १० वर्ष की लड़की से किसी ने बलात्कार करके उसका गला घोंट कर उसे पैखाने में डाल दिया ? यदि यह सत्य है, तो अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और डाक्टरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, इस आशय की एक रिपोर्ट दिनांक ४—१—६४ को थाना कोतवाली जिला झांसी में दर्ज कराई गई जिसके आधार पर एक मुकदमा भा० दं० विधान की धारा ३०२/३०६ के अन्तर्गत कायम हुआ । अभियुक्त पकड़ लिया गया तथा उसके विरुद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय को भेज दिया गया है ।

मृतक की डाक्टरी परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई तथा उसके शरीर पर बलात्कार के चिह्न भी थे ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लड़की की उम्र क्या थी और जिसने बलात्कार किया उसकी उम्र क्या थी, लाश कहां मिली और किस दशा में मिली ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

लड़की की उम्र लगभग दस साल थी । अभियुक्त का नाम तो मुझे मालूम है लेकिन उम्र नहीं मालूम है । उसका नाम है गामा उर्फ गुलाम मोहम्मद ।

श्री लखपतराम शर्मा—

लाश कहां मिली और किस दशा में मिली ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वह पैखाने में पड़ी हुई मिली और भरी हुई मिली ।

बाल अधिनियम के अन्तर्गत भिक्षा निषेध

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र के ४थे गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन तीन जिलों के नाम क्या हैं, जिनमें बच्चों से भीख मांगना कानूनन रोका जाने वाला है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

१९६४—६५ में उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम, १९५१ को मथुरा, बाराबंकी तथा गोरखपुर जिलों में लागू किये जाने का विचार है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि सभी जिलों में जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको भीख मांगने से रोका जाय ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

इस प्रदेश में १९६१ के आकड़ों के मुताबिक भीख मांगने वालों की संख्या ३२,५०० है, जिसमें ११ हजार बच्चे हैं। इसलिए सब जिलों में धनाभाव के कारण अभी स्कीम को लागू करना सम्भव नहीं है, यद्यपि सरकार इस बारे में कोशिश कर रही है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में भीख मांगना रोका गया है वहां कितने वर्ष तक के बच्चों को रोका गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

१६ वर्ष की उम्र के नीचे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

जो आंकड़े दिये गये कि ३२ हजार तो एडल्ट हैं और १२ हजार बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं तो भी सरकार अभी इस स्कीम को लागू नहीं करना चाहती है, तो क्या सरकार चाहती है कि जब ज्यादा भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ जाय तब वह इसे लागू करेगी ?

(उत्तर देने के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में यह कानून लागू है लेकिन इसके बावजूद हरिद्वार और सहारनपुर में हजारों की तादाद में बच्चे जिनके अंग तोड़ दिये जाते हैं उनसे भीख मंगवायी जाती है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जैसा कि बताया गया है यह करीब २२ जिलों में लागू है लेकिन उन २२ जिलों में दो प्रकार की योजना चल रही हैं। ६ जिलों में तो वह योजना है जो कि पूर्णकालीन है जहां कि जो बच्चे भीख मांगते हैं या जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं उन दोनों को दंडित किया जाता है। लेकिन सहारनपुर में जो योजना लागू है वह भीख मंगवाने वालों को दंडित करने के लिये है, भीख मांगने वालों को नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मेरा प्रश्न था कि बावजूद कानून के लागू रहने के, वहां कुछ नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

ऐसी सूचना तो नहीं है। यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करवा ली जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

लखनऊ शहर इस प्रदेश की राजधानी है और यहां विदेशी भी आया करते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ भीख मांगने वालों की नजर आती है। तो इसे देखते हुए क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि वहां भीख मांगने वालों की भीड़ कम हो ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

लखनऊ में भीख मांगने और भीख मंगवाने वाले दोनों के लिये ही कानून लागू है और बराबर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि यह कम हो, खत्म हो। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि यह एक सामाजिक कुरीति है। जहां भी भिक्षु-गृह खुले हैं और जहां वह कानून लागू है वहां भी इसकी रोकथाम बड़ी मुश्किल से हो रही है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

६ जिलों में मंत्री जी ने बतलाया कि भीख मांगना वर्जित है। १९६४-६५ में कितने अन्य जिलों में सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मथुरा, बाराबंकी और गोरखपुर।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यह एक सामाजिक कुरीति है। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि लखनऊ में भीख मांगना रोकने में कौन कौन-सी विशेष कठिनाइयां हैं?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

बच्चे अधिकतर गरीबी की वजह से ही भीख मांगते हैं। तो क्या सरकार उनकी गरीबी दूर करने के लिये, उनको कोई रोजी देने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

केवल गरीबी ही इसका मुख्य कारण नहीं है। इसकी प्रवृत्ति को रोकना मुख्य बात है। जो भावना भिक्षुकों में पैदा हो गयी है उसे रोकना है। ऐसे भिक्षुक भी हैं कि जो धनी हो गये हैं, जिनके बच्चे लिख-पढ़ गये हैं, लेकिन फिर भी वे अपना पेशा नहीं छोड़ते। हरिद्वार और वाराणसी जहां के सेन्टर्स चल रहे हैं उनमें भी स्वस्थ भिक्षुक रहना पसंद नहीं करते। जो बिल्कुल अपंग हो गये हैं, चल-फिर नहीं सकते, वे ही वहां रहते हैं। मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे स्वयं बतलाया कि हमें पचासों प्रकार का भोजन सड़क पर मिलता है जब कि यहां केवल रोटी, दाल और चावल ही मिलता है। वे वेराइटी फूड खाने के आदी हो गये हैं।

*९--श्री गंगाप्रसाद सिंह--

[हटा दिया गया।]

उर्दू मुअम्मे

*१०--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस समय पूरे प्रदेश में किन-किन जिलों में उर्दू के मुअम्मे निकल रहे हैं और किस-किस नाम से? साथ में उनके मालिकों के क्या नाम हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है?

*११--श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इन मुअम्मों के मालिक, जैसे चिराग मुअम्मा, लखनऊ और मुमताज मुअम्मा, सहारनपुर हर दो-तीन माह के बाद नाम बदल कर पब्लिक को लूट रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनको इस बात की शिकायत प्राप्त हुई है कि यह मुअम्मे रजिस्टर्ड नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं।

सहकारी चीनी मिलें

*१३—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सहकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी सहकारी चीनी मिलें तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोलने का लक्ष्य है और क्या उनके स्थान निश्चित हो गये हैं ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

इस प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में जिन स्थानों पर सहकारी चीनी मिल लगाने के लिये आवेदन-पत्र केंद्रीय सरकार के विचाराधीन हैं उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४१६ पर)

*१४—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सहकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में १९६२-६३ में कितनी सहकारी चीनी मिलें चलीं और उनमें कुल कितना लाभ हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वर्ष १९६२-६३ में जिन सहकारी चीनी मिलों ने पेराई की। वे इस प्रकार हैं—

१—बाजपुर (नैनीताल)

२—बागपत (मेरठ)

३—सरसावा (सहारनपुर)

निर्दिष्ट वर्ष में बाजपुर तथा बागपत मिलों का अनुमानित लाभ क्रमशः ९.५० तथा ०.३३ लाख रुपया है। सरसावा फैक्ट्री का केवल प्रारम्भिक प्रथम वर्ष होने से हानि होने की संभावना है। अभी इन मिलों के हिसाब का आडिट हो रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो आवेदन-पत्र केंद्रीय सरकार के विचाराधीन हैं उनमें जो टारगेट फिक्स किया गया था उसके अन्तर्गत ही यह आवेदन-पत्र हैं या उससे अधिक के लिये यह आवेदन-पत्र दिये गये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी जैसा कहा था, टारगेट हमने फिक्स किये थे और दस लोगों ने आवेदन-पत्र दिये थे। इसमें से मझोरा फैक्ट्री को एक लाइसेंस उन्होंने दे दिया है पीलीभीत में। उसका काम प्रारम्भ हो रहा है और जो फैक्टरियां हैं उनमें यह देखना पड़ता है कि फैक्ट्री लगाने के पहले वहां इतना गन्ना है या नहीं। इसके अलावा और बहुत सी सूचनायें मंगानी पड़ती हैं। वह इकट्ठा करके हम यहां से भेजते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सहकारी चीनी मिल आप खोलते हैं उनमें कितना सरकार का हिस्सा रहता है और कितना समितियों का हिस्सा रहता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

क्या सरकार इस बात पर विचार करने की कृपा करेगी कि इटावा में जहां काफी गन्ना पैदा होता है वहां कोई चीनी मिल खोली जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इटावा से तो कोई आवेदन-पत्र आया नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सरसावा कोआपरेटिव चीनी मिल जो है उसमें पिछले तीन साल में कोई लाभ नहीं हुआ और आइन्दा भी होने की आशा नहीं है, तो इस संबंध में मेरी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

सरसावा शुगर मिल जो लगी थी उसमें उसका प्लांट पुराना लगाया गया था । उसे माडर्नाइज करने की जरूरत है । उस पर कार्यवाही हो रही है और मुझे विश्वास है कि प्लांट ठीक हो जायगा तो यह भी फायदे में चलेगी ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार को मालूम है कि सन् ५४ में गाजीपुर के औड़िहार स्थान पर कोआपरेटिव चीनी मिल कायम करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया था और उसके लिये गाजीपुर बलिया, आजमगढ़ और बनारस आदि का सर्वेक्षण भी किया गया था, तो क्या सरकार वहां कोई चीनी मिल कायम करने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

गाजीपुर का आवेदन-पत्र मेरे सामने इस समय नहीं है । आजमगढ़ का है और वाराणसी का है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या मंत्री जी को बलिया के रसरा नामक स्थान का एक आवेदन-पत्र मिला है कि वहां चीनी मिल खोली जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

रसरा से एक प्रार्थना-पत्र मिला है और उसकी हम जांच कर रहे हैं और वह गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजा गया है ।

श्री ऊदल---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वाराणसी के प्रार्थना-पत्र में अबतक क्या प्रगति हुई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

प्रार्थना-पत्र के लिये काफी बड़ा चार्ट रहता है । जो इन्फारमेशन उन्होंने मांगी है वह हमने भेज दी । उसको एक टेक्निकल कमेटी जांच करती है और फिर वह लाइसेंसिंग बोर्ड के सामने जाती है । जब वह लाइसेंस मिल जायगा तो फैक्ट्री लगेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि आजमगढ़ के इंदारा नामक स्थान पर फैक्ट्री लगाने की योजना करीब दस साल से है और अब तक वहां फैक्ट्री न लगने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । अगर प्रार्थना-पत्र आया होगा तो उस पर जो कार्यवाही होनी चाहिये, वह हम कर रहे होंगे ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

जो सहकारी चीनी मिलें हैं उनमें कितने प्रपोर्शन में समितियां रुपया लगाती हैं और कितने प्रपोर्शन में सरकार रुपया लगाती है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब उन्होंने दिया कि सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

इंदारा में शुगर फैक्टरी लगाने का काम कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है । हमारा टेक्निकल सेल कार्यवाही कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है । फिर वह लाइसेंसिंग बोर्ड के सामने मामला जायगा तब वह कार्यवाही होगी ।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)--

खीरी जिले का पलिया केन्द्र जो गन्ने का बड़ा उत्पादन केन्द्र है, वहां २०,००० रुपया किसानों का जमा था और अभी हाल में किसानों का प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिल चुका है, तो वहां क्या सरकार शुगर मिल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

तारांकित प्रश्न १५ का स्थगन ।

श्री कृष्णानन्द राय--

इसी संबंध में मुख्यमंत्री जी दिल्ली गयी हुई हैं कि पटेल जांच समिति की सिफारिशें पूर्वी जिलों में लागू की जायं तो मैं समझता हूं, यदि इस प्रश्न को तब तक के लिये स्थगित कर दिया जाय जब तक कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली से वापस लौटें तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी को इसके स्थगित करने में कोई आपत्ति है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

कोई आपत्ति नहीं है ।

*१५---सर्वश्री कृष्णानन्द राय, कमलासिंह यादव, चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया) कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर), रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) तथा झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

[श्री कृष्णानन्द राय की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

*१६-१७---श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

[हटा दिये गये ।]

जिला संख्याधिकारी

*१८---होरीलाल यादव (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने कि कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में संख्याधिकारी को ३१ दिसम्बर, १९६३ तक एक ही जिले में काम करते हुये तीन साल या तीन साल से अधिक हो चुके हैं उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

केवल फर्रुखाबाद जिले के जिला संख्या अधिकारी को उस जिले में काम करते हुए तीन साल से अधिक हो चुके हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है । क्योंकि जिला संख्याधिकारी एक जिले में नियमानुसार पांच साल तक तैनात रह सकते है ।

*१९---श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)---

[हटा दिया गया ।]

*२०---श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

[हटा दिया गया ।]

पटेल जांच समिति में अधिकारी

*२१---श्री कल्पनाथसिंह, श्री कैलाश तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वीय उत्तर प्रदेश के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पटेल जांच आयोग में प्रदेशीय सरकार के भी अफसर हैं ? यदि हां तो वे अफसर कौन-कौन हैं और उन्होंने उक्त समिति में सरकार का दृष्टिकोण रखा है या नहीं ? यदि रखा है तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी हां । राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी संयुक्त जांच समिति के सदस्य थे---

१---विकास आयुक्त

२---मुख्य अभियंता, सिंचाई

३—कृषि निदेशक, तथा

४—आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।

जांच समिति के अन्य सदस्यों की भांति ये सदस्य भी, इस आधार पर कि उनके अनुभव से जांच समिति को उन समस्याओं का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी जो उसके समक्ष थीं, व्यक्तिगत रूप से चुने गये थे। अत: उनके द्वारा राज्य सरकार का दृष्टिकोण उक्त समिति के समक्ष रखने का प्रश्न ही नही उठा।

श्री कल्पनाथसिंह—

राज्य सरकार के ४ वरिष्ठ अफसर उस जांच आयोग में शामिल हुये। सरकार अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से कैसे भागती है कि वह व्यक्तिगत रूप में शामिल हुये, व्यक्तिगत रूप कैसे आता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो जांच आयोग नियुक्त किया गया था उसके ५ सदस्य अपने आप वहां से नियुक्त थे। उन्होंने सतीशचन्द्र, जे० के० पांडेय, जे० पी० जैन, चीफ इंजीनियर और आर० आर० अग्रवाल डायरेक्टर को, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव थे, उससे लाभ उठाने के लिये उसमें रख लिया था। राज्य सरकार ने अपनी ओर से उनको नहीं रखा था, वह तो उस टीम ने ही अपने सहयोग के लिये उनको रख लिया था। १८ नवम्बर को उस टीम के लोग मंत्री जी से मिले थे और राज्य सरकार ने भी अपना प्वाइंट उनके सामने रखा।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तारीख को जांच आयोग और प्रांतीय सरकार के बीच बात हुई, तो क्या उसमें यह भी तय हुआ था कि वह यह अधिकारी जांच में जायं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उसके लिये तो यू० पी० की सरकार ने डिसाइड नहीं किया था, वह तो टीम ने डिसाइड किया था और उन्होंने जे० पी० जैन तथा आर० आर० अग्रवाल वगैरह को उनके व्यक्तिगत अनुभव से लाभ उठाने के लिये रख लिया था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जब यह अफिसर्स सरकारी सेवा में थे, तो यह कहना कहां तक ठीक है कि वे लोग व्यक्तिगत हैसियत से जांच आयोग में गये, सरकार ने उन्हें नहीं भेजा ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि सरकार ने उनको नहीं भेजा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब वे राज्य सरकार के कर्मचारी थे तो सरकार ने यह अपना कर्त्तव्य क्यों नहीं समझा कि वह अपने आफिसरों को वह लाइन आफ एक्शन बता देती कि उनको क्या-क्या काम करना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो हमारे आफिसर्स हैं उनको भी इस प्रदेश से ममता है और उन्होंने अपने व्यू प्वाइंट को जरूर रखा होगा, प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुये।

श्री कल्पनाथसिंह---

जब हमारे प्रदेश के सबसे अनुभवी लोग जांच आयोग में आये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बलिया जिले को, जो सबसे घनी आबादी वाला तथा सबसे गरीब है, क्यों नहीं लिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय---

पार्लियामेंट में यू० पी० की बैकवर्डनेस की चर्चा चली थी, वहां ३ जिलों के नाम लिये गये थे, जौनपुर, गाजीपुर, और देवरिया । बाद को आजमगढ़ और शामिल कर लिया गया था ।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि बनारस छोड़कर जौनपुर, बलिया छोड़ कर गाजीपुर, गोरखपुर को छोड़कर देवरिया और फिर आजमगढ़, जो ४ जिले लिये गये, इनके पीछे कौन-सा सिद्धांत है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जौनपुर व गाजीपुर लगे हुये हैं, देवरिया व आजमगढ़ लगे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह अपनी-अपनी राय की बात है ।

इटावा जिले में शक्कर के व्यापारी की गिरफ्तारी

*२२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इटावा के कसौला चम्बलघाट पर दिनांक ११ जनवरी १९६४ को २६ बोरा देशी शक्कर पुलिस के द्वारा पकड़ी गई और उसके साथ में कई आदमियों की गिरफ्तारी भी हुई ? यदि हां, तो ये व्यापारी कहां के थे और उस शक्कर को पकड़ने का क्या कारण था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

दिनांक ११-१-६४ को जिला इटावा के कसऊआ घाट पर २६ बोरा देशी शक्कर पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी और दस व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । सभी अभियुक्तगण जिला इटावा के निवासी हैं जिनका चालान धारा ३/७ एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट में किया गया क्योंकि वे इटावा से भिंड (मध्य प्रदेश) को चोरी से देशी शक्कर लिये जा रहे थे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह गिरफ्तारी रात को हुई या दिन को और बार्डर पुलिस ने की या विशेष पुलिस ने की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उत्तर प्रदेश के हैड कांस्टेबिल रामभजन सिंह ने अपने पी० ए० सी० के अफसर के साथ बार्डर पर गिरफ्तारी की ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

देशी चीनी पर बाहर न जाने की रोक कब से लगाई गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

सूचना चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

पुलिस वहां स्वयं पहुंची या किसी की सूचना पर पहुंची ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मुखबिर ने सूचना दी थी।

इलाहाबाद जिले में अपराध

*२३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में विगत दो माह के अन्दर कितने-कितने कत्ल, डकैती और चोरी की घटना हुई तथा उनमें कितने आदमी पकड़े गये और कितना धन बरामद हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इलाहाबाद जिले में दिसम्बर, १९६३ तथा जनवरी, १९६४ में ११ कत्ल, ७ डकैती तथा ५९५ चोरी की घटनायें हुईं। इनके सम्बन्ध में अभी तक कुल १२९ आदमी पकड़े गये हैं। ७७९० रु० ८५ न०पै० का धन बरामद हुआ।

*२४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में दिसम्बर, १९६३ में कितने आदमी कर्नेलगंज पुलिस तथा कोतवाली पुलिस के थानों पर गोली से मारे गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

दिसम्बर, सन् १९६३ में कोई व्यक्ति कर्नेलगंज व कोतवाली पुलिस थानों पर गोली से नहीं मारा गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

इलाहाबाद में बेकारी और मंहगाई से जो इतने जुर्म बढ़ गये हैं उन्हें देखते हुये सरकार कोई उपाय करने जा रही है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

हां, सुरक्षा का इन्तजाम किया ही जा रहा है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

जिन थानाध्यक्षों के हलकों में ज्यादा जुर्म हुए हैं क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की सोच रहे हैं या की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

हां, उनको तंबीह की जाती है।

*२५--श्री कमलासिंह यादव--

[२० मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गाजीपुर जिले के एस० डी० एम० का पुलिस अधिकारी पर स्ट्रिक्चर

*२६--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ८ अगस्त, १९६३ को एस० डी० एम०, जमानियां, जिला गाजीपुर ने स्टेट बनाम सावित्री वगैरह धारा ७/८ सप्रेशन आफ इम्मारल

ट्रैफिक इन वोमैन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट के अन्तर्गत पुलिस पर जो स्ट्रिक्चर पास किया गया है, उसमें संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उक्त स्ट्रिक्चर्स के विषय में पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत अभी जांच की जा रही है ।

*२७---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ६ अक्तूबर, १९६२ और २० अक्तूबर, १९६२ को स्पेशल पुलिस आफिसर के पास किन-किन के खिलाफ शिकायतें आई थीं और उनमें क्या कार्यवाही की गई और अन्तिम नतीजा क्या हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उक्त शिकायतें १६ स्त्रियों के विरुद्ध, जिनके नाम संलग्न तालिका में दिये हुये हैं की गई थीं । इन सभी स्त्रियों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध धारा ७/८ सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमैन ऐन्ड गर्ल्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और जांच के पश्चात् सबका चालान किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४१७ पर)

श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस मुकदमे के सम्बन्ध में अदालत से जो स्ट्रिक्चर पास हुये वे वह क्या थे ?

श्री अध्यक्ष---

पुलिस ऐक्ट में है कि अदालती स्ट्रिक्चर के बाद डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होकर कार्यवाही होती है ।

श्री कमलासिंह यादव---

इन मुकदमों के इक्विटल की रिपोर्ट एस० पी० के सामने कब पेश की गई और इस पर कार्यवाही कब शुरू की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

सूचना चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार को ज्ञात है कि स्टेट बनाम सावित्री नें यह कहा था कि वह कवियित्री है, जगजीवनराम का भी उसे सर्टीफिकेट प्राप्त था, बहुत से कवि-सम्मेलनों में उसने इनाम भी प्राप्त किये और पत्रों में उसकी कवितायें भी छपीं, डी० के० तिवारी और जंगबहादुर सिंह कोतवाल जबरदस्ती उसे पुलिस लाइन्स में नचाना चाहते थे, उसने जाने से इंकार किया, इस वजह से १० १/२ बजे की गिरफ्तारी दिखला कर यह काम किया जबकि २।। बजे के बाद वह पकड़ी गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन इसकी जांच की जायगी और अगर ये बातें सही पाई जावेंगी तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन---

दफा ५००, पुलिस रेग्यूलेशन, के मुताबिक इनक्वायरी के बाद यदि पुलिस अधिकारी यह रिपोर्ट दें कि अदालती स्ट्रिक्चर सही नहीं है तो सरकार जज को अहमियत देगी या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जो कानूनन सही होगा ।

मछयानन्द अनाथालय, आगरा

*२८---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा, श्री मछयानन्द अनाथालय, जमना बृज को मिलने वाली वार्षिक सहायता को कब से रोक दिया गया है और रोकने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम---

इस संस्था की कोई भी आवर्तक अनुदान देने की व्यवस्था नहीं है अतः उसे रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

संस्था को उसकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर अनावर्तक अनुदान देने का विचार किया जाता है । इस आधार पर १९६२-६३ में इसे कोई अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि संस्था के पास १९६१-६२ के अन्त में ४१,१४२ रुपये ३३ नये पैसे की धनराशि बचत में थी ।

मऊनाथ भंजन में मिल खोलने के लिए दिया गया सीमेंट

*२९---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी द्वारा मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में सूती मिल न लगाने का कारण क्या बताया गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर ने मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में सूती मिल न लगाने का कारण स्थानीय चुंगी के भार का अत्यधिक होना बताया है । उन्होंने स्थानीय नगरपालिका द्वारा लगाई गई चुंगी (Octroi duty) से स्थायी छट की प्रार्थना की थी । राज्य सरकार ने दो वर्ष के लिये यह छूट दे भी दी थी, और कहा कि दो वर्ष के बाद कम्पनी पुनः छूट के लिये प्रार्थना पत्र भेज सकती है और तब सरकार उस पर विचार करेगी । परन्तु कम्पनी चुंगी कर से स्थायी छट प्राप्त करने पर दृढ़ रही, जो कि शासन देने में असमर्थ था ।

*३०---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगी कि कम्पनी को सीमेंट, लोहा और ऋण कितना-कितना दिया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

कम्पनी को १०९० मेट्रिक टन सिमेंट दिया गया था । राज्य सरकार ने उन्हें लोहा व ऋण नहीं दिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कम्पनी को जो मेट्रिक सीमेंट दिया गया था उसने उसका क्या उपयोग किया और सरकार की ओर से उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, यही कम्पनी से पूछा गया है कि आपको जो सीमेंट मिला था उसका क्या किया। अगर उनका संतोषजनक उत्तर नहीं आया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, कम्पनी को २-३ साल पहले सीमेंट दिया गया था और पूछा उनसे अब गया है, तो उसी वक्त उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह कंपनी अभी अपनी इंडस्ट्री नैनी में लगा रही है जब तक उनका जवाब न आ जाय, तब तक किस तरह से हम उनके विरुद्ध ऐक्शन ले सकते हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

उनको सीमेंट दो साल पहले मिला था और दो साल पहले उन्होंने उसका उपयोग कर डाला, ब्लेक कर डाला होगा, जो अधिकारी वहां हैं उनको इसकी कोई जानकारी थी या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह तो माननीय सदस्य ही कह सकते हैं कि ब्लेक में बेचा लेकिन जब तक सरकार को कोई जानकारी न हो जाय, तब तक सरकार क्या कर सकती है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि यह सूती मिल कांग्रेस के एम० पी०, श्री राम रतन गुप्त की है, उनके प्रभाव में आकर मंत्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सत्य नहीं है।

श्री उमाशंकर---

क्या कम्पनी ने सीमेंट लेने के लिये कोई फैक्ट्री आदि का नक्शा भी पेश किया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

कम्पनी ने जमीन भी खरीदी थी, मैटीरियल भी इकट्ठा किया था, और मशीनरी के लिये आर्डर भी दे दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

कम्पनी ने सीमेंट का उपयोग कहां किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यही जानकारी तो की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में उद्योग-धंधों के लिये सहायता

*३१---श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या उद्योग मंत्री २६ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिन कार्य में सहायता एवं ऋण दिये गये हैं उन कार्यों की पूर्ति न होने पर देय धन की वसूली एक ही बार न वसूल करने का कारण क्या है ? क्या सरकार एक ही बार वसूल करने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

ऋण और अनुदान की वर्तमान शर्तों के अनुसार औद्योगिक कार्य के लिये दिये गये धन का निर्धारित समय के अन्दर उचित उपयोग न होने पर कुल धन की वसूली एक ही बार में करने का नियम है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह नियमों में तो है लेकिन इसको अमल में न लाने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

अधिकारी इनको अमल में लाते हैं । विशेष परिस्थितियों में कोई फैक्ट्री ओनर कारण सहित कोई दिक्कत बताता है, तब इस कारण से कि उसका व्यापार नष्ट न हो जाय, कभी-कभी सहूलियत दे दी जाती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि लाखों रुपया प्रदेश और जिलों में ऋण के रूप में दिया जाता है लेकिन उसका ५० प्रतिशत रुपया भी उस काम में उपयोग नहीं होता जिस काम के लिये ऋण लिया गया था, मैं अपने जिले आजमगढ़ की बात कहता हूं तथा और जिलों में भी यही हालत है कि ५० प्रतिशत रुपये बचे हैं और कोई न कोई बहाना लगा कर ऋण की वसूली नहीं होती है, तो सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी कि जिस काम के लिये ऋण लिया जाता है उस काम में उसका उपयोग न हो तो उसकी वसूली सख्ती से की जा सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यही कार्यवाही की जा रही है और हम इसकी जांच करा रहे हैं कि जितने ऋण का इस्तेमाल न हुआ हो उसकी वसूली की जा सके । जैसा कि मैंने कहा है कि सहज उन्हीं व्यापारियों के लिये कुछ टाइम दे देते हैं जो उनके व्यापार के हित में होता है ताकि उनका व्यापार नष्ट न हो । ऐसे हम किसी को कोई टाइम नहीं देते । बिलकुल सख्ती के साथ वसूली कर रहे हैं और उस तरफ ऐक्शन भी ले रहे हैं ।

*३२-३३---श्री रामअधार कन्नौजिया (जिला बहराइच)---

[हटा दिया गया ।]

सेठ गंगासागर जाटिया पोलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, खुर्जा

*३४---श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेठ गंगा सागर जाटिया पौलीटेक्निकल इन्स्टीट्यूट खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में प्रवेश के लिये उम्मेदवारों की चयन के लिये कोई कमेटी या बोर्ड बना हुआ है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

जी नहीं। प्रदेश के सब पोलीटेक्निकों में विद्यार्थियों के प्रवेश हाई स्कूल, इन्टरमीडियेट तथा समक्ष परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर होते हैं।

*३५---श्री जसरामसिंह---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस चयन कमेटी में सेठ गंगा सागर जाटिया जिन्होंने ९ या १० लाख रुपया लगाया है, उनका भी कोई प्रतिनिधित्व है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

प्रश्न नहीं उठता।

*३६---श्री जसरामसिंह---

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सेठ गंगा सागर जाटिया इन्स्टीट्यूट में अभी तक वर्कशाप बनकर तैयार नहीं हुई है और क्या छात्रावास में हरिजन वर्ग के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

वर्कशाप तैयार हो गयी है। केवल पावर वायरिंग का कार्य शेष है और उसे शीघ्र सम्पन्न करने की कार्यवाही की जा रही है। छात्रावास में हरिजनों को प्रवेश दिया जाता है।

श्री जसरामसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पोलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, खुर्जा में जिस सेठ ने १० लाख रुपया लगा रखा है उसका उसके प्रबन्ध में कुछ हस्तक्षेप हो और जिस योग्यता के १४० लड़के हर साल वहां लिये जाते हैं उसी योग्यता के १० लड़के वे अपनी इच्छानुसार दे दिया करें, इस प्रश्न पर वे विचार करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसके लिये तो योग्यता निर्धारित है।

श्री जसरामसिंह---

मेरा निवेदन यह है कि जिस सेठ ने १० लाख रुपया लगाया है और कुछ लाख रुपया और भी उसमें लगाने को तैयार है, उसकी दिलचस्पी उस इंस्टीट्यूशन में बनी रहे, इसके लिये वह अपनी तरफ से ५ या १० लड़के उसी योग्यता के रख सके, इस पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जब योग्यता वही होगी तो उनका दाखिला तो ऐसे ही उसमें हो जायगा। वह तो मेरिट पर होता ही है। जहां तक ग्रांट देने का सवाल है, सरकार उनका वेलकम करती है और उनका सहयोग बराबर चाहती है लेकिन अगर उनके जरिये लड़के रखे जायंगे, तो दिक्कत होगी।

श्री महावीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि योग्यता के अनुसार उनका दाखिला किया जाता है, लेकिन शिकायत यह है कि कम नम्बर वालों को ले लिया जाता है और अधिक नम्बर वालों को छोड़ दिया जाता है। तो इसका निर्णय अकेले प्रिंसिपल करते हैं या कौन करता है, इसको माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का कहना है कि जो योग्यता निर्धारित है उसके विरुद्ध लिये जाते हैं, क्या यह बात सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं ।

चीनी मिलों पर बकाया

*३७--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ दिसम्बर, १९६३ को प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का कितना-कितना धन बकाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य की जितनी रकम निर्दिष्ट तारीख तक बकाया थी उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४१८-४१९ पर)

*३८--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त धन किसानों को दिलाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा ३१ दिसम्बर, १९६३ से १५ जनवरी, १९६४ तक कितना धन किसानों को दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गन्ना आयुक्त ने उक्त रकम की वसूली के लिये अधिकांश देनदार चीनी मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिया है । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश गन्ना अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (१) में आवश्यक संशोधन इस आशय से किया गया है कि इसके अधीन बने हुये नियमों में गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जा सके । आवश्यक नियम भी शीघ्र विज्ञप्ति किये जा रहे हैं । ३१ जनवरी, १९६४ को वर्तमान सीजन के गन्ने के मूल्य के भुगतान की स्थिति इस प्रकार थी :

		लाख रु०
(१) गन्ने का मूल्य जो वाजिब हुआ	..	३,४१९.७९
(२) गन्ने का मूल्य भुगतान हुआ	..	२,९८२.५६
(३) बकाया	..	४३७.२३

*३९--श्री लखपतराम शर्मा--

[हटा दिया गया ।]

हरिजन उम्मीदवारों की उम्र में छूट

*४०--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

क्या जिले के विभिन्न विभागों को हरिजन उम्मेदवारों के भरती के समय उम्र की छूट देने के बारे मे कोई आदेश सरकार की ओर से भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकारी नौकरियों में भरती के लिये और उम्मीदवारों की बनिस्बत अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की उम्र की सीमा को ५ वर्ष बढ़ा कर रखने के आदेशों का सरकारी गजट में विज्ञापन किया गया था, जिसकी प्रतियां सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जाती हैं। विज्ञापन की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२० पर)

श्री मंगलदेव—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हरिजनों के लाभ के लिये जितने आदेश या नियम जिलाधिकारियों को दिये जाते हैं, उनको वे प्रायः भूल जाते हैं या रद्द कर देते हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

अधिकारियों द्वारा चन्दा वसूली तथा मदिरापान

*४१—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह देखते हुये कि सरकारी अधिकारी चन्दा इकट्ठा करने में अपने फर्ज का दुरुपयोग करते हैं? सरकारी अधिकारियों द्वारा चन्दा वसूली बन्द करने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है कि सरकारी कर्मचारी चन्दा वसूल करने में अपने फर्ज का दुरुपयोग करते हैं। बहरहाल सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के नियम १० में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

*४२—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार ने सितम्बर सन् १९६३ में किसी आदेश द्वारा सरकारी अधिकारियों को जब वे सरकारी ड्यूटी पर हों, शराब पीने की इजाजत दी है? यदि हां, तो क्या संविधान के आर्टिकल ४७ के खिलाफ होने के कारण इसको दूर करने के लिये सरकार कोई आदेश देने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, १९५६ में जो सितम्बर १९६३ में संशोधन किया गया था उससे यह अवश्य मालूम होता है कि सरकारी कर्मचारियों को जब वे सरकारी ड्यूटी पर हों शराब पीने की इजाजत है। उस नियम में सरकार संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

बड़हलगंज टाउन एरिया के चेयरमैन, श्री चन्द्रदेव मिश्रा के हत्यारों की जमानत

*४३—श्री बिशनबिहारी तिवारी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया, बड़हलगंज, जिला गोरखपुर के चेयरमैन, श्री चन्द्रदेव मिश्रा की हत्या के सम्बन्ध में उपनेता विरोधी दल, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का कोई पत्र मुख्य मन्त्री को १६ जनवरी, १९६४ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

नोट—तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, श्री त्रिपाठी का पत्र मुख्य मन्त्री जी को १६ जनवरी, १९६४ को प्राप्त हुआ जिसमें जमानत पर छूटे अभियुक्तों की जमानतें रद्द करने की कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई थी। इस सम्बन्ध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो इस समय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। श्री मिश्र के परिवार के सदस्यों तथा गवाहों की सुरक्षा के लिये समुचित प्रबन्ध किया गया है।

बुलन्दशहर प्रदर्शनी

*४४—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९६३ में बुलन्दशहर में जिला प्रदर्शिनी के अवसर पर जो एक लोक गीत समारोह हुआ था और जिसके लिये टिकट भारी संख्या में राजकीय अधिकारियों द्वारा इस घोषणा के साथ बेचे गये थे कि उक्त समारोह से होने वाली आय सुरक्षा कोष में दे दी जायगी, उस प्रसंग में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि—

(क) समारोह में कुल कितनी आय हुई ?
(ख) प्रत्येक मद के अनुसार कितना व्यय हुआ ?
(ग) शेष लाभ किस तिथि को सुरक्षा कोष में जमा की गई ?
(घ) यदि नहीं जमा की गई, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

फरवरी, मार्च, १९६३ में बुलन्दशहर में आयोजित जिला प्रदर्शनी के अवसर पर प्रदर्शनी सामान्य समिति ने एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया था कि प्रदर्शनी के तत्वावधान में आयोजित संगीत सम्मेलन, लोक गीत एवं लोक नृत्य सम्मेलन, मुशायरा एवं कवि सम्मेलन आदि में प्रवेश टिकट द्वारा हो और यदि इनकी कोई बचत हो तो इसे सुरक्षा कोष में दिये जायं। परन्तु टिकट की बिक्री के समय राजकीय कर्मचारियों ने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की कि उक्त समारोह से होने वाली आय सुरक्षा कोष में दे दी जावेगी और न प्रदर्शनी सामान्य समिति के उपरोक्त प्रस्ताव पर अर्थ समिति ने अभी तक कोई विचार किया और न इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव ही पास किया है।

इस समारोह में कुल ३,२१९ रू० की आय हुई।

		रु० न०पै०
(१)	यात्रा तथा सामान ढुलायी आदि	४९.५५
(२)	रंगमंच की तैयारी तथा सजावट आदि	३९.८९
(३)	प्रचार-इश्तहार फोटो आदि	१५७.१२
(४)	छपाई टिकट तथा गेट पास आदि मय कागज के मूल्य के ..	६६.००
(५)	स्टेज के पर्दे, पखवाइयां, झालर, बक्स तथा ताले आदि पर ..	५३१.२९
(६)	कलाकारों के पारिश्रमिक —	
	मार्ग, व्यय भोजन तथा आवास व्यवस्था पर व्यय ..	१३,००.४०
(७)	स्टेशनरी तथा डाक व्यय	१३.९३
(८)	पंडाल की सजावट तथा कुर्सियों पर दर्षकों को बैठने की व्यवस्था पर व्यय। ..	७७.७५
(९)	विशेष पुरस्कार मेडिल, कप आदि पर व्यय ..	३९.७८
(१०)	अन्य भुगतान जो करना शेष है	५०.००
	कुल व्यय ..	२३,२५.७१

शेष बचत ८९३.२९ न० पै० डाकखाने के पास बुक में इसी समिति के संयोजक के नाम से जमा है और आडिट के उपरान्त वह धनराशि जिला प्रदर्शनी कमेटी के लेखे में स्थान्तरित की जायेगी। इसमें से सुरक्षा कोष में कोई धन जमा नहीं किया गया। प्रदर्शनी के संविधान के अनुसार बिना अर्थ समिति की स्वीकृति के किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया जा सकता है।

मड़ियाहूं तहसील में अपराध

*४५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१–६२ व १९६२–६३ व १९६३–६४ में जनवरी तक मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर के प्रत्येक थाने के क्षेत्र में अलग-अलग कत्ल, डाके व बलवे की कितनी वारदातें हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४२१ पर)

*४६—श्री जगन्नाथ राव—

क्या पहिले की अपेक्षा पिछले दो वर्षों में कत्ल व डाके की घटनायें अधिक हुई हैं जिससे जनजीवन में आतंक बढ़ रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १९६१ की अपेक्षा पिछले दो (१९६२ व १९६३) वर्षों में मड़ियाहूं में कत्ल की घटनाओं में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई तथा डकैती की घटनाओं में कमी हुई है।

*४७—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बतायेगी कि जौनपुर जिलान्तर्गत मड़ियाहूं थाने में गुन्डागर्दी व कत्ल की घटनायें बढ़ने का कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पिछले ३ वर्षों में मड़ियाहूं थाने में गुन्डागर्दी की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस अवधि में कत्ल की घटनाओं में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है पर इस वृद्धि का कोई विशेष कारण नहीं है।

मेरठ में हत्यायें

*४८—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शहर मेरठ में सन् १९६३ में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक हत्यायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

*४९—क्या यह सत्य है कि इन हत्याओं के करने वाले अधिकतर अपराधियों का अभी तक पता भी नहीं चल पाया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पुलिस कैंटीन, फैजाबाद में चोरी

*५०—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या यह सत्य है कि जनवरी, सन् १९६४ के द्वितीय सप्ताह में फैजाबाद स्थित पुलिस लाइन की कैन्टीन में पुलिस पहरे के बावजूद भी भारी चोरी हो गई ?

*५१—यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा चोर का पता लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा किन-किन व्यक्तियों को दन्डित किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

दिनांक १३ जनवरी, १९६४ को पुलिस लाइन, फैजाबाद की कैंटीन के हेड कांस्टेबुल ने थाना कोतवाली पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उस दिन सुबह जब वह कैंटीन खोलने गया तो ताला खुला पाया और अनुमानत : ५०० रु० का सामान कपड़ा तथा ४५ रु० नकद गायब पाये। मामले की जांच की जा रही है। अभी तक माल तथा अभियुक्त का पता नहीं चला है। कैन्टीन पर कोई पहरा नहीं रहता है।

सीतापुर जिले में अपराधों में बढ़ती

*५२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री सीतापुर जिले के पिछले ३ वर्ष १९६१, १९६२, तथा १९६३ के कम्प्रेरेटिव क्राइम फीगर्स बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४२२ पर)

*५३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा —

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि पिछले डेढ़ वर्षों से सीतारपुर जिले में, विषेषरूप से सीतापुर और बिसवां तहसीलों में, लगातार बड़ी-बड़ी चोरी की वारदातें हो रही हैं और पुलिस एक भी बड़ी चोरी वर्क आउट नहीं कर सकी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

सीतापुर जिले में, विशेषरूप से सीतापुर और विसवां तहसीलों में, पिछले डेढ़ वर्षों से (१-६-६२ से ३१-१२-६३ तक) बड़ी चोरियों की कुल ६ घटनायें हुईं। इनमें १ में जांच के उपरान्त ३ अभियुक्तों का चालान किया गया और लगभग २,५०० रु० का माल बरामद हुआ। अन्य ३ चोरियों में अनुसंधान जारी है तथा इनमें एक चोरी से सम्बन्धित एक अभियुक्त पकड़ा भी गया है, शेष २ चोरियों का पता नहीं चल सका और उनमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई, अतः यह कहना सही नहीं है कि पुलिस एक भी चोरी वर्क आउट नहीं कर सकी है।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा —

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० आई० जी० तथा आई० जी०, पुलिस को सीतापुर पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन की दुर्व्यवस्था के बारे में निरन्तर आवेदन-पत्र जनता की ओर से मिले हैं ? यदि हां, तो इस सिलसिले में जनता में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

इस आशय के दो प्रार्थना-पत्र जिन पर अनेक व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे, भेजे गये थे।

जनता में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने व अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस सतर्क है। पुलिस गश्त का कड़ा प्रबन्ध किया गया है तथा मुहल्लों में नागरिक सुरक्षा समितियों के संगठन की व्यवस्था की जा रही है।

न्यायालयों में उर्दू

*५५—श्री मंगलदेव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के न्यायालयों से जो आदेश समाचार पत्रों में वादी प्रतिवादी को सूचित करने के लिये दिया जाता है—उसकी भाषा उर्दू और लिपि नागरी क्यों होती है ? प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी होने के कारण क्या ये आदेश हिन्दी भाषा में ही निकलेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

न्यायालयों में अब तक प्रचलित कानून सम्बन्धी उर्दू फारसी के कठिन शब्दों के सरल हिन्दी पर्याय (equivalents) उपलब्ध न होने के कारण कुछ न्यायालयों से देवनागरी लिपि में जारी की जाने वाली सूचनाओं आदि में उनका प्रयोग करना पड़ता रहा है। किन्तु अब ऐसे कठिन शब्दों के हिन्दी पर्यायों की सूची राज्य सरकार द्वारा तैयार करा ली गयी है और उच्च न्यायालय को भेजी जा रही है तथा उनसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों के कठिन शब्दों के स्थान पर उस सूची में दिये गये सरल शब्दों का प्रयोग करने के आदेश जारी कर दें।

*५६—५८—श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[छूटा दिये गये]।

सचिवालय में पुराने अधिकारी

*५९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार आल इन्डिया और प्राविंशियल सर्विसेज के ऐसे अधिकारियों के नाम, जो तीन वर्ष से अधिक समय से प्रदेशीय सचिवालय में कार्य कर रहे हैं जिन्हें सचिवालय तथा एक ही विभाग विशेष में ३ साल से अधिक हो गये हैं, अलग-अलग कार्यकाल सहित बतलाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसे अधिकारियों के नाम संलग्न †सूची 'क' और 'ख' में दिये हुये हैं।

*६०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार सेक्रेटेरियट के अन्य गजेटेड अधिकारियों के नाम जो एक ही विभाग या स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, एक ही विभाग या स्थान पर काम करने की अवधि सहित बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसे अधिकारियों के नाम संलग्न †सूची 'ग' में दिये हुये हैं।

*६१—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार सेक्रेटेरियट के ऐसे गजेटेड कर्मचारियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगी कि जो ५८ वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् भी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी अलग-अलग वर्तमान आयु क्या है और उनको कब तक के लिये एक्सटेंशन या री-एम्प्लायमेंट दिया गया है ? क्या इनमें से कुछ कर्मचारियों को एक्सटेंशन या रि-एम्प्लायमेंट के पश्चात् कोई स्पेशल वेतन आदि भी दिया गया है ? यदि हां, तो किस कारण या किस कार्य के लिये

†छापी नहीं गई।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सेक्रेटेरियट के केवल एक गजेटेड कर्मचारी श्री हरिहर प्रसाद चतुर्वेदी, जो गृह मंत्री के वैयक्तिक सहायक हैं, को ५८ साल की आयु के उपरान्त री-एम्प्लायमेंट दिया गया है। उनकी वर्तमान आयु ५९ वर्ष २ माह व २५ दिन है। उन्हें ९ दिसम्बर, १९६४ तक के लिये री-एम्प्लायमेंट दिया गया है और यह कोई स्पेशल वेतन आदि नहीं पा रहे हैं।

मुहम्मदाबाद थाने के कान्स्टेबिल, सत्यनारायण सिंह की लाश कुएं में मिलना

*६२—श्री रघुवीर, श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर) तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के थाना यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का एक सिपाही दिनांक २४ जनवरी, १९६४ को हल्का नं० २ में तामील कागजात के लिये थाने में रवाना हुआ था और उसी दिन से सिपाही का पता नहीं है ? यदि हां, तो उस सिपाही का पता लगाने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक २४-१-६४ की शाम को थाना मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर का सिपाही सत्यनारायण सिंह सरकारी कार्य के सम्बन्ध में थाने से रवाना हुआ था किन्तु वापस नहीं लौटा। सिपाही का पता लगाने के लिये पुलिस बराबर प्रयत्नशील रही। १२-२-६४ को उसकी लाश एक कुएं में पड़ी पाई गई।

थानाध्यक्ष कासिमाबाद के विरुद्ध जांच

*६३—श्री रघुवीर तथा श्री विजयपाल सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद के थानाध्यक्ष के खिलाफ दिनांक १६ जनवरी, १९६४ को परशुराम सिंह नामक व्यक्ति भूख हड़ताल करने वाले थे और उसी दिन थाने के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियों ने प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो भूख हड़ताली तथा प्रदर्शनकारियों की क्या मांगें थी और अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, परशुराम सिंह नामक एक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष, कासिमाबाद, जिला गाजीपुर के विरुद्ध १६-१-६४ को भूख हड़ताल करने का इरादा व्यक्त किया, किन्तु भूख हड़ताल नहीं की। उक्त तिथि को केवल कम्यूनिस्ट पार्टी ने एक मीटिंग थानाध्यक्ष तथा पशुचिकित्सक, कासिमाबाद के विरुद्ध की और थानाध्यक्ष का तुरन्त स्थानान्तरण किये जाने और उनके विरुद्ध जांच किये जाने तथा मवेशी अस्पताल से गल्ले की चोरी से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांगें उपस्थित की थीं।

थानाध्यक्ष, कासिमाबाद के विरुद्ध उप-पुलिस अधीक्षक एन्टीकरप्शन, वाराणसी, जांच कर रहे हैं, दूसरी मांग से संबंधित मामले की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है।

श्री मुकुटबिहारी लाल, प्रोजेक्ट अधिकारी, मऊरानीपुर

*६४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री एम० बी० लाल श्रीवास्तव, मौजूदा प्रोजेक्ट अधिकारी मऊरानीपुर, जिला झांसी तथा भूतपूर्व जिला उद्योग अधिकारी, १९६० में जब कानपुर में थे तो इनके सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच हो रही थी उस में क्या निर्णय हुआ और सीनियर अधिकारियों को छोड़ कर इन्हें तरक्की दे कर प्रोजेक्ट आफिसर कैसे बनाया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*६५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब झांसी में श्री मुकुटबिहारी श्रीवास्तव, जिला उद्योग अधिकारी व प्रेसीडेंट जिला बुनकर यूनियन थे उस समय श्री राधे श्याम निगम सेल्समैन को जिसने लगभग तेरह हजार रुपये का कपड़े में गबन किया था रुक्का इन्दुलतलब लिखा कर क्यों छोड़ दिया गया और मुकदमा पुलिस में क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकार कारण बताने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री राधेश्याम निगम ने १३ हजार रुपये का गबन नहीं किया। उनके खिलाफ केवल २,३३५ रुपये ७८ नये पैसे के मूल्य की वस्तुओं की कमी पाई गई। श्री निगम से उक्त रुपये का प्रामिसरी नोट लिखा लिया गया। यह कार्य कथित यूनियन के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के निर्णय के अनुसार किया गया। यह मामला एक सहकारी समिति का है। सहकारी समितियां अपने मामलों में जो कार्यवाही मुनासिब समझती हैं, करती हैं। कथित यूनियन ने श्री निगम का केस पुलिस को देना मुनासिब नहीं समझा।

बार एसोसिएशन देवरिया की न्यायाधीश मनचन्दा से शिकायत

*६६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको जनवरी, सन् १९६४ के तीसरे सप्ताह में देवरिया के एक विधायक का इस आशय का पत्र मिला है कि माननीय न्यायाधीश मन्चन्दा, हाई कोर्ट इलाहाबाद, जब दिसम्बर, १९६३ के तीसरे सप्ताह में देवरिया कोर्ट के मुआयने में गये थे तो वहां के बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत की थी कि वहां के कुछ अधिकारी मुकदमों का फैसला करने में घूस लेते हैं जिसका असर उनकी वकालत पर पड़ता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, परन्तु न्यायाधीश श्री मनचन्दा देवरिया दिसम्बर, १९६३ के दूसरे सप्ताह में गये थे।

*६७—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पत्र पर उसने कौन-सी कार्यवाही की?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिलाधीश से पूछा गया। यह ज्ञात नहीं है कि बार एसोसियेशन ने न्यायाधीश श्री मनचन्दा से क्या शिकायत की। इस सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट बार एसोसियेशन जिलाधीश से भी मिला था। जिलाधीश ने उनसे लिखित शिकायत देने को कहा जो उन्होंने नहीं दिया। अतः इस मामले में और कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

फरेंदा चीनी मिल क्षेत्र में सड़क

*६८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री जांच करा कर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि फरेंदा तहसील के अन्तर्गत कितनी मील सी० सी० रोड अभी तक बनाई गयी है तथा कितनी करोड़ बनने की योजना कहां से कहां तक है और उसका क्या प्राक्कलन है?

डाक्टर सीताराम--

गन्ना विकास विभाग द्वारा फरेंदा चीनी मिल क्षेत्र में अब तक केवल ६ फर्लांग सी० सी० ट्रैक निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में शिकारगढ़, बरदना, बरघपुर एक मील सड़क और बनाने की योजना है उसके व्यय का तखमीना १,६४,३०० रु० है।

*६९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या गन्ना विकास मंत्री जांच करा कर यह भी बतायेंगे कि जो रोड ली जाने वाली है उस में गोरखपुर जिला अन्तर्गत कम्पियरगंज, सोनौरा, बलुआ रोड भी शामिल है या नहीं? यदि है, तो उसका क्या प्राक्कलन है और वह कब तक पूरी हो जायगी?

डाक्टर सीताराम--

ऐसी कोई रोड शामिल नहीं है?

अतारांकित प्रश्न

फाइनेन्शियल कार्पोरेशन से गाजीपुर जिले को ऋण

१--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब से स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना हुई है, कितना ऋण इसके माध्यम से उद्योगों की स्थापना के लिये दिया गया है और उसमें से कितना कानपुर में उद्योगों की स्थापना के हेतु मिला है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश फाइनैन्शियल कार्पोरेशन की निजी धनराशि से तथा उसके माध्यम से दिये गये ऋणों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है--

	अवधि	कुल ऋण	कानपुर के उद्योग-पतियों को
		रु०	रु०
१--निजी धनराशि से . .	१९५५ से ३१-१-६४ तक	२,२४,६५,५००	७७,४२,०००
२-उधार ऋण योजना (S. S. L.) के अन्तर्गत	१९५६ ई० से ३१-१-६४ तक	१,००,७९,५०९	२०,१६,२५९
३--कोल्ड स्टोरेज ऋण योजना के अन्तर्गत	जनवरी, १९६३ से ३१-१-६४ तक	१,२०,०००	. .

२--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील में कोल्ड स्टोरेज खोलने हेतु स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन से ऋण की कोई मांग की गई है? यदि हां, तो इसे देने में क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, उल्लिखित स्थान में एक पक्ष (Party) ने ऐसे ऋण की कारपोरेशन के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स (Board of directors) के निर्णय के अनुसार कार्पोरेशन द्वारा प्रार्थी की कुछ शर्तों को पूरा करने के लिये लिखा गया है। सार्वजनिक हित में इससे अधिक सूचना देना सम्भव नहीं है।

३--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो माध्यमिक मूल्यांकन किया गया है, उसके अनुसार प्रदेश में कृषि और उद्योग के लक्ष्यों की पूर्ति में कितने प्रतिशत की कमी रह गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

तीसरी पंचवर्षीय योजना के माध्यमिक मूल्यांकन के अनुसार प्रदेश में कृषि और उद्योग क्षेत्रों में हुए आर्थिक और भौतिक प्रगति का *विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

४--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने कोई इस तथ्य की जांच कराई है कि १९६२-६३ में गाजीपुर जनपद योजना में निर्धारित कौन-कौन से लक्ष्य या कार्य पूरे नहीं हुये और कुल स्वीकृत रुपये में से कितना व्यय नहीं किया जा सका है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दुजई हरिजन की शिकायत की जांच

५--श्री उमाशंकर--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री तारांकित प्रश्न संख्या १३७-१३९, दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुजई हरिजन की जो शिकायत थी क्या वह दूर हो गई है और उपनियोजन अधिकारी की जांच की क्या रिपोर्ट है ? क्या मन्त्री जी इस सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

६--श्री उमाशंकर--

क्या यह सच है कि उपनियोजन अधिकारी ने दुजई हरिजन को जांच की कोई सूचना नहीं दी और न उस गांव पर जाकर के तथ्य की जानकारी के लिये किसी आदमी से कोई बयान ही लिये ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी कृपा कर के किसी और विभाग से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

---

*छापा नहीं गया।

इन्दारा में सहकारी चीनी मिल

७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में इन्दारा नामक स्थान पर कोई चीनी मिल खोलने का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में निर्दिष्ट स्थान पर सहकारी चीनी मिल लगाने के लिये आवेदन-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन है।

वाराणसी में स्पेशल मैजिस्ट्रेट, श्री रामचरनलाल की हत्या

८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला वाराणसी में १ फरवरी, १९६४ को राम चरन लाल (स्पेशल मैजिस्ट्रेट) को जिनकी आयु ४० वर्ष की थी, हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो इस हत्या के क्या कारण थे तथा इसमें कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, दिनांक १-२-१९६४ को तो नहीं, २-२-१९६४ को यह हत्या हुई। हत्या का मुख्य कारण मृतक और अभियुक्तों के बीच मुकदमेबाजी की रंजिश है। इस सम्बन्ध में ४ अभियुक्त पकड़े गये हैं।

हसनगंज थाना, लखनऊ में चोरियां

९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २० दिसम्बर, १९६३ से लगाकर ३ फरवरी, १९६४ तक थाना हसनगंज, जिला लखनऊ में कितनी चोरियों की रिपोर्ट लिखाई गई हैं तथा इन चोरियों में कितने रुपये के माल असबाब का नुकसान हुआ है तथा यह चोरियां किन-किन व्यक्तियों के यहां हुईं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

२०-१२-१९६३ से ३-२-१९६४ तक थाना हसनगंज, जिला लखनऊ में २१ चोरियों की रिपोर्ट लिखाई गई। इन चोरियों में २४,३०३ रु० ८४ न० पैसे का माल असबाब चोरी जाना लिखा गया।

जिन व्यक्तियों के यहां यह चोरियां हुईं उनके नाम संलग्न तालिका में दिए हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४२३ पर)

१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई चोरी थाना हसनगंज से मिली हुई दूकान मेसर्स कन्हैया लाल रामचरन नामक कपड़े की फर्म में हुई है जब कि थाना हसनगंज के फाटक पर चौबीस घंटे सन्तरी, की ड्यूटी रहती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

फर्म राम चरन कन्हैयालाल (वस्त्र विक्रेता) के ४,७६४ रु० के कपड़े चोरी जाने की रिपोर्ट थाने पर ४-१-१९६४ को लिखाई गई।

थाने का संतरी जिस स्थान पर ड्यूटी देता है वहां से उक्त फर्म की दूकान दिखायी नहीं पड़ती है।

११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन चोरियों के सिलसिले में पुलिस ने कितने व्यक्ति बन्दी बनाये तथा क्या-क्या सामान चोरी का पुलिस ने प्राप्त किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन चोरियों के सिलसिले में ६ व्यक्ति गिरफ्तार हुये। सामान जो बरामद हुआ वह इस प्रकार है—

४४७ रु० नगद

११३ रु० के कपड़े आदि

एक घड़ी (मूल्य ४० रु०)

---

३१ अक्तूबर, १९६३ को श्री गणेशचन्द्र काछी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का संशोधित उत्तर

मूल प्रश्न

१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनपुरी जिले के लिये बन्दूकों के लाइसेंस लेने के लिये प्रत्येक हाकिम परगना के यहां कितने प्रार्थना-पत्र इस वक्त विचाराधीन पड़े हैं ?

मूल उत्तर

१—मैनपुरी जिले में बन्दूकों के लाइसेन्स के लिये ऐसे प्रार्थना पत्रों की ,जो हाकिम परगनाओं के यहां विचाराधीन हैं, मण्डलवार संख्या निम्नांकित है :

मण्डल	प्रार्थना-पत्रों की संख्या
(१) मैनपुरी	४३३
(२) शिकोहाबाद	२२७
(३) जसराना	१६०
(४) करहल	१९९
(५) भोगांव	४८७

संशोधित उत्तर

मैनपुरी जिले में बन्दूकों के लाइसेंस के लिये ऐसे प्रार्थना-पत्रों की, जो हाकिम परगनाओं के यहां विचाराधीन हैं, मंडलवार संख्या निम्नांकित है :—

मण्डल	प्रार्थना-पत्रों की संख्या
(१) मैनपुरी	४३३
(२) शिकोहाबाद	२२७
(३) जसराना	१६०
(४) करहल	१९९
(५) भोगांव	५०२

हरगोविन्द सिंह,

गृह मन्त्री।

आश्वासन समिति का विशेष प्रतिवेदन*

†कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति का विशेष प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। संक्षिप्त प्रतिवेदन की साइक्लोस्टाइल प्रतियां परसों माननीय सदस्यों को बांट दी जावेंगी।

इस प्रतिवेदन में केवल दो आश्वासनों का उल्लेख है, जो सिरसा ग्रामवासियों का बरसाती पानी निकालने के लिए प्रार्थना-पत्र तथा नानक सागर योजना से प्रभावित परिवारों को जमीन देने के संबंध में है। इन दोनों ही आश्वासनों के बारे में समिति ने मौके पर जाकर जांच की तथा स्थानीय अधिकारियों का साक्ष्य भी लिया। जहां तक प्रथम आश्वासन का सम्बन्ध है शासन ने आवश्यक आदेश जारी करके उसकी पूर्ति की थी, परन्तु मौके पर की गई जांच तथा अधिकारियों के साक्ष्य के उपरान्त समिति ने यह देखा कि आदेशों के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। हो सकता है कि अन्य आश्वासनों के संबंध में भी ऐसा ही हुआ हो। अतः समिति यह अपेक्षा करती है कि आश्वासन की प्रगति के बारे में सूचना देने से पूर्व शासन स्वयं आश्वस्त हो जाय कि सरकारी आदेशों का तदनुरूप पालन भी हुआ है अथवा नहीं।

जहां तक द्वितीय आश्वासन का संबंध है उसकी पूर्ति की सूचना समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी, जबकि इस आश्वासन की पूर्ति की दशा में काफी कार्य हो चुका है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शासन के विभिन्न विभागों में समुचित सामंजस्य नहीं है, जिसके फलस्वरूप सरकार आश्वासन की पूर्ति की दिशा में की गयी कार्यवाही की सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रही है।

समिति को यह भी बतलाया गया है कि नानक सागर योजना से प्रभावित परिवारों में से २०९ परिवारों ने भूमि लेना स्वीकार नहीं किया, अतः उन्हें १० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। इस संबंध में स्थानीय अधिकारी ने प्रश्नों के जो उत्तर दिये उनसे आभास होता है कि संभवतः उन लोगों को जमीन के बदले मामूली मुआवजा लेने को मजबूर किया गया, क्योंकि समिति की राय में कोई भी काश्तकार आजकल १० रु० के हिसाब से मुआविजा लेने को तैयार नहीं हो सकता विशेषतया जबकि उसे यह ज्ञात हो कि उसको भूमि के बदले भूमि मिल जायगी। मौके की जांच से समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मुआविजा संभवतः वहां के थारू तथा बोक्सा जाति के आदिवासियों को ही दिया गया है। अतः इस प्रकार इन लोगों को विस्थापित बना दिया गया तथा उनके जीवन से खिलवाड़ किया गया है। अतः सरकार इसकी जांच करे और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।

अंत में प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस माननीय सदन में कई बार कुंवर श्रीपालसिंह ने आश्वासन समिति की रिपोर्ट पढ़ी और हर रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला था उसकी पूर्ति नहीं हुई। तो क्या कोई उसकी व्यवस्था है कि जो इसके जिम्मेदार हैं वे उनकी पूर्ति क्यों नहीं करते ?

---

*छापा नहीं गया।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

नियम २१७ के अन्तर्गत जब कोई प्रतिवेदन इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत हो तो सरकार उसके संबंध में वक्तव्य दे सकती है। सरकार की तरफ से वक्तव्य हो सकता है किन्तु जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है उसके पूर्व सरकार को सूचना नहीं मिलती है। इस वजह से तत्काल उसका उत्तर देने में, मैं समझता हूं सरकार को कठिनाई होती है। मैं अगर यह प्रबन्ध करूं कि व्यवस्था ऐसी हो जाय कि प्रतिवेदन १ सप्ताह पूर्व सरकार को दे दिया जाय और फिर जब वह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हो तो सरकार की तरफ से संक्षिप्त बयान दिया जाया करे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह त्रिसेन)--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

यही ठीक है कि समितियों के प्रतिवेदन एक सप्ताह पहले भेज दिये जाया करें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, अच्छा यही होगा कि इस पर बहस करा दिया करें।

श्री अध्यक्ष--

आपने दूसरी बात छोड़ दी। मैं नियम २१७ के अन्तर्गत कह रहा हूं कि यह हो सकता है जो समिति के सभापति कहें उसके संबंध में एक संक्षिप्त सरकारी दृष्टिकोण सदन में आ जाया करे। फिर उसमें बहस हो सकती है या क्या कार्यवाही हो सकती है, यह तो सदन के अधिकार की बात है। इसमें अधिकारों की कटौती नहीं हो रही है। मैं तो सदन की सुविधा के लिये रख रहा था। अगर बहस होना है तो मैं अपने सुझाव को वापस लिये लेता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, आपने व्यवस्था दी है कि समितियों के प्रतिवेदन एक सप्ताह पहले सरकार के पास भेज दिये जाया करें जिससे वह तैयार हो कर तत्क्षण वक्तव्य दे सकें। मुझे भय है कि यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती है, इसलिये कि समितियों के प्रतिवेदन गोपनीय होते हैं। जब तक सदन में प्रस्तुत न कर दिया जाय तब तक वह सदन की सम्पत्ति नहीं हो सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करके ऐसी व्यवस्था करें कि प्रतिवेदन के प्रस्तुत हो जाने के बाद एक हफ्ते या दस दिन बाद मंत्री जी अपना वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, इस पर स्टेटमेंट कब दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

पहले रिपोर्ट तो उनके पास पहुंच जाय। अभी तो साइक्लोस्टाइल भी नहीं है। हम लोग भी नहीं जानते हैं। जब उनके पास पहुंचेगी तो देखा जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्रीअध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत दो सूचनायें आई थीं, उनको मैंने स्वीकार नहीं किया।

गोरखपुर फार्म द्वारा गाजीपुर जिले के ब्लाकों में घटिया और रोगग्रस्त गन्ना देने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

कल कृषि मंत्री जी ने कहा था कि वे गोरखपुर फार्म के ऊपर वक्तव्य देंगे। माननीय कृषि मंत्री जी।

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य इस प्रकार है कि गन्ना अनुसंधानशाला, गोरखपुर से गाजीपुर जिले के हैदरपुर, देवकली ब्लाकों में जो गन्ना भेजा गया उसके विषय में श्री कमला सिंह जी ने शिकायत की है कि देर से सप्लाई हुई, गन्ना सूखा हुआ है, अंखुये टूटे हुये हैं, रैड राट लगा है और उसके अन्दर कीड़े भरे हैं। इस विषय में स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि—

गाजीपुर जिले के लिए गन्ने का बीज बहुत पहले से ही रिजर्व कर दिया गया था और अनुसंधानशाला, गोरखपुर ने जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर को १५ जनवरी के लगभग उठाने को लिखा दिया, लेकिन चूंकि गाजीपुर जिले में आमतौर से मटर की फसल काट कर खेत को तैयार कर फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक गन्ना बोते हैं। इसलिये जिला कृषि अधिकारी ने २० फरवरी के बाद गन्ना लेने के लिये अपना प्रतिवेदन भेजा। गोरखपुर फार्म पर २३, २४ अथवा २५ फरवरी ताजा अच्छा गन्ना कटवा कर प्रतिनिधि ने उसका डिलावरी ला और उसे क्रमशः २४, २५ तथा २६ फरवरी को ताराखों में कूड़ाघाट, गोरखपुर स्टेशन से क्रमशः तराई, सैदपुर तरांव को वैगन लदवाकर बुक करा दिया गया था। वे तीनों वैगन क्रमशः ४, २ तथा ३ मार्च को अपने अपने स्टेशन पर पहुंच गये। और उनकी डिलवरी क्रमशः ४, ३, ४ मार्च को लेकर उसी दिन गन्ना वितरित कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि न तो गन्ने की सप्लाई में देर हुई और न गाजीपुर जिले में पहुंचने में बिलम्ब हुआ।

गन्ना सूखा होने के संबंध में जो कहा गया है वह भी भ्रम है। गन्ने का बीज अगोला काट कर, सूखी पत्तियों को बिना साफ किये ही, बीज के लिये भेजा जाता है ताकि पत्तियों से ढकी हुई गन्ने की आंखे रगड़ खाकर व सूख कर खराब न हो जायं। इसके अलावा ९–१० रोज का जो साधारण रास्ते का समय है उसके कारण ताजे कटे हुये गन्ने के मुकाबले में वह मुर्झाया हुआ मालूम पड़ा, लेकिन वास्तव में वह उस समय सूखा नहीं था और बोने के लिये बिलकुल ठीक था।

नम्बर ३ —अंखुये जैसा मैंने बताया है सुरक्षित थे। हो सकता है कि किसी किसी गन्ने में एक आध, कई जगह के उतार चढ़ाव में टूट गये हों, जो कि अस्वाभाविक नहीं है।

नम्बर ४—रेड राट की बीमारी के संबंध में जो शिकायत है वह भी निराधार है। किसी भी गन्ने में रेड राट की बीमारी नहीं लगी। रेड राट बीमारी में गन्ने के अन्दर का भाग करीब-करीब पूरा लाल हो जाता है और सिरके की भांति एक गंध आती है। परन्तु स्टेम बोरर (तना बेधक) व टाप बोरर (चोटी बेधक) के लगने पर भी कुछ थोड़े से भाग में जिसे सूड़ी काट देती है वह आक्वीकरण (आक्सीडेशन) के कारण ललामी रंग का हो जाता है जिसे शायद रेड-राट की बीमारी समझ बैठे हैं। इससे पूरा गन्ना खराब नहीं होता। अलबत्ता बोते समय गन्ने के टुकड़े बनाने में ऐसे दागी वाले भागों को काट कर निकाल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जरा सा मैं साफ कर दूं कि स्टेम बोरर और टाप बोरर का इलाज आज तक नहीं मिला। तराई में हुआ। गुरदासपुर का एक बोरर है, वह मर्ज मेरठ डिवीजन में तेजी के साथ लगा हुआ है लेकिन इलाज कोई नहीं है। भ्रम यह हुआ कि स्टेम बोरर और टाप बोरर से कुछ ललामी आ जाती है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

रेड राट से बिलकुल लाल हो जाता है। वह रेडराट नहीं था। वह स्टेम बोरर और टाप बोरर था। वह हिस्सा काट कर बोया जाता है तो उस पर बीमारी का असर नहीं रहता।

नम्बर ५—यह भी कहा गया है कि गन्ने में कीड़े भरे हुए थे। इस वर्ष पूर्वी क्षेत्रों में गन्ने की फसल पर चोटी बेधक (टाप बोरर) व तना बेधक (शूट बोरर) का प्रकोप अधिक रहा। परन्तु फार्म पर नियंत्रण के कारण इसका बहुत कम प्रभाव था; फिर भी एक दो प्रतिशत गन्नों पर प्रभाव था ही। जिसे यथा सम्भव फार्म पर ही छांट कर निकाल दिया गया था। चूंकि गन्ना बिना छिला हुआ बीज के लिए भेजा जाता है अतः हो सकता है कि कुछ गन्ने तथा बेधक एवं चोटी बेधक से प्रभावित रहे हों। परन्तु ये बेधक फरवरी के तीसरे चौथे सप्ताह में तितली बन कर गन्ने के बाहर निकल जाते हैं और चूंकि गाजीपुर जिले में गन्ना ऐसे समय पर भेजा गया है जब कीड़ों के निकल जाने का समय था, अतः गन्ने में कीड़े के भरे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बात को गन्ना ऐग्रानामिस्ट, गोरखपुर, ने गाजीपुर एवं देवकली जा कर कृषकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को गन्ना चीर तथा काट कर दिखाया जिससे उनकी गलत-फहमी दूर हो गयी।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देवकली शुगर मिल के मैनेजर ने तथा डाक्टर राजेन्द्र सिंह, जो देवकली के रहने वाले हैं, इन लोगों ने गन्ने के बारे में लिखित शिकायत डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल आफिसर के पास भेजी थी ?

श्री चरणसिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस नम्बर के गन्ने का इंडेंट किया गया और किस नम्बर का गन्ना सप्लाई किया गया ?

श्री चरणसिंह—

सम्भावना यही है कि जिस का इंडेंट किया गया होगा अगर उनके यहां वह नम्बर हुआ तो वह किया गया होता, बाकी सही तरीके से जानना चाहें तो नोटिस दे दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं दो तीन बातें पूछना चाहता हूं उसके बारे में इनक्वायरी कर लें। पहली बात यह है कि जो रेड राट के बारे में कहा गया है कि जो गन्ना सप्लाई किया गया २५ फीसदी से ज्यादा गन्ना ऐसा है जिसके बीच में बिलकुल लाल है और हम लोग जानते हैं कि यह रेड राट की बीमारी उसमें होती है। हो सकता है कि सफाई के लिए मन्त्री जी ने कह दिया हो कि लाल गन्ना भी बोया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहां वह नहीं बोया जाता। उसी को रेडराट कहते हैं। उसमें रस वगैरह बिलकुल नहीं मिलता। एक तो वह बीमारी और २५ परसेंट गन्ने की उसमें सप्लाई की गई और उसमें जो कीड़े का जिक्र है उसमें काफी गन्ना ऐसा है कि जिसमें कीड़े अन्दर घुसे हुए हैं। इस तरह से करीब १० परसेंट गन्ना खराब हो जाता है क्योंकि उसमें से छांट कर निकालना पड़ता है और तीसरी चीज यह है कि जिस वक्त यह लदाई वगैरह हुई थी तो गलत तरीके पर वह लादा गया था जिससे करीब पन्द्रह बीस परसेंट गन्ना टूट गया था और आठ दस दिन का जो समय लगा गन्ना पहुंचने में, उसमें भी बहुत-सा गन्ना सूख गया और इससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करें और अगर वाकई किसानों का नुकसान हुआ है तो फिर से उनको दिया जाय और आइन्दा के लिए ऐसी ताकीद कर दी जाय .....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। हो गया। उनकी प्रार्थना यह है कि इन शिकायतों की जांच कर ली जाय।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हुआ था। दो या तीन महीने का उसकी रिपोर्ट देने के लिए था। वह समय गुजर रहा है शायद १६ मार्च को। तो मैं यह चाहता हूं कि उसकी मीटिंग तो हो चुकी है लेकिन अभी उसको हमने मुल्तवी कर रखा है और दूसरे प्रदेशों से कुछ और इत्तला मंगाये हैं और आजकल तो बजट भी चल रहा है, समय भी नहीं है। इसलिए एक महीने का समय सेलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन के लिए और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति का कार्य-काल जो १६ मार्च, १९६४ को समाप्त हो रहा है, १ मास के लिए और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४४—वन

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत ४,९७,५४,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का कोई अधिक समय इसमें नहीं लेना चाहता। वनों का महत्व हम में से हर एक को मालूम है। अगर वन कहीं किसी देश में न हों तो वह रेगिस्तान हो जाता है कुछ दिनों के बाद। और इस पर बड़ा साहित्य लिखा गया है। कहा यह जाता है, एक बड़ी मशहूर किताब है उसमें तो लिखा है, रेस आफ दि अर्थ—२२ सिविलाइजेशंस दुनिया की नष्ट हो चुकी हैं वनों के खराब हो जाने से या वनों के कट जाने से। तो वनों का महत्व आज दुनिया भर के सभी देशों की सरकार मानती हैं और समझदार लोग सभी उसको जानते हैं। विशेषज्ञों का कहना यह है कि जितनी जमीन जिस मुल्क में हो उसमें कम से कम एक तिहाई वनों के नीचे होनी चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि एक चौथाई से काम चल सकता है लेकिन अधिकतर राय एक तिहाई की है। हमारे देश में एक चौथाई से कुछ कम रकबा इसमें है कुल देश को एक यूनिट माना जाय तो और प्रदेशों का अलग अलग जहां तक सम्बन्ध है पंजाब को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में सबसे कम परसेंटेज जमीन का फारेस्ट के अन्दर है। १६ प्रतिशत के करीब जमीन हमारी दरख्तों के और जंगलों के नीचे है। बस केवल पंजाब हमसे इस मामले में नीचे है, उनका परसेंटेज हम से कम है लेकिन बाकी सब स्टेट्स में हमसे ज्यादा प्रतिशत जमीन का जंगल में है। और जैसा मैंने कहा, अगर किसी मुल्क में जंगल न रहें तो सब रेगिस्तान हो जायगा। आदमी, जानवर कोई नहीं रह सकता। दरख्त न होंगे तो पानी नहीं होगा, और पानी होगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

वन न होंगे तो बाढ़ आ जायगी, जमीन सूख जायगी, क्लाइमेट बदल जायगी, चिड़िया नहीं रहेंगी। हमारे यहां वन १६ परसेंट हैं और ३५ लाख क्यूबिक फिट लकड़ी हम देते हैं रेलवे और डिफेंस को जिससे स्टेट को ३ करोड़ रुपया मिलता है। जो फारेस्ट यहां लगे हैं वे मेचुरल ग्रोथ के हैं।

अब कुछ दिनों से, प्लान्टेशन किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। अध्यक्ष महोदय, साल ऐसा वृक्ष है कि जिसे बड़ा होने और पकने में १०० साल लगते हैं। औसत है ४० साल से ज्यादा का। जो जल्दी पकने वाले दरख्त हैं वे बहुत थोड़े हैं। जो प्लान्टेशन हम कर रहे हैं वह आगे आने वाली नस्लों के लिये हैं। वे उससे फायदा उठायेंगी। और अगर हम इमीडियेट नीड्स की वजह से या आदमियों को बसाने के लिये जंगल काट दें तो वह आगे आने वाली नस्लों पर डाका डालना होगा। अगर हम जंगल काटते हैं तो वह ऐसा ही है कि हम डाका डाल रहे हैं और जिसके यहां डाका पड़ रहा है वह हिफाजत करने के लिये मौजूद नहीं है। लिहाजा फारेस्ट और जमीन के इरोजन के लिये यह समझना चाहिये कि मौजूदा पीढ़ी का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमारी जिन्दगी तो पूरी हो जायगी। २०, ३० साल काम चल जायगा, लेकिन अगर हम जंगल कट जाने दें तो उत्तर प्रदेश रेगिस्तान हो जायगा। बुन्देलखंड और पहाड़ की चोटियों पर जमीन का बहुत ज्यादा क्षरण हो रहा है और इसे रोकने का एक मात्र उपाय दरख्तों का लगाना है। पहाड़ों पर खेती होती रहती है लेकिन जब लैन्ड स्लाइड होता है तो लोगों को उसकी जरूरत महसूस होती है। मथुरा, अलीगढ़ और हमीरपुर तक जमुना और चम्बल के किनारे बड़ा इरोजन है। सई नदी के किनारे भी हरदोई में, उन्नाव बाराबंकी और जौनपुर में जहां वह गोमती से मिलती है वहां तक बड़ा इरोजन है हालांकि वह जमुना और चम्बल के मुकाबले का नहीं है। गंगा पर, राप्ती पर इरोजन नहीं है। रास्ते में फ्लड आ जाय तो बात दूसरी है। तो इसका इलाज एफारेस्टेशन है। तो गवर्नमेंट प्लान्टेशन करवा रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को दरख्त मिल जायं।

दूसरी तरफ जंगल पर बड़ा दबाव है। कहीं शारदा सागर बना, कहीं रामगंगा का सागर बना, कभी मिलिटरी के लिये जगह चाहिये, कभी लोगों को बसाने के लिये। मतलब यह कि फारेस्ट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। फारेस्ट वाले उसे रेजिस्ट करते हैं और कभी कभी वह रिजिस्टेंस बड़ा अनरीजनेबिल लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह फारेस्ट आफसर फारेस्ट अफसर कहलाने काबिल नहीं है जिसको दरख्त कटने पर तकलीफ न होती हो और जो उसका रिजिस्टेंस न करता हो। वैसे चाहें गवर्नमेंट ऊपर से जो भी आर्डर दे दे। फारेस्ट डिपार्टमेंट का यही अटीट्यूटड रहता है, लेकिन कभी-कभी कैबिनेट में मामला चला जाता है। चीफ मिनिस्टर के यहां चला जाता है, हजार आर्गूमेंट हो जाते हैं तो उसकी रेस्पांसिबिलिटी बीयर आउट हो जाती है और दरख्त काटने पर मजबूर हो जाते हैं। यह सभी जानते हैं कि जंगलों को काटना बहुत अहितकर है। इसलिये प्लांटेशन किये जा रहे हैं और इस कारण से हमारे डिपार्टमेंट का बजट काफी था। १,३८,८२,००० रुपये का आउटले कुल डिपार्टमेंट के लिये फर्स्ट प्लान में था। सेकेंड फाइव ईयर प्लान में २,६८,३९,००० का और थर्ड प्लान में ८·४७ लाख का था जिसमें ७५ लाख रुपया उत्तराखंड के ३ जिलों में दरख्त लगाने के लिये रखा गया है। फारेस्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीमें रही हैं थर्ड प्लान में और सेकेंड प्लान में वह सब पूरी हो गयीं और जितना टार्गेट था उससे कुछ ज्यादा हुआ है। सो अब भी यही हुआ है। १९६२–६३ में १,२८ लाख रुपया खर्च हुआ था थर्ड प्लान की स्कीमों पर और हमारी सूचना यह है कि हमारा टार्गेट अचीव ही नहीं हुआ बल्कि काफी अधिक काम हुआ। २२,५४ एकड़ पर प्लांटेशन किया गया और ३०,००० मन और ज्यादा रेजिन पैदा किया गया जिसकी कीमत १० लाख रुपया थी। कुमायूं और टेहरी सर्किल के जंगलात से वह निकाला गया। सड़कें ४८५ मील नयी तैयार हुयीं और पुरानी सड़कों का नवीनीकरण और मरम्मत कराया गया। ३६९ मील का टेलीफोन लाइन लगी ४८२ मील १५ इमारतें बनीं और फारेस्ट रिसोर्सेज का एक सर्वे हो रहा है।

हमको यह नहीं मालूम था कि हमारे फारेस्ट में क्या-क्या दौलत छिपी हुई है और किस-किस काम में क्या-क्या चीज आ सकती है। दरख्त ही कितने-कितने किस्म के हैं और कहां-कहां पर हैं इसीका पूरा ज्ञान नहीं था। तो उसके लिये फारेस्ट रिसर्च सर्वे हो रहा है। १९६२–६३ में ७,७६,००० एकड़ का सर्वे मुकम्मिल हुआ। फारेस्ट डिपार्टमेंट तो एक तरह से स्टेट विदिन स्टेट है। उसकी सड़कें अलग होती हैं, अपनी पुलिस अलग होती है। जब मेरे पास मुहकमा आया तो मैंने देखा कि पुलिस खड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि ये पुलिस वाले जंगल में कैसे आ गये? मालूम हुआ कि ये फारेस्ट गार्ड कहलाते हैं। टेलीफोन अपना अलग है। अपनी रक्षा अलग है—और वह आवश्यक है। अपने अन्दर छोटे-मोटे अस्पताल भी हैं। वहां कोई सड़क नहीं है। बिना सड़क के अफसरान जा नहीं सकते। एक जगह से दूसरी जगह इत्तिला नहीं जा सकती, इसलिये उनके अपने टेलीफोन रहते हैं। दरख्तों की रक्षा के लिये फारेस्ट गार्ड्स रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब जो हमारा काम हुआ है, सन् १९६३ तक, वह मैं कुछ आपको बतलाना चाहता हूं। अब तक जो प्लान्टेशन हुआ है वह ३१,३९६ एकड़ में हुआ। साढ़े ३ मील मीटर रोड्स बनीं, ४७ मील ओल्ड रोड्स का रिनोवेशन हुआ, ४७ मील टेलीफोन लाइन्स बढ़ीं। २,८२,२८० एकड़ से ऊपर में रिसोर्सेज सर्वे आपरेशन हुए। कन्सट्रक्शन आफ बिल्डिंग्स ३ हुए, कलेक्शन आफ एडीशनल रेजिन ५८,६८९ मन हुआ, और ट्रेनिंग जो दी गयी उसमें ११९ फारेस्ट गार्ड्स की ट्रेनिंग कम्पलीट हुई, डिप्टी रेन्जर्स और फारेस्टर्स की १५ की ट्रेनिंग कम्प्लीट हुई और ४० अभी अन्डर ट्रेनिंग हैं, १० डी० डी० आर० ट्रेनिंग के लिये भेजे गये, ८ पी० एफ० एस० ट्रेनिंग के लिये भेजे गये। रामगंगा में, आपको मालूम है, स्वायत्त कन्जर्वेशन का काम चल ही रहा है। उसमें भी करीब ४० हजार एकड़ में वह हो चुका है। हमें आशा है कि इस साल के जो हमारे टार्गेट हैं वह सब पूरे हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, १९६४ का जो बजट है उसमें हमारी मंशा यह है कि ४,८३० एकड़ में और प्लान्टेशन किया जाय। रिसोर्सेज सर्वे का जो काम हो रहा है वह ७ लाख एकड़ में करना चाहते हैं, १०५ मील की गयी रोड्स बनाना चाहते हैं, ३८४ मील पुरानी सड़कों का रिनोवेशन करना चाहते हैं, फारेस्ट टेलीफोन लाइन १५९ मील लगाने का विचार है, ८८ बिल्डिंग्स बनेंगी, ९० हजार मन और रेजिन इकट्ठा होगा। ट्रेनिंग आफ फारेस्ट पर्सनेल के अन्तर्गत—पी० एफ० एस० १३, रेन्जर्स १०, डिप्टी रेन्जर्स तथा फारेस्टर्स ५५, फारेस्ट गार्ड्स १२०—इतनों को ट्रेनिंग दी जायगी। रामगंगा में स्वायल कन्जर्वेशन का काम भी १ लाख एकड़ के करीब होगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट आफ एग्रीकल्चरल लैंड १०० एकड़ में, एफारेस्टेशन ३,५०० एकड़ में, प्लान्टेशन आफ फ्रूट ट्रीज ३८,०००, सेटिंग अप आफ लिस्ट आब्जर्वेशन पोस्ट्स २, यह सब काम भी इस वर्ष होगा। यह सब खर्चा इस बजट में है।

अध्यक्ष महोदय, अब कोशिश हमारी यह है कि जो जमीन खेती के लायक नहीं है उसमें हम दरख्त लगायें। हमारी नार्दर्न सीमा पर फारेस्ट पड़ते हैं। पहाड़ी फारेस्ट में सामग्री कम मिलती है। वहां पर अफारेस्टेशन करना भी आसान नहीं है। ईस्टर्न सर्किल और वेस्टर्न सर्किल में जो पहाड़ हैं, उनसे हमको आमदनी ज्यादा होती है। गोरखपुर डिवीजन में जो फारेस्ट्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा आमदनी होती है। अध्यक्ष महोदय, एक लैंड मैनेजमेंट सर्किल है जो मैदान में फैली हुई है; मस्लन सड़कों के दोनों ओर की बहुत सी जमीन पी० डब्ल्यू० डी० ने इस विभाग को पेड़ लगाने के लिये दी हुई है, इसके अलावा कुछ पैचेज भी हैं। पहाड़ी इलाकों में खर्चा ज्यादा होता है। जो ऊंची चोटियां हैं उन पर दरख्त लगाना आसान काम भी नहीं है। इसलिये एफारेस्टेशन का काम ज्यादातर तराई में हो रहा है। मैदान में और जो जमीन खराब हो गयी थी उसमें भी पेड़ लगाने का काम मैदान में हो रहा है, जंगलों की कमी को पूरा करने के लिये। पहाड़ी इलाकों में काम कम हुआ।

[श्री चरणसिंह]

डाकुओं के उत्पात के कारण इटावा और आगरा के बीहड़ काफी लाइम लाइट में आते रहे हैं। अखबारों में उनके लिये बड़ी-बड़ी सुर्खी दी जाती है कि वहां हाथी भी समा जाता है। पुलिस वहां काम नहीं कर सकती है। जो आदमी अभी सामने दिख रहा है वह एक मिनट में गायब हो सकता है। अगर एक हजार आदमी भी उसके पीछे भागें तो दो आदमी झाड़ में छिप कर सब को शूट कर सकते हैं। रोम में दो आदमियों ने पुल पर पूरी आर्मी को रोके रखा। यह बड़ी पुरानी प्राब्लम है। होलीपुरा एक मशहूर कस्बा है। चतुर्वेदी अफसरान वहीं के हैं। एक छोटा गांव और है मैनपुरी में, सन् १९६१ में पुलिस मिनिस्टर के नाते वहां गया था। हमारे यहां एक आई० ए० एस० चतुर्वेदी आफिसर हैं उन्होंने मुझे लिखा कि बचपन में जो उनके खेत थे वे अब बीहड़ के पेट में समा चुके हैं और जो गांव के नजदीक हैं वे भी समाते जा रहे हैं। १५ साल में भी यह प्राब्लम हल नहीं हो पायी। इसकी एक वजह यह भी है कि न मालूम किस वजह से इसका रकबा बहुत ज्यादा लिख दिया गया।

अभी नैनीताल में नार्थ जोन कौंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें मध्य प्रदेश और हमारे दोनों के रिप्रेजेन्टेटिव थे, यूनियन होम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं। मैं भी उसमें था लेकिन फोरेस्ट डिपार्टमेंट उस समय मेरे पास नहीं था। उसमें एक नोट पेश हुआ और डाकुओं की समस्या का हल निकालने के सिलसिले में यह बताया गया कि जमुना और चम्बल के बीहड़ कितने हैं। उसका रकबा ६ मिलियन एकड़ बताया गया। १५ लाख मध्य प्रदेश में, १० लाख राजस्थान में और ३५ लाख उत्तर प्रदेश में। मुझे, चूंकि इटावा और आगरा के जिलों के रकबों का कुछ अनुमान था, यह बात नहीं जंची कि हमारा ३५ लाख एकड़ बीहड़ होगा और वह नोट गवर्नमेंट आफ इंडिया का। फिर यह फिगर्स यहीं से गयी होंगी। उसके आधार पर ही तो उन्होंने उसको बताया होगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। वह तो उसकी बाबत कुछ बात हुई और बात खत्म हो गयी। तो हमने इस पर विचार किया और १५-१६ साल से यह प्राब्लम बराबर मुल्तवी होता रहा कि ३५ लाख एकड़ या ३० लाख एकड़ का क्या हो। आपने और मित्रों ने भी पढ़ा होगा—कुछ ने सलाह दी कि सबको बुलडोजर करा दिया जाय। अब आप सोचें कि उसमें खर्चा बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि बुलडोजर तो कहीं बाहर से ही आयेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर बुलडोजिंग करा दी जाय तो इरोजन और तेजी से शुरू हो जायगा। क्योंकि यह जो बीहड़ है उसके बाद जमीन है, फिर बीहड़ है और फिर जमीन है। इस तरह से अगर सब को लेविल एक कर दी जाय तो आसपास की सारी जमीन का लेविल नीचे हो जायगा। तब तो इरोजन और तेजी से होगा। तीसरी बात यह कि जमुना यहां से जा रही है और फिर इधर कुछ जमीन छोड़ कर सीधे में चलने लगी, उसके बाद फिर उसकी धारा बदली और अगर सारी जमीन का लेबिल एक हो गया तो न मालूम उसका बेड कहां जायगा। इधर का मुंह उधर हो जायगा और उसकी मेन करेंट बदल सकती है। इस पर काफी चर्चा हुई।

फिर यह सवाल हुआ कि रिक्लेमेशन किया जाय। लेकिन रिक्लेमेशन का खर्चा कहां से आये? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हिसाब लगाया कि ६, साढ़े ६ सौ रुपया फी एकड़ खर्च होगा। अब आप ३५ लाख से इसको जरब कर दें तो करीब २ सवा २ अरब हो जाता है। इतना रुपया कहां से आये? जब रुपया ही नहीं है तो फिर फाइल में उसे रख दिया गया और १५-१६ साल से बराबर फाइल में ही है। अब हुआ यह कि इस प्राब्लम को हमने दो हिस्से में तकसीम कर दिया है। न तो केवल फारेस्ट डिपार्टमेंट सब का एफारेस्टेशन कर सकता है और न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस सारी जमीन का कंजरवेशन कर सकता है। तो हुआ यह कि सन् ५३-५४ में जब कि इत्तिफाक से यह डिपार्टमेंट मेरे पास था, मैंने मथुरा में एक मीटिंग फारेस्ट डिपार्टमेंट की की। श्री सोहन सिंह नेगी उस समय मुख्य कंजरवेटर थे। गिरिगोवर्द्धन जो हमारे यहां एक रेलिजस महत्व रखता है, उसकी परिक्रमा होती है। लोग अपनी निष्ठा के अनुसार नंगे पैर वहां जाते हैं। तो पहले लोगों को वहां पीने के लिये पानी भी नहीं मिलता था और

सारी जमीन नीचे से बिलकुल तपती थी। गिरि गोवर्द्धन की बड़ी कहानी सूरसागर आदि में दी हुई है। वहां की १,४०० एकड़ जमीन में फारेस्ट डिपार्टमेंट ने एफारेस्टेशन कर दिया है। जिन लोगों ने आज से १५–१६ साल पहले गिरि गोवर्द्धन को देखा होगा वे अगर इस समय जाकर देखें तो अब उसमें जमीन आसमान का अन्तर दिखलायी पड़ेगा।

एक जगह आगरे में अछनेरा है जहां बहुत बड़ा बीहड़ है। एक सड़क टूंडला को जाती है और एक सड़क हाथरस को होते हुए अलीगढ़ को जाती है उसी के बीच में यह अछनेरा ब्लाक है। वहां फारेस्ट डिपार्टमेंट ने एफारेस्टेशन किया है। जब ६ दिसम्बर को मैं मथुरा मेडिकल कालेज में गया था तो दौरे पर टूंडला भी गया था। वहां इत्तिफाक से फारेस्ट डिपार्टमेंट के वह बड़े आफिसर भी आ गये। उन्होंने कहा कि आप चल कर हमारा फारेस्ट देख लें। उनके साथ में गया और उस फारेस्ट को देख कर मेरी तबियत बहुत खुश हुई। सन् ५४ में तो फैसला हुआ और सन् ५६ में नाफिज हुआ, १५५ रु० प्रति एकड़ खर्च करके आज तक १८ हजार एकड़ में एफारेस्टेशन कर दिया गया। जो जमीन कट रही थी, वह कटने से बन्द हो गयी। अब वह पिकनिक की जगह हो गयी है आगरे वालों के लिये। अब वहां एक छोटा सा रेस्ट हाउस भी बन गया है। वहां आस पास के किसानों की रुकावट की है। वहां कुछ खेत भी आ गये हैं। शुरू में तो गुरेज हुआ जब हमने ग्रेजिंग को रोकना चाहा। १/३ में एफारेस्टेशन किया। उसके बाद में खोल दिया तो उसके बाद में पहले ब्लाक में फिर यह भी खोल दिया। इससे किसान बड़े खुश हुए। वहां पर जानवर भी कुछ हो गये हैं। किसानों के जानवर भी वहां चरते हैं। ऐसी जमीन बहुत सख्त हो जाती है। अन्डरग्रोथ बिल्कुल नहीं होता। अब तक इससे ३१ हजार की आमदनी हो चुकी है। जबकि वहां पर एक ब्लेड ग्रास भी नहीं था। वहां पर दो ब्लाक हैं, एक अछनेरा और एक उसके पास है। उससे हम को यह अनुभव हुआ कि अगर यहां इतना अच्छा जंगल हो सकता है तो आगरा और इटावा में क्यों नहीं हो सकता है और अब यह तय हो गया है कि जितने ये रैवीन्स हैं, आगरे से लेकर हमीरपुर तक ५ लाख से ज्यादा नहीं है। आंकड़ों को देखा तो पता चला कि ३ लाख एकड़ ये रैवीन हैं आगरा, इटावा, बदायूं और हमीरपुर में। ३५ लाख तो सारे इंडिया की हैं। कुछ बेतवा वगैरह पर भी है। इस तरह से ७–८ लाख से ज्यादा रैवीन नहीं हैं। मैंने रामसुभग सिंह से पूछा कि ये ३५ लाख रैवीन कह रहे हैं तो उन्होंने पता लगाया। ४ लाख एकड़ से ज्यादा रैवीन नहीं हैं।

आगरे से लेकर हमीरपुर तक यह फारेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। जो जमीन गवर्नमेंट के पास है या गांव समाज के पास है उनका सर्वे हो रहा है और अक्तूबर के महीने में बरसात के बाद ४ लाख एकड़ में एफारेस्टेशन शुरू होगा। इस तरह से ३ हिस्सों में यह तकसीम किया जायेगा। इसके बाद it will be closed to grazing। २/३ हिस्से में ग्रेजिंग होगा। ५ साल बाद जिसमें एफारेस्टेशन हो रहा है वह खोल दिया जायगा। इस तरह से १५ साल के अन्दर यहां एफारेस्टेशन हो जायगा। इस ४ लाख एकड़ से बहुत ज्यादा फायदा होगा। रैवीन्स तो रहेंगे पर ये आगे को बढ़ने बन्द हो जायेंगे। दूसरे रैवीन्स कुछ-कुछ भरने भी शुरू हो जायेंगे। और कुछ दिनों बाद ये दरख्त बहुत बड़ी नेशनल वैल्थ हो जायगी और फिर यह सिलसिला वहां से चलता रहेगा। लेकिन आगे आने वाली गवर्नमेंट और हमारी जेनरेशन जाने क्या करेगी। तो मैंने यह कहा कि जहां अब रैवेइन्स हैं और जो फारेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी हैं, यहां खेती नहीं होगी। क्योंकि अगर खेती होगी तो एरोजन शुरू हो जायगा। तो जहां आज रैवेइन्स हैं वहां पर फारेस्ट हो जायगा और अगर और जगह कहीं फारेस्ट की कमी हो जायगी तो यह ४ लाख एकड़ फारेस्ट हम को मिल जायेगा। श्रीमन्, मैंने कहा था कि इस समस्या के हिस्से हैं। दूसरा यह कि जो एरिया कल्टीवेटेड हैं जो फारेस्ट डिपार्टमेंट से यानी रेवीन्स से मिलेगा वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है। वह कास्टली चीज है और ज्यों-ज्यों यह काम होता जायगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको धीरे-धीरे करता जायगा। मुझे खुशी होती है कि समस्या का कुछ हल निकला है और यदि हम कामयाब हो गये तो हमारे प्रदेश की बड़ी भारी समस्या हल हो जायगी। अब मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। कल मैंने काफी समय ले लिया था।

[श्री चरणसिंह]

हम फारेस्ट डिवीजनों का और सर्किलों का रिआर्गेनाइजेशन कर रहे हैं ताकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। अभी तक डी० एफ० ओ० के सामने बहुत बड़ा एरिया होता है और वह उसको देख नहीं पाता है और उसकी हिफाजत नहीं कर पाता है। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे डिवीजन बढ़ जायेंगे १२ नये और ४ नये सर्किल हो जायेंगे। इनका खर्चा १९ लाख होगा और आमदनी प्रति वर्ष ५० लाख रुपये होगी। अगले साल के बजट में इसका भी एक आइटम है। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--वन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि कटाव को रोकने के लिये, जलवायु को ठीक रखने के लिये, बाढ़ रोकने के लिये और साथ ही साथ उद्योग की व्यवस्था पर कल्याणकारी प्रभाव डालने के लिये और कई प्रमुख सिद्धांत होने के कारण भूमि संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमन्, जहां तक हमारी वनसम्पत्ति का सम्बन्ध है, इसका मूल्यांकन १० अरब रुपया है और वास्तव में यह एक ईश्वरीय वरदान के स्वरूप हमें मिली हुई है। श्रीमन्, इससे लगभग ७ करोड़ रुपये की प्रति वर्ष हमें आय होती है तो यह हमारी आमदनी का भी एक बहुत बड़ा जरिया है और इस कारण से वन की प्रगति के लिये जितने भी हम कदम उठायें वे कम होंगे। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो प्रगति है उसमें निर्धारित लक्ष्यों से एक्सीड कर गये हैं कहीं-कहीं पूरा तो हो ही गया है।

श्री चरणसिंह--

मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि यह दो साल जो बीत गये हैं, तीसरा चल रहा है इसके कर गये और शायद सेकंड के भी कर गये।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मैं आडिट रिपोर्ट, १९६३, ग्रांट नम्बर ५ जो पृष्ठ ३७ पर है, वह आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।

"Scheme of plantations of species of industrial importance under Second Five-Year Plan—The Scheme envisaged plantations of species of industrial importance in an area of 58,500 acres at a total estimated cost of Rs. 92.40 lakhs. A review of the working results of the plantations is being conducted by a Departmental Committee and their report is awaited."

अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पायी इस लिये वैल्यूएशन नहीं कर सकते कि वास्तव में इतने में प्लान्टेशन हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कुछ इन्स्टेंसेज कोट की हैं जिनमें डेफिनिट बात कही है कि इस तरीके पर बिलकुल निरर्थक रुपया खर्च किया गया, कोटवा, मुर्घोवा, नैनीताल में एक प्लान्टेशन देहरादून डिवीजन में प्लान्टेशन, मैलानी रेंज और खीरी डिवीजन में कुछ प्लान्टेशन, कुमायूं डिवीजन में कुछ प्लान्टेशन हुआ जिसमें ४ लाख ६४ हजार खर्च हुआ और ४ लाख १३ हजार वेस्ट हो गया, यानी वहां पौधे उगे नहीं अनसूटेबिलिटी आफ साइट के कारण। इसमें मेनली जिम्मेदारी अधिकारियों की है जिनकी लापरवाही के कारण ४ लाख १३ हजार रुपया पानी की तरह बह गया। यह सरकार की रिपोर्ट है। वन विभाग के लिये टार्गेट पूरा करना बड़ा आसान है। कितने पौधे लगाये जाते हैं, यह तो वे ही लोग किताबों में जानते होंगे जिन्होंने किताबों में लगाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का कार्य सम्पादन किया है। वास्तव में कितने लगाये जाते हैं और कितने सूख जाते हैं इसको तो सभी जानते हैं।

श्रीमन्, मैं फारेस्ट डिपार्टमेंट का वर्किंग भी रखना चाहता हूं। इसी आडिट रिपोर्ट, १९६३ के पेज ३९ पर पैराग्राफ २५–२७ है। अनआथाराइज्ड कांस्ट्रक्शन आफ रेजिडेंशल बिल्डिंग। इसमें यह हुआ कि हल्द्वानी के स्पेशल फारेस्ट आफिसर के दफ्तर के नाम पर १७ हजार ८६ रुपये की इमारत बनायी गयी जिसमें किचेन भी बनाया गया। पांच इन्स्टालमेंट्स में वह अलग-अलग बनायी गयी और किसी ऊपर के अफसर को न खबर थी, न स्वीकृति थी। उसमें किचेन था इससे बिल्कुल साफ है कि अपने रहने के लिये बनायी गयी। फिर दूसरी बिल्डिंग १९५५–५६ में १७ हजार की बनायी गयी। वह दफ्तर के काम आयी। इसके लिये लिखा है कि पहली बिल्डिंग जो बनायी गयी वह अवायडेबिल और अनआथोराइज्ड दोनों थी।

दूसरा है एक्सट्रा पेमेंट फार ऐन एस्टेट। कानपुर में कोई बिल्डिंग फारेस्ट डिपार्टमेंट के लिये खरीदने के लिये कलेक्टर साहब ने लिखा १४ अप्रैल, १९५७, को कि इसकी इस्टीमेटेड कास्ट ४३,३६३ रुपये लगायी है वहां से लिख दिया गया सरकार को और कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट लैंड मैनेजमेंट सर्किल नैनीताल ने इन्टीमेट किया कि यह कास्ट प्राइस जो है इसके बारे में १ फरवरी, १९५८ को, जिसकी जायदाद थी, उसके एटार्नी को सूचित कर दिया कि यह रुपया उसको मिल जायगा और उसने कोई आब्जेक्शन भी नहीं किया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ५ जनवरी, १९५९ को आदेश दिया कि ६० हजार रुपये में वह खरीद लिया जाय और इस तरह ४ वर्ष उसमें लग गये जिसमें १६,६३७ रुपये ज्यादा खर्च हुए। अगर उसी वक्त खरीद लेते और दूसरे वर्ष न लेते तो इतने रुपये खर्च न होते और उसमें ओनर को कोई आब्जेक्शन भी नहीं था। लेकिन इस तरह ६० हजार रुपये उसकी कीमत दे दी गई। यह कितना एक मजाक-सा लगता है और पब्लिकमनी का इस तरह दुरुपयोग होता है।

इसी प्रकार आप देखें जब चकबन्दी हुई, जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ तो ५४१ एकड़ महुआ और साल के जंगल हमारे अधिकार में आये और गोंडा के फारेस्ट आफिसर के डिस्पोजल पर रख दिये गये और आब्जेक्शंस इनवाइट करने की लास्ट डेट १ मई, १९५६ रख दी गई। लेकिन उसमें भी बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ और जाली सर्टिफिकेट सेटिलमेंट आफिसर के बनाकर लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और बहुत से फारेस्ट हमारे हाथ से निकल गये, लोगों ने उनको जोत बो लिया। इसके बारे में रिपोर्ट है कि

"The loss had not been reported to Government up to the date of audit inspection (December, 1961). The case was reported to be under investigation of the police authorities (December, 1962)."

श्रीमन्, इसी प्रकार आप देखें इसी आडिट रिपोर्ट, १९६३ में दिया है लास आफ रेवेन्यू ऐज ए रिजल्ट आफ लांग टर्म कांट्रैक्ट, इसकी चर्चा सदन में हो चुकी है कि चीड़ की लकड़ी १ आना या दो आना के हिसाब से सहारनपुर की पेपर फैक्ट्री को दे दी गई जिसका दाम इससे कई गुना ज्यादा मिल रहा था, दूसरों ने आफर किया था और श्रीमन्, लांग टर्म कांट्रैक्ट को देखें कि सितम्बर, १९५६ में दस साल की सप्लाई के लिये ३२ हजार टन साल की लकड़ी के लिए कांट्रैक्ट किया १ आना पर क्यूबिक फुट पर और दूसरी बार जब दूसरी कम्पनियों ने आफर किया तो ८० नये पैसे पर क्यूबिक फुट के हिसाब से आफर किया था कि हम देंगे। यही नहीं जब ढेरों रुपया वह कमा चुके एक साल तक तो एक और कांट्रैक्ट की इन्होंने दरख्वास्त दे दी और मई, १९५८ में रिप्रजेंटेशन आया मिल एथारिटीज की तरफ से टु एक्सटेंड दी पीरिअड आफ लीज टु थर्टी ईयर्स। पब्लिक के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग करने की बात उन्होंने सोची इसी बीच में यह बात की कि गवर्नमेंट को जानकारी न हो और अगस्त, १९५८ में दुबारा लीज साइन हुई ३० वर्ष के लिये। ५७ में दूसरी पार्टी ने दरख्वास्त दे दी थी।

In August, 1957 another party had offered to purchase 1 lakh tons of twisted Chirwood at a price of Rs. 40 per ton which works out to 80 nP.

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

per cft. but the offer could not be considered in view of the prior commitment of Government to the mill.

श्रीमन्, मेरा कहना है कि अगर लीज एक बार हो चुकी थी जो दस वर्ष की बात थी, दस वर्ष हो जाने के बाद उसको रिव्यू कर लेते। वह बात उसमें है भी लेकिन ३० साल के लिये कांट्रैक्ट कर लिया गया और इस तरह से लाखों रुपये का नुकसान पब्लिक का हुआ और आज भी वह जारी है।

इसके बाद फौरन—

"In 1958-59 some lots of twisted Chirwood auctioned in South Almora Forest Division on two occasions fetched the price of Rs. 2.90 and Rs. 3.37 per cubic feet. It was, however, stated by Government (August, 1960) that this Chirwood was of much better quality and could not be compared with the material of "no timber value" which was to be given to the lessee".

यानी २ रुपया ९० पैसा और ३ रुपया ३७ पैसा परक्यूबिक फुट पर १९५८–५९ में वह चीड़ की लकड़ी बिकी। उसके लिये कहा गया कि यह उससे कुछ अच्छी है। अगर यह उससे कुछ अच्छी थी तो उसकी कीमत इससे कुछ कम २ रुपये क्यूबिक फुट कम से कम होनी चाहिये। तो इस तरीके से फारेस्ट डिपार्टमेंट में पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। क्योंकि अभी तक तो अलगू राय जी थे। वे अलग हो गये। अब चरणसिंह जी हैं और वे अपनी ईमानदारी और कार्य क्षमता के लिये काफी मशहूर हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वे इन चीजों को देखें।

पैरा १३३ में दिया हुआ है कि लास इन आक्शन क्या हुआ। एक नीलाम किया देहरादून के फारेस्ट आफिसर ने ६३ लाख ५०० रुपये का और दूसरा एक नीलाम ८०,००० का किया जिसके नाम आक्शन छूटा उसने ३१,७०० रुपया जमा कर दिया लेकिन दूसरे में कुछ कंडीशन थी इसलिये उसने प्रार्थना की कि उसे रिनूव कर दिया जाय। वह दोनों केस विभाग की तरफ से कंजरवेटर आफ फारेस्ट को रेफर कर दिये गये और उन्होंने वह दोनों नीलाम कैंसिल कर दिये। नतीजा यह हुआ कि दुबारा नीलाम हुआ और ५७ हजार ६०० और ४५,६०० रुपये की बोली छूटी और इस प्रकार हम २०,००० रुपये के घाटे में आ गये। तो इस तरह वन विभाग चल रहा है, मंत्री जी इस पर ध्यान दें। देहरादून के चकराता डिवीजन में ७ साल हुए गैरकानूनी तरीके से एक डिगासिंह कम्पनी ने कुछ पेड़ काट लिये थे। उनकी रिपोर्ट की गयी तो उन पर दो लाख रुपया जुरमाना हुआ, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और उनका ठेका रद्द कर दिया गया। फिर अभी एक महीना हुआ उसी डिवीजन में ६०० पेड़ काटे गये हैं, लेकिन अभी तक उसके लिये कुछ नहीं किया गया है और डी० एफ० ओ० साहब अपनी बचत के लिये उस ठेकेदार को शील्ड करते रहते हैं। उन डी० एफ० ओ० महोदय का ट्रांसफर भी नहीं हुआ। उन पेड़ों का दाम जो देखने वाले हैं वे जानते हैं। अगर उस चीड़ की लकड़ी को हम ईंधन के भाव भी दें तो वह दो-ढाई रुपये मन में बिकेगी और सरकार ने उनको एक आने मन में दे रखी है। तो इन खराबियों की ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं सरकार के प्रशासकीय ढांचे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् १८६१ में पहली बार इस विभाग का संगठन किया गया। हाल ही में हमने वन शताब्दी मनायी है। श्रीमन्, पिछले सौ साल से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वैसा का वैसा ही है। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के लिये बतलाऊं। १८६१ में हमारे पास आने-जाने के साधन नहीं थे। खच्चर, ऊंट, हाथी और बैलगाड़ी से काम चलता था। उस समय सेटअप दूसरे प्रकार से बनाया गया था। आज सेटअप दूसरे प्रकार का होना चाहिये क्योंकि दूसरी लड़ाई के बाद कम्युनिकेशन के साधन बहुत से हो गये हैं।

हमारे पास सड़कें हैं, टेलीफोन हैं और बैलगाड़ी के स्थान पर जीपें और डीजल ट्रक्स हैं। अब पुराना सेटअप काम नहीं दे सकता।

श्रीमन्, पुराने ऐडमिनिस्ट्रेशन के कारण ही, पुराने नियमों के बनाये रखने के कारण ही जंगल बराबर साफ होते जा रहे हैं और उनकी सही देख-रेख नहीं हो पाती और इसलिये बाढ़ों का भी दौर-दौरा है, जिनको हम नैचुरल कैलेमिटी कहते हैं।

इसमें कमियां क्या हैं। पहले तो फारेस्ट आफिसर्स के लिये कानून है कि ८ महीने तक जंगलों में दौरा करो। उस समय बैलगाड़ी वाला, ऊंट और हाथी वाला समय था। आज जीप जाती हैं, ट्रक्स जाती हैं, मोटर-साइकिल जा सकती हैं। तो ८ महीने का दौरा उनके नाम में रखना उनके साथ अन्याय करना है। बहुत से बेचारे फारेस्ट आफिसर तो बाकी ४ महीने भी दौरा करते रहते हैं। मैंने ऐवरेज लगाया है तो २८० दिन एक फारेस्ट आफिसर बाहर दौरे पर रहता है। जबकि मीन्स आफ कम्युनिकेशन आज इतने बढ़े हुये हैं, यह कहां तक उचित है। सिवाय ताश खेलने, शिकार खेलने या गप्पें लड़ाने के वह क्या काम करेंगे? किसी जमाने में जहां का दौरा ७ दिनों में समाप्त हुआ करता था अब वह आधे दिन में समाप्त कर लेते हैं। वह बरडेन उनके ऊपर से हटा लेना चाहिये। वह अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते। फैमिली अपने साथ न रखने से जो दुर्गुण आ सकते हैं वह उनमें स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वह रुपया पैसा पैदा करने की तरफ भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं।

हैडक्वार्टर्स भी ठीक सोच समझ कर नहीं रखे गये हैं। ४ महीने मानसून के सीजन में आफीसर्स हैडक्वार्टर्स पर आ जाते हैं। करीब ३० अफसरों का हैडक्वार्टर नैनीताल में है और २००–४०० मील तक उनका विभाग है। उदाहरण के लिये, अगर देवरिया का आदमी है और उसे कोई प्रार्थना-पत्र देना है, मिलना है फारेस्ट आफिसर को तो उसको नैनीताल जाना होगा। कितनी तकलीफ होती है। आफिसर्स को तो होती ही है, पब्लिक को कितनी होती है? आफिसर्स भी ज्यादातर लखनऊ रहना चाहते हैं। वैसे हैडक्वार्टर लैन्सडाउन कोटद्वारा, चकरौता और मंसूरी है। न वह हैडक्वार्टर उनकी फैमिली के लिए सूट करते हैं न वह उनके खुद के लिये सूट करते हैं, न पब्लिक के लिये सूट करते हैं, इसलिये इनका रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये।

श्रीमन्, इस विभाग में रेंजर्स बहुत ही जिम्मेदार आफिसर होता है। २० लाख रुपये के करीब वह रेवेन्यू डील करता है जो इस सरकार के खजाने में आता है। २ लाख रुपये का वह खर्चा करता है। ४० करोड़ रुपये के जंगल उसके डिस्पोजल पर रहते हैं। वह उनकी सुरक्षा करता है। उसको यह सरकार १२०–३०० रुपये के ग्रेड में रखती है। अब सोचिये कि वह कैसे ईमानदारी से काम करेगा। सरकार इसीलिये उनको इतनी कम तनख्वाह देती है क्योंकि वह समझती है कि उनको ऊपरी आमदनी होती है।

डी०एफ०ओ० आक्शन्स कन्डक्ट करता है। लाखों रुपये के वह आक्शन करता है और ५ हजार तक के सेल का सैंक्शन करने का उसको अधिकार है। वह ३०० रुपये तक एक बार में खर्च के लिये सैंक्शन कर सकता है। उसको साल में १० लाख रुपये का एक्सपेंडीचर करना पड़ता है। अब आप सोचिये कि उसको कितनी बार अपने ऊपर के आफिसरों का मुंह ताकना पड़ता है। ३०० के बाद हर खर्च के लिये उसको ऊपर से करेस्पांडेंस करनी होती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा जो रेंज आफिसर्स भेजे जाते हैं उसमें अधिकारी लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सा रेंज ज्यादा आमदनी वाला है और उसमें किस आफिसर को भेजा जाय। जिसको वे चाहते हैं उसे अच्छी रेंज में भेज दिया जाता है, इसमें बड़ी धांधली होती है। जो ट्रेंड आदमी होता है उसको तो इधर-उधर भेज दिया जाता है, अन्ट्रेंड को अच्छी जगह भेजा जाता है।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

इसी तरह श्रीमन्, जो असिस्टेंट कंजरवेटर आफ फारेस्ट होते हैं, वे सेकिंड क्लास गजेटेड आफिसर होते हैं । इस आफिसर के जिम्मे सरकार ने कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की है जैसी कि और सेकिंड क्लास आफिसरों की होती है । उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिये सरकार को ।

एक छोटा सा आदमी, इस विभाग में लाखों की डील करता है, तो निश्चय ही उससे रेडटेपिज्म और करप्शन की संभावना बढ़ती है । करोड़ों रुपया पब्लिक का गलत जगह चला जाता है । (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, ५ मिनट का समय और दे दिया जाय। इसी तरह से रेंज अफसरों का ट्रांसफर कनजरवेटर के हाथ में है कि वह आमदनी के ख्याल से और ज्यादा हिस्सा देगा, जिसे जहां चाहे वहां भेज दे । कंजरवेटर की यहां एक अनोखी ही शक्ल है । अजीब किस्म का उनका पद है ।

The rank of conservator is a strange phenomena, whereas they have wide powers of approving as well as expenditure and ordering transfer and Posting of range officers. It is the D.F.O. who is responsible for the entire executive show. The conservators are responsible for nothing and to nobody.

मेरा सुझाव है कि लिविंग और टूरिंग कंडीशन्स रिवाइज की जावें । आज जब ट्रांसपोर्ट इतना विस्तृत और जल्द हो गया है तो मेरा ख्याल है कि महीने में १० दिन से ज्यादा किसी को भी दूर करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । सरकार इसके लिये रूल्स बनावे और इस प्रकार साल में १२० दिन टूर के लिये काफी है । चीफ कनजर्वेटर आफ फारेस्ट्स का हेड-क्वार्टर लखनऊ में होना चाहिये, राजधानी में होना चाहिये । यह लगता अटपटा सा है लेकिन सारे अधिकारी यहीं आना चाहते हैं और यहीं से काम चलाते हैं । टैरीटोरियल कनजर-वेटर्स के आफिस कमिश्नर्स के हैडक्वार्टर्स पर होने चाहिये । फंकशनल कनजरवेटर्स को एफ० आर० आई० देहरादून के साथ रख दिया जाय । डी०एफ०ओ० का हेडक्वार्टर जिले के स्थान पर होना चाहिये और ए०ऐफ०ऐस० का हेडक्वार्टर सब-डिवीजनल हेडक्वार्टर पर होना चाहिये एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप का भी रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये । उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है । रेंज अफसरों को बिलकुल समाप्त कर देना चाहिये चूंकि नान-गजेटेड अफसरों के हाथ मे लाखों रुपये का ठेके वाला काम रखना उचित नहीं है, यह ऐसा नहीं है जैसा कि तहसीलदार के हाथ में लाखों रुपये का रेवेन्यू जमा करने का काम रहता है । इतने लो-पेड पद के जिम्मे इतनी जिम्मेदारी का काम नहीं होना चाहिये । रेंजेज को कंस्टीट्यूएंट यूनिट माना जाय जैसे हैं वैसे ही रखे जावें, उनको एक सब-डिवीजन मान लिया जाय और रेंज अफसर का ओहदा ऐ०सी०ऐफ० कर दिया जाय और उसे कुछ मैजिस्टीरियल पावर देकर सेकिंड गजेटेड आफिसर बनाया जाय जिससे पब्लिक के इनक्रोचमेंट के मुकदमे भी वह देख सके ।

श्री अखंडप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे वन विभाग के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है । मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

राष्ट्रीय सरकार के शासन में वन विभाग की बहुमुखी उन्नति हो रही है । इसमें वृक्षारोपण, यातायात, भवन, लघु उत्पत्ति, संचार सुविधायें, टिम्बर लागिंग, टिम्बर संरक्षणा-त्मक उपचार, अनुसंधान संगठन, विस्तारीकरण, वन सर्वेक्षण व प्रचार, कर्मचारियों का प्रशिक्षण भूमि संरक्षण, प्रकृति संरक्षण इत्यादि कार्य हो रहे हैं, लेकिन जब से अंग्रेजी शासन ढीला पड़ने लगा था तब से लगाकर राष्ट्रीय सरकार का शासन स्थापित होने तक बहुत से नये शिकारी हमारे वनों में उतरे । न तो उन्हें वन विभाग से कोई स्नेह था, न वहां के पशु-पक्षियों से कोई ममता थी । जिसे जो मिला उसने उसे मारा । अन्डे, बच्चे, नर, मादिन, किसी का

भी ध्यान नहीं रखा गया, इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से जीव अगर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुये तो उनकी संख्या बहुत कम हो गई । मांसाहारी पशुओं के पास चूंकि नूकीले दांत, भयंकर स्वभाव और पंजे थे, जिससे उनके प्राण की रक्षा हुई । लेकिन तृणाहारी पशु जिसमें मृग इत्यादि आते हैं, का बहुत बड़ा उच्छेदन उन लोगों ने किया । काला मृग तो एक तरीके से बिलकुल समाप्त हो गया है । बारहसिंगा जो कि मृग जाति में सबसे उत्तम सींग रखने वाला प्राणी समझा जाता था वह भी खत्म हो रहा है । बहुत से पक्षी ऐसे मारे गये कि वे करीब-करीब समाप्त हो गये होते अगर सरकार ने एक ठोस कदम न उठाया होता । राष्ट्रीय सरकार को जैसे ही देश व्यापी महत्वपूर्ण कार्यों से अवसर मिला उन्होंने वन विभाग की ओर ध्यान दिया । बहुत सी ऐसी सेंकचुअरीज बनाई गई जिनमें पशु जगत अपने परिवार की वृद्धि करने लगा और उसके जाति की रक्षा हुई । वार्डनों की नियुक्ति देश में एक नयी चीज हुई । इन्होंने उन शिकायतों को जो जंगल विभाग में चोरी से शिकार करते थे रोका । कम से कम ७५ फीसदी मन मानी वन विभाग में समाप्त हो गई है । लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज की कमी रह गई है जिसे मैं कहना चाहता हूं । वह राष्ट्र जो वन विभाग में उन्नति किये हैं मैं समझता हूं उसमें अफरीका को सबसे ऊंचा स्थान दिया जा सकता है । वहां पर white हन्टर्स सोसाइटी की स्थापना हुई है । ऐसे शिकारी दलों की स्थापना देश और प्रदेश में होनी चाहिये । शिकारी समिति का यह कार्य होता है कि जब कोई शिकारी शिकार खेलने के लिये आता है तो उसके साथ शिकार समिति का एक सदस्य रहता है । लेकिन कंजरवेटर से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह शिकारी के साथ छाया की भांति रहेगा ।

श्री अध्यक्ष––

आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिये । इसको साढ़े तीन बजे तक समाप्त हो जाना है । और भी बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं

श्री अखंडप्रतापसिंह––

यद्यपि मैं आज पहली बार ही बन विभाग पर बोल रहा हूं लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ।

तो शिकारी समिति का आदमी शिकारी के साथ रह कर जंगल के नियमों का उचित रूप से पालन उससे करा सकता है । इसके अलावा वह शिकारी को, जिसका वह शिकार खेलना चाहता है और आज्ञा प्राप्त किये हैं गाइड भी कर सकता है । इसके अलावा वन विभाग में अच्छी मार की बंदूकों का भी प्रबन्ध होना चाहिये जिससे उचित टैक्स देने के बाद वहीं पर अच्छी किस्म की बंदूक उन लोगों को मिल सके जिन शिकारियों के पास अच्छी बन्दूक खरीदने का साधन नहीं है ।

जंगल के बगल से गुजरने वाली सार्वजनिक सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं, उनके निरीक्षण का प्रबन्ध विभाग की ओर से होना चाहिये जिससे वे लोग जो आते जाते छिप कर जानवर को हानि पहुंचाया करते हैं, उसकी रोक हो सके ।

पशु पक्षियों की मनोवृत्ति को जानने के लिये हमारे यहां कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है । हमारे यहां के श्रीराम शर्मा और जयपुर के कर्नल केशरी सिंह का कुछ साहित्य जरूर है, शेष साहित्य अंग्रेजी में ही है और अंग्रेजों का लिखा हुआ ही है । इस बारे में जो अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं उनसे विभाग को संपर्क स्थापित करके, जानकारी को एकत्रित करना चाहिये । जिससे इस विषय का साहित्य उच्च स्तर का हमारे यहां भी हो सके ।

जो लोग मनुष्य भक्षी शेरों के अच्छे शिकारी हैं उनको विभाग की ओर से पुरस्कार दिये जाने चाहिये । मान्यवर कायर जब क्रूर, कुटिल, और लोभी बन जाता है तो उसे जगतनियंता का अभिशाप कहते हैं, पशु जगत में ऐसा ही एक जीव है, और वह है सियार, जमीन पर अंडे देने वाले जितने भी पक्षी हैं, उन सब के अंडों को वह खा जाता है

[श्री अखंड प्रताप सिंह—]

९० प्रतिशत मृग शावकों को पैदा होने के बाद ही वह खा जाता है। पागल होकर जिस जीव को काटता है वह पागल हो जाता है। इसलिये उसके प्रति विभाग ऐसी कार्यवाही करे कि उसकी संख्या कुछ न कुछ कम होती रहे। मेरे शिकार और पशु जगत पर २५ वर्ष का अनुभव है। उसका मेरे जीवन और चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, मैं इन शब्दों में उसको उद्धृत करता हूं।

मानवजाति को वन्य पशुओं की आवश्यकता रहेगी ही अतः उन्हें नष्ट न होने देना हमारा कर्त्तव्य है। शिकारी जीवनी में जो सबसे उत्तम पाठ है, वह यह है, कि भगवान के बनाये सब जीवों को प्यार करो।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री गंगवार द्वारा प्रस्तुत कटौती का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह तो एक निर्विवाद सत्य है कि वनों की उपयोगिता जनजीवन के लिये बहुत जरूरी है। किन्तु उसके साथ-साथ वनों में हर प्रकार की लकड़ी, जहां होती है, वहां यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी लकड़ी है जो हमें आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न बना सके। माननीय मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस पर भी वे विचार करेंगे कि यदि कोई ऐसी लकड़ी है जो मुकाबले में दूसरी लकड़ी के ज्यादा महंगी है या हमें ज्यादा पैसे देती है तो उस पर विचार करना जरूरी है और उस पर ज्यादा खर्च करना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं साल को लेता हूं। सन् १८२५ में जब जंगल बुरी तरह से काटे जा रहे थे और जब जंगल विभाग बना भी नहीं था, उस वक्त ही यह महसूस होने लगा कि इसके संरक्षण की जरूरत है। १८६१ में जब विभाग स्थापित हुआ उसके बाद में यह जरूरत बराबर महसूस होती रही। १९२५ में डाक्टर बैलिच ने इसकी उपयोगिता पर बहुत जोर दिया था। सन् १८९८ में ग्रर्डले विलमोर की रिपोर्ट आयी और उसके ऊपर विभाग ने अपना अनुसंधान शुरू किया। उसकी मीटिंग होती रही, उस पर मुख्तलिफ थ्योरीज आती रहीं और उनका इम्तहान होता रही। किन्तु दुख की बात है कि इस विभाग को स्थापित हुए १०० साल हो गये किन्तु अभी तक उसका कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाला जा सका। जहां १३,५९७ स्क्वायर किलो मीटर में जंगल है, उनमें साल का जंगल ५,७६५ स्क्वायर किलो मीटर में है जिससे १,६९,००० क्यूबिक फीट लकड़ी चिरान की उपलब्ध होती है। यदि उसका रेट ७ या ८ रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से भी लगा लें तो यह लाखों रुपये की सम्पत्ति हो सकती है। अभी जो सेंटेनरी रिपोर्ट निकली है उसमें श्री डी० सी० पांडेय ने लिखा है—"इस प्रकार यह शास्त्रीय विवाद अब आधारभूत और मौलिक सूचनायें एकत्र करने की एक अधिक व्यापक व निरपेक्ष विचार धारा में बदल गया है। कब और कहां तक समस्या व्यवसायी बणिक को क्षेत्र में सहायता देने के योग्य हल की जा सकेगी, यह अभी एक विवादास्पद प्रश्न है।

हमारे एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट को एस्टेबलिश हुए इतने दिन हो गए। जब इस प्रकार की अनुसंधानशालाएं एस्टेब्लिश हैं तो यह कहना कि अभी तक इसका हल नहीं कर सके, कुछ बड़े गौरव की बात नहीं होती, विशेषकर उस जमाने में जब कि दूसरे देश चांद तक पहुंचने को तैयार हैं, तैयार ही नहीं चांद से पत्थर भी लाने को तैयार हैं। माननीय गंगवार जी ने कहा है कि आडिट रिपोर्ट में भी इस विभाग की टीका टिप्पणी की गयी है। उससे मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसा अनुमान हुआ कि इस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी गड़बड़ी है, जिसको सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। इस जनतंत्रवाद में सबसे पहली बात यह है कि जहां आप बनों के क्षेत्रों को बचाना चाहते हैं वहां यहां की जनता को कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं। श्री जे० एन० सिंह जी, जो इस समय उपस्थित भी हैं, ने हर्ष की बात है, यह माना है कि सब से अधिक महत्वपूर्ण बात हमको सदैव ध्यान में रखनी चाहिये। यह जनतंत्र का युग है और हम तभी प्रगति भी कर सकते हैं जबकि हमको जनता का सहयोग हो।

श्रीमन्, जहां तक जनता से इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए कि कोई आदमी यह देखे कि जंगल में नुकसान हो रहा है या कोई निम्नवर्ग का कर्मचारी यह देखता है कि जंगल में नुकसान हो रहा है तो क्या आज उसकी हिम्मत है कि वह किसी उच्च अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। नहीं है। तो श्रीमन् यह एक ऐसा विभाग है कि सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं है और जो देता है उसका यह होना चाहिए कि जनता उसका आदर करे परन्तु यदि बात ऐसी होती तो कोई दुख न होता। तो एक विभाग जो देता है उसकी भी अगर जनता को शिकायत हो तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश की और अपनी भी।

इस प्रदेश में चराई के भी अलग-अलग रेट हैं। मैं समझता हूं जब एक ही विभाग है तो अलग-अलग तरीके से रेट लगाना और अलग-अलग कानून बनाना वाजिब नहीं होता।

माफी की बात है, जहां तक मुझे मालूम हुआ है कुछ जिले ऐसे हैं कि जनता को जंगल से माफी का कुछ सवाल नहीं है और कुछ को है। मैं पहाड़ी जिलों की बात नहीं करता हूं। मैं एक फारेस्ट रटेंडिंग कमेटी में था। मैंने एक दरख्वास्त की इसके बारे में लेकिन जो जवाब मुझे मिला उससे मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन मैं मिसाल देता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी इसका रेट चेंज हुआ है। अगर विभाग जरूरी समझे तो मिसाल भी दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने २ साल के कार्यकाल में मुझे यहां बोलने का शुभ अवसर दिया। मैं यहां पर अनुदान संख्या ४४–वन के अन्तर्गत की गयी मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय गंगवार जी ने एक बात यह कही कि इस विभाग में रेंज आफिसर्स हटाये जायें, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जंगलों में रेंज आफिसर्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर की प्वांइट का कोई आफिसर है.....

श्री हरीशकुमार गंगवार––

श्रीमन्, मैं रेंज आफिसर्स गलत कह गया था। रेंज आफिसेज की जरूरत नहीं है।

श्री देवीदत्त––

हमारे वन विभाग के कर्मचारी बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह बहुत कम है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। वन में सब से छोटा अधिकारी फारेस्ट गार्ड होता है, उसको जंगल में अपने बीट में बाल बच्चों से बहुत दूर रहना पड़ता है और उसके बच्चों की शिक्षा का भी प्रबन्ध नहीं होता है। ऐसे कर्मचारियों को किसी न किसी तरह से कम्पेंसेट करना चाहिये। यह कहा जाता है कि वन विभाग के अधिकारी गैर कानूनी तौर से फायदा उठाते हैं। अगर आप अपने नौकर का पेट नहीं भरेंगे तो आपको क्या अधिकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवीदत्त]

है कि आप कहें कि वह चोरी करके खाता है। आज सरकार इसीलिए इतने अनाज का इंतजाम कर रही है जिससे जनता का कोई आदमी भूखा न रहे।

दूसरे यह कि रेंजर ट्रेंड अधिकारी होता है, उसको जंगल देखना होता है, सड़क भी देखनी होती है और प्लान्टेशन का काम भी करना पड़ता है। ऐसी हालत में रेंजर, फारेस्ट गार्ड्स के कैडर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरह से होने चाहिये। फारेस्ट गार्ड के बीट का एरिया बहुत ज्यादा है दिनों दिन पुलिस की संख्या तो बढ़ती जा रही है। लेकिन न तो इनका क्षेत्रफल कम किया जा रहा है और न संख्या बढ़ाई जा रही है

वन विभाग के बारे में कहा जाता है कि हमारे हिन्दुस्तान में इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। निस्संदेह कम है। इतिहास बताता है कि बहुत सी ऐसी जगह शामिल हो गई जहां पहले आबादी थी। लेकिन जंगल काटकर जमीन बहुत कम शामिल की गई है। इसका पहला कारण यह है कि पहली, दूसरी वर्ल्ड वार में जंगल बुरी तरह से काटे गये और उसकी क्षति अभी तक पूरी नहीं हो पाई। आजकल तराई एरिया में प्लांटेशन किया जा रहा है। हिल एरियाज में सघन वृक्ष के प्लांटेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि वहां पर अच्छी व्यवस्था की जाय। कुमायूं में १३००/१४०० एकड़ जमीन डिफारेस्ट की गई। उसमें से केवल ६००,७०० एकड़ जमीन ही आबाद की है और बाकी जमीन वन विभाग वापस देना नहीं चाहता है फारेस्ट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मैंने कहा था कि इस हिस्से को वन विभाग ले ले और दूसरी जगह भूमिहीनों को जमीन दे दे। इससे न तो वन का क्षेत्रफल घटेगा और भूमिहीनों की भी समस्या हल हो जायगी। दूसरे यह कि हमारी फायरलाइन को डबल करके डबल वांडरिंग कर दिया जाय जिससे आग एक जंगल से दूसरे में न फैल सके। फायर गार्ड्स को दिसम्बर में रखा जाय क्योंकि सड़क के नजदीक हमारा प्लांटेशन हो रहा है इसलिये उनके जल जाने का हमेशा अन्देशा रहता है। इसलिए फायर वर्कर्स को दिसम्बर से नियुक्त करके उनकी संख्या को बढ़ा देना चाहिए।

तीसरी बात अभी मेरे मित्र ने यह कही कि एक बार नीलाम पर ऐसा हुआ कि यह जंगल पहले इतने में नीलाम किया गया उसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद वह जंगल कम कीमत पर बिका है। कई बार ऐसा होता है। कई बार सरकार को ज्यादा भी मिल जाता है। इसका कारण यह होता है कि जब एक बार नीलाम करके महीने भर उसके लाट को फिर लिया जाता है इस बीच में उसका समय चला जाता है, व्यवसायी यह समझता है कि दूने तिगुने एस्टेब्लिशमेंट और लेबर चार्जेज में खर्च करना पड़ेगा, इस लिए बोली कम जाती है। जैसे जंगलात का नियम बना हुआ है डी० एफ० ओ० नीलाम करता है, उसको सैंक्शन कंजर्वेटर करता है। कंजर्वेटर उसको ३५ दिन तक रोक सकता है जो बहुत काफी है। मेरी यह प्रार्थना है कि या तो कंजर्वेटर साहब डी० एफ० ओ० को पूरा अधिकार दे दें कि जब तक इतने इस्टीमेटेड दाम न आ जायं तब तक बोली को न समाप्त करें या ३५ दिन के पीरियड को घटा कर एक हफ्ता कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि जंगल के अधिकारियों का जो हक हकूक के बारे में रवैया हो गया है वह बदलना चाहिए। वह इस भारतवर्ष के अंग हैं जो बनों की रक्षा कर रहे हैं, इसी भारतवर्ष की जनता के लिए कर रहे हैं। जंगल के नजदीक जो गांव हैं उनको जंगल की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ता है इसके लिये उनको रिआयतें मिलती हैं। उन रियायतों को देने में परेशान नहीं करना चाहिए बल्कि प्रेम और सद्भावना से देना चाहिए। यही हमारा निवेदन है।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी-अभी माननीय चौधरी जी की एक पुस्तिका से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि खेती के सिलसिले में उनको जितना अध्ययन है वह जंगल के सिलसिले में कम नहीं है। उन्होंने सिद्ध करने की

कोशिश की हैं कि गेहूं की पैदावार से बबूल की पैदावार का पैसा ज्यादा आयेगा। मैंने उस हिसाब को देखा है। उन्होंने ठीक सिद्ध किया है। गेहूं के खेत में तो बबूल के खेत नहीं होंगे बल्कि दूसरे खेतों में, जहां बबूल की खेती सम्भव हो सके तो अच्छा है। उन्होंने अपनी पुस्तिका में यह बताया कि जो वृक्ष लगाता है वह ३० हजार पितरों का अवतारण करता है, अगर नष्ट करता है तो उसे बड़ा पाप होता है। जब तक वृक्ष खड़ा रहता है तब तक स्वर्गलोक में उसे सुख मिलता है। मैं जानना चाहूंगा कि जब से जमींदारी टूटी, जमींदारी जिस तरह से टूटनी चाहिए थी नहीं टूटी, वह तो टेढ़ी हो गयी। गिर गयी लेकिन जितनी झाड़ियां थीं, पलास थे, छोटे-छोटे जंगल थे सब नष्ट हो गये और उसकी वजह से आज गांव वीरान हो गये हैं।

अब मैदानी इलाके की बात मैं कहना चाहता हूं। जंगल विभाग में जो कुछ प्रकृति की देन है उसमें जो तरक्की कर रहा है आपका डिपार्टमेंट, उसके लिए वह सक्षम है, उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप देखें कि मैदानी इलाके में पिछले दो, तीन वर्षों के बजट के अनुसार जिलों के स्तर पर और ब्लाक के स्तर पर जितना आपने खर्च किया है उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि जिसकी जांच कृपा करके या तो आप स्वयं करें, या फिर उसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठानी होगी। नहीं तो हर साल रुपया वापस दे रहे हैं और वह ऊसर का ऊसर पड़ा हुआ है, वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। आजमगढ़ जिले की बात मैं कहूंगा। वहां फूलपुर तहसील पूरी, लालगंग तहसील और मुहम्मदाबाद तहसील का आधा हिस्सा यह सब ऊसर है, कियारा है, खराब जमीन है। इसके लिए कोई योजना जिला स्तर पर अब तक नहीं बन पायी। माननीय अलगूराय शास्त्री जब वन मंत्री थे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी तस्वीरें खींची गई और हुआ क्या? गरीब आदमियों की जो कब्रगाह थी अधिकारियों के दबाव से उनमें गड्ढे खोद दिये गये। गांव वालों से कोई राय नहीं ली गई। गांव वालों की इच्छा के विरुद्ध आप कानून के बल पर इस तरह काम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जमा हुआ पौधा भी नहीं बढ़ सकेगा। आदमी की नियत जब खराब होती है तब पौधा भी नहीं बढ़ सकता है। पौधा आदमी की नीयत चाहता है। ऐसे गड्ढे तमाम जगह खोद दिये गये। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि आजमगढ़ जिले में इस तरह २ लाख से ऊपर रुपया खर्च हुआ कई वर्षों के अन्दर। लेकिन मैंने देखा, गड्ढे खोद दिये गये हैं, मालूम होता है कि छोटे बच्चों को दफन करने के लिए या मुर्दा को दफन करने के लिए वह दो-दो हाथ के गड्ढे खोद कर डाल दिये गये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि वाऊचर बनाकर सब रुपया इसमें खाया जा रहा है और मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस तरफ ध्यान दें।

नहरों और सड़कों के किनारे के वृक्षों की हालत बहुत ही दयनीय है। बड़ी ही निर्दयता-पूर्वक सब लोग उन पर अपना अधिकार समझते हैं। सड़क पर आप कहीं चले जाइए, मैं पूर्वी जिलों की बात करता हूं, हर एक आदमी समझता है कि इसमें से जो चाहे डाल काट ले या तोड़ दे या नष्ट कर दे। बड़ी-बड़ी डालें लोग काट लेते हैं। हर एक आदमी अपने को उसका मालिक समझता है। मेरा निवेदन है कि गांव सभाओं के जिम्मे जितनी सड़कें पड़ती हैं या नहर का जो हिस्सा पड़ता है किसी भी तरह नियम बनाकर उनकी रक्षा का अधिकार आप उन पर दें, और उनके अनुदान दें। व्यक्तिगत अनुदान से लोग नकली काम करते हैं, जाल बट्टा करते हैं। जहां-जहां आधा रुपया देने की बात है वहां डबल बाउचर बनाकर वह रुपया निकाल लेते हैं। इसलिये आप जंगल लगाने का साधन दें, नकद रुपया न दें। रुपये देने से एकदम भ्रष्टाचार फैल जाता है।

दूसरा विवेदन यह है कि जिस तरह से आपने गढ़वाल और नैनीताल की तरफ वन पंचायतें बनायी हैं उसी तरह मैदानी इलाके में भी ब्लाक स्तर पर, जिले स्तर पर या तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर जहां भी सुविधा आपको हो, वन रक्षण पंचायतें या वृक्ष रक्षण पंचायतें आपको बनानी चाहिए, तभी इनकी रक्षा हो सकती है। सड़कों या नहरों के किनारों के पेड़ या फल तभी बच सकते हैं।

[श्री मंगलदेव]

दूसरा निवेदन यह करना है कि रिपोर्ट पढ़ने से मालूम हुआ कि आपके कुछ ऐसे नियम हैं कि जो भारी ट्रकें, ट्रैक्टर, बसें, मोटरें इत्यादि लेकर प्रभावशाली आदमी जंगलों में पैठ जाते हैं और लकड़ी इत्यादि काटकर ढो ले जाते हैं, चोर बाजारी फैलाते हैं उनको जब्त करने का नियम आपके यहां नहीं है। उसके लिए भी आपको कदम उठाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि पूर्वी जिलों में जहां-जहां ऊसर है वहां किसी भी तरीके से कोई कमेटी बैठाये जो गांव वालों से राय लेकर तय करे कि कौन वृक्ष वहां पनप सकते हैं, उसके लिए एक स्कीम बनायी जाय। मैं समझता हूं कि जिले के वन आफिसर को आप आदेश दें कि वह जंगल लगाने में जो प्रगति हो उसकी रिपोर्ट दिया करें और वह रिपोर्ट जिला परिषद में पेश होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका जो रुपया वृक्षारोपण पर खर्च किया जाता है उसके लिये सचेत रहना चाहिये। आपसे बहुत आशाएं हैं और इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, जो ऊसर और बंजर भूमि पड़ी है, उस पर वन लगवायें और उसे बढ़ाने की कोशिश करें।

श्री रामभजान (जिला खीरी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। यह मानी हुई बात है कि हमारे देश और प्रदेश में वनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही जो महत्व इसे मिला है उस पर हम फख्र कर सकते हैं। वनों में ही हमारी सभ्यता और धर्म ग्रन्थों का विकास हुआ और यह वह स्थान है कि जहां हमारी संस्कृति का दायरा बढ़ा है। आज भी उनका महत्व कम नहीं हुआ है। इस विभाग का संचालन आज एक ऐसे योग्य मंत्री के हाथों में है कि जिनसे हमें बहुत आशायें हैं। हमारे वन विभाग में त्रुटियां और खामियां हो सकती हैं, लेकिन मंत्री जी की कार्य क्षमता और योग्यता में हमें पूर्ण विश्वास है और आशा है कि इसमें दिनबदिन प्रगति होती रहेगी। वैसे वनों की जो दशा देश और प्रदेश में है वह किसी से छिपी नहीं है। लकड़ी का स्थान लोहा और सीमेंट ले रहा है, लेकिन उसका महत्व अपनी जगह पर कायम है।

कटमोशन पेश करने के लिये जो सज्जन खड़े हुए थे उनके विचारों को सुन कर मुझे निराशा हुई। मैं समझता था कि वे कोई ठोस सुझाव देंगे। उन्होंने प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात कही, लेकिन यह नहीं सोचा कि उससे कितना आर्थिक बोझ हम पर बढ़ जायगा। उसका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे लेकिन मैं अपने जिले की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करूं तो बेहतर होगा। हमारा जिला खीरी एक जंगली जिला है। वहां बहुत सी समस्याओं का हल आवश्यक है। मैंने फारेस्ट स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बर की हैसियत से बहुत से जिलों में प्लान्टेशन का काम देखा है और मैं कह सकता हूं कि वह काम सराहनीय हुआ है। विरोधी पक्ष के सदस्य भी इसमें हमारे साथ थे और उन्होंने भी इस काम की तारीफ की है। वे इससे प्रभावित हुए हैं।

हमारी और भी समस्यायें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। प्राइवेट फारेस्ट जो हमारे जंगलों से मिले हैं उनके पास रहने वाले किसानों की समस्याओं पर भी हमें ध्यान देना होगा। बहुत से जमींदारों ने कृषकों के सीरदारी के हक ले रखे थे और कहीं-कहीं वह भूमिधर भी बन गये हैं। कहीं-कहीं वे २० साल से जमीन जोते हुए हैं और आज फारेस्ट डिपार्टमेंट उनको बेदखल कर रहा है और उनसे जमीन छीन रहा है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। फारेस्ट के किनारे बसे लोगों को जो पेश्तर अधिकार प्राप्त थे उनकी रक्षा होनी चाहिये। उन लोगों के पशु किनारे की भूमि में चरा करते थे लेकिन आज फारेस्ट विभाग की ओर से उनकी चरागाह को रोकने के लिए तरह-तरह की चीजें की जा रही हैं। खीरी सीतापुर में गोमती के किनारे की जमीन जो फारेस्ट में निहित ही है जहां चरागाह के सिवाय कोई चीज नहीं वह नाम मात्र को ठेके पर दे दी जाती है। उसके ३-४ सौ रुपये आते हैं जो डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता लेकिन सैकड़ों गांवों के कृषकों को मुसीबत भोगनी पड़ती है जो कि जमींदारी उन्मूलन के पेश्तर नहीं थी। हम चाहते हैं कि उनको अपने जानवरों के लिए चारा काटने, खेतों की बाढ़ के

लिए काटे लेने, छप्परों के लिए फूस लेने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही सड़कों के किनारे हमारे जंगल किस तरह से बढ़ाये जाय इसकी ओर आवश्यक कदम उठाना चाहिए। प्लांटेशन ऐसे दरख्तों के द्वारा होना चाहिये जो आर्थिक तौर पर अच्छे हों। जो सड़कें पी० डबल्यु० डी० विभाग की तरफ से है या जिला परिषद् की तरफ से है उनके किनारे फारेस्ट विभाग की तरफ से दरख्त लगाये जायं। इससे हम अपने प्रदेश की बहुत कुछ हिफाजत कर सकेंगे।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय की संरक्षता में ऐसी कमियों को शीघ्राति शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायंगे। साथ ही अफसरों द्वारा जो ग्रामीण जनता के ऊपर जुल्म होता है उसको रोकने की कोशिश की जायगी जो जनता वनों के किनारे आबाद है।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में दो, चार बात आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। श्रीमन्, हमारे देश व प्रान्त में बनों का क्या स्थान रहा है, यह बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया है। उससे सार्वजनिक कितना लाभ होता था यह भी कहने की बात नहीं है। लेकिन आज बनों से वह लाभ समाप्त होता जा रहा है और कुछ लोगों के लिए सीमित हो रहा है।

हमारे माननीय सदस्यों ने इशारा किया कि एक दो तरफ नहीं, बहुत सी बातों में विभाग की तरफ से धांधलियां की जा रही है। मैं भी आजमगढ़ की एक तहसील की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी में सब का विश्वास है कि जिस पद को उन्होंने संभाला उसको ठीक तरह निभाया है। लेकिन उनको सार्टिफिकेट देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम काम देखते है, सार्टिफिकेट नहीं। एक सेमा गांव है जहां पर इस विभाग ने २००–२५० एकड़ जमीन में गड्ढा खुदवाकर छोड़वा दिया है। यह जमीन भूमिहीनों को मिल सकती थी, मगर बेकार पड़ी हुई है। एक गांव और है बोहना, वहां भी काफी एकड़ जमीन में गड्ढा खुदवा दिया है। सुलतानीपुर में भी यही हुआ है।

श्री चरणसिंह---

यह कब खुदवाये गये ?

श्री सुरजनराम विशारद---

२ साल पहले। इस सब की माननीय मंत्री जी जांच करायें।

टडवां में, मान्यवर, एक सामुदायिक उद्यान है, कई हजार रुपया उस पर खर्च हुआ मगर वहां पर एक भी पेड़ नहीं है, जो लोग उधर से गुजरते हैं, उनको वह एक मजाक सा दिखाई पड़ता है।

माननीय मंत्री जी इसकी भी जांच करायें कि जमींदारी उन्मूलन से पहले वनों का कितना क्षेत्रफल था और आज कितना है।

मोहम्मदाबाद तहसील में, कांझा गांव में, इस विभाग की बहुत सी जमीन पड़ी हुई है। जंगल के नाम पर वहां ५०–६० पेड़ ही हैं। उस जमीन पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है जिनके पास काफी जमीन है और जो असरदार लोग हैं। जो हरिजन लोग हैं, उनको नोटिस दे दिया गया है और उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है। सरकार को इसकी भी जांच करानी चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। जो जानवर जंगलों में चले जाते हैं उनको इस विभाग के कर्मचारी मवेशी खाने में पहुंचा देते हैं। फिर उन मवेशियों के मालिकों को जंगल विभाग के कर्मचारियों को भी रकम खिलाना पड़ती है और मवेशीखाने के मुंशी को भी। इस ओर भी सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

[श्री सुरजनराम विशारद]

हमारे यहां सूत्रे में एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिससे हजारों रुपये सारे को आय होती है। जहां पर नेशनल कार्बेट पार्क है वहां पर एक शीशम की झाड़ी है। वह इतनी सुन्दर है कि उसको देखने के लिये काफी दूर-दूर से आदमी आते हैं। वहां पर सरकार जो बांध बना रही है उससे वह झाड़ी समाप्त हो जायेगी। अतः बांध को ऐसी जगह पर बनाया जाय जिससे यह झाड़ी खत्म न हो।

एक कमेटी के सिलसिले में दो, एक बार मैं गया तो मैंने लिखा कि जंगलों में बड़े-बड़े आफिसरों के लिये बड़े-बड़े बंगले हैं, अनेकों और सुविधायें हैं, मगर जो चपरासी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, उनके लिये रहने आदि के लिये भी कोई इन्तजाम नहीं है। जानवरों से उनको हर वक्त खतरा बना रहता है। इसलिये उनको वही सुविधायें मिलनी चाहिये जो बड़े-बड़े अधिकारियों को मिलती हैं।

एक सुझाव मेरा यह भी है कि जंगलों में जो जमीन खाली पड़ी रहती है वह भूमिहीनों को मिलनी चाहिये।

जो पैसा सरकार को मिलना चाहिये, उस का बहुत बड़ा हिस्सा आज जंगल विभाग के कर्मचारियों की जेबों में जाता है, उस की भी जांच होना चाहिये। आज कर्मचारी जंगलों से बहुत दूर रहते हैं, वे जंगल कटते जा रहे हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल न होने के कारण। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गंगासिंह (जिला पिथौरागढ़)--

मैं माननीय कृषि मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष कुमायूं फारेस्ट फैक्ट्स फाइन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट को बटवाने की कृपा की। उस रिपोर्ट में ग्रामवासियों की बहुत सी मांगे हैं। मेरा विश्वास है, माननीय मंत्री महोदय, उसके अनुसार कार्य करने की कृपा करेंगे। मैं यहां पर केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिससे हमारे जंगलों की दशा अच्छी हो। मैंने पहले भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जंगल बड़ी निर्दयता से काटे जा रहे हैं और नया प्लान्टेशन काफी मात्रा में होता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि बहुत सी चोटियां ऐसी हैं जिन पर जंगल नहीं लगते हैं। देवी दत्त जी ने कहा कि दोनों लड़ाइयों में जंगलों का काफी ह्रास हुआ है, यह सच है। मेरा विचार है कि वनों में जो उत्पादन होता है उसके द्वारा वनों के साधनों से आय को बढ़ाया जाना चाहिये। इस सदन में सूखा और बाढ़ के लिये जो हर साल बहस होती है वह भी वनों की कमी के कारण से है। लेकिन दुःख की बात है कि जब वनों की उन्नति का प्रश्न आता है तो उसका विरोध किया जाता है और जंगलों को काट कर आबादी करने की बात कही जाती है। हमें कम से कम उस प्रतिशत को तो पूरा करने का प्रयत्न करना ही चाहिये जो पहली लड़ाई के पहले था। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने बताया कि पिछले साल वन १४ प्रतिशत थे तो इस साल वे १६ प्रतिशत हो गये हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में सिविल वन पंचायतें होती हैं वे वनों को बुरी तरह से बरबाद करती हैं। एक सिविल वन पंचायत ने ३५ हजार में जंगल का नीलाम किया। कोशिश करके वह नीलाम रुकवाया गया। फिर तिहाई जंगल का नीलाम १२० हजार में हुआ। यानी ४ लाख का जंगल ३५ हजार में दिया जा रहा था। इसलिये इस ओर सरकार को पूर्णरूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप ने यह कर दिया है कि जिलाधीश के आज्ञा के बिना वनों को नहीं बेचा जा सकता। यह आवश्यक चीज थी। नहीं तो कलेक्टरेट का एक क्लर्क, जिसको जंगल के विषय में कोई जानकारी भी नहीं होती थी, वह वन पंचायतों का इंसपेक्टर बना दिया जाता था और सभापति अपने घर पर उस की मीटिंग बुला लेता था। बस लोगों के हस्ताक्षर करा लिये गये और लाखों की जायदाद को हजारों में ही बेच दिया गया।

आज प्लेन्स में बाढ़ आने का मुख्य कारण जंगलों का कट जाना ही है। दोनों लड़ाइयों के समय में वन बहुत बुरी तरह से काटे गये हैं। एक बात मैं आप के कर्मचारियों से भी चाहूंगा और वह यह कि जिस डिवीजन का जो डी० एफ० ओ० हो वह उसी जगह रहे। जैसे हल्द्वानी का हो तो वह हल्द्वानी में रहे और रामनगर का रामनगर में रहे कोटद्वार का हो, वह कोटद्वार में रहे लेकिन हल्द्वानी, रामनगर का नैनीताल में रहता है और कालागढ़ का लैंसडाउन में रहता है। पहले जो अंग्रेज डी० एफ० ओ० हुआ करते थे वे वहीं रहते थे और उनको वनों से बहुत ही प्रेम होता था। वे वन के एक-एक पेड़ को जानते थे और वनों में वे सदैव घूमा करते थे। इस विचार धारा के लोगों को ही वनों में भेजा जाता था।

हमारे यहां 'विक्ट' के नाम से एक जंगल प्रसिद्ध है। उन्होंने वनों को लगाने व बढ़ाने आदि में बड़ा योगदान किया है। आजकल विभाग में जो लोग रखे जाते हैं वे वनों की ओर से अधिकतर उदासीन से हैं।

छोटे फारेस्ट गार्ड को काफी परिश्रम करना पड़ता है। अगर कोई हानि हो जाती है तो उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिये मैं उसके वेतन बढ़ाने का पक्षपाती हूं। वन कर्मचारियों को सुविधायें दी जानी चाहिये, क्योंकि उन्हें इस दुनियां से कुछ दूर हट कर जंगल के क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ता है और उनका पारिवारिक सम्बन्ध काफी अर्से तक एक दूसरे से दूर रहता है।

फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की, जो कुमायूं फारेस्ट कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। इस रिपोर्ट के तैयार करने में माननीय उप-मंत्री जी ने बड़ा परिश्रम किया, उनके विभागीय कर्मचारियों ने बड़ा परिश्रम किया है। हमारे माननीय बल्देव सिंह, डिप्टी मिनिस्टर, वन विभाग के सभापतित्व में कुमायूं फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठी थी। उस की रिपोर्ट न मालूम क्यों भूतपूर्व वन मंत्री बराबर छिपाते रहे। पता नहीं क्या कारण था जिससे उन्हें इसे छिपाने की आवश्यकता पड़ी। वह रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास है और आशा है कि अब तक सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंच गयी होगी। जिनके पास न पहुंची हो वे यहां विभाग से लेकर देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप जैसे कर्मठ व्यक्ति इस विभाग के मंत्री हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश के सारे वन सुरक्षित हैं, वे अवश्य ही वन विभाग के कर्मचारियों को सहूलियत पहुंचाने व जनता के कष्टों को दूर करने की कृपा करेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं....

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मेरी दरख्वास्त है कि इसके लिये थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय बढ़ाने का सवाल नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस ने इसके लिये आधे दिन का समय मुकर्रर किया था और आधा दिन उसका अभी समाप्त हो रहा है। बल्कि आधा घंटा ज्यादा समय लगा है। इसलिये अब समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

इससे कुछ नुक्सान नहीं है। यह हाउस का सेंस है, सारा हाउस चाहता है, इसलिये आधा घंटा बढ़ाया जाय। हाउस से पूछ लीजिये, हाउस की राय ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष----

फिर दूसरे ग्रान्ट में वही बात आयेगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आधा घंटा सदन का समय और बढ़ाया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, इनको ५ मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

सिंचाई के लिये एक दिन है, वह अधिक इम्पार्टेंट है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

सिंचाई से जंगल मोर इम्पार्टेंट है। जंगल कट जायेंगे तो नदी में पानी ही नहीं होगा।

(व्यवधान)

आप सदन की राय तो ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। सदन की राय की जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। लीडर आफ दि हाउस और लीडर आफ दि अपोजीशन ने मिल कर तथा सारे हाउस ने इसके लिये समय तय किया था। इसलिये आप के प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। आप बैठ जायं।

*श्री हरीशकुमार गंगवार --

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के ऊपर इतने थोड़े समय में जो प्रकाश पड़ पाया है और उससे मुझे जो ज्ञानवर्द्धन हुआ, उसके लिये मैं सब का आभारी हूं। सब से पहले मैं माननीय मंत्री जी को एक और जानकारी कराना चाहता हूं। वे जरा "विनियोग लेखे १९६०-६१ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६२ पर लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदन" नामक पुस्तिका के पृष्ठ ३४ को देखें। इसमें लिखा हुआ है---यह बताया गया है कि वन विभाग के पांच उप विभागों में १९५९-६० के अन्त में ६५ लाख रुपये ठेकेदारों पर बाकी थे। यदि सब उप विभागों का हिसाब लगाया जाय तो स्पष्ट है कि यह आंकड़ा और भी ऊंचा होगा यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है और समिति इसको बहुत निन्दनीय समझती है।'

श्रीमन्, इसके अलावा इसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आडिट रिपोर्ट १९६३ के पृष्ठ ९ को देखें जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ३१ मार्च, सन् १९६२ तक जो वहां के विभाग का बकाया था ठेकेदारों के ऊपर और दूसरे प्रकार का वह

---

*इकला ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३ करोड़ ७५ लाख रूपया था जब कि औसतन हमारी एक साल की आमदनी ६ करोड़ ८८ लाख रूपया है। औसत में उन्होंने ५४.५० प्रतिशत दिखाया है। इसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे इस बकाया रकम को वसूल करने का प्रयत्न करेंगे खास तौर से ठेकेदारों से जो काफी फायदा उठाते हैं। इसके बाद भी अगर यह रूपया बाकी रहता है तो यह बड़ी अदूरदर्शिता और अकर्मण्यता का परिचायक होगा।

श्रीमन्, मैं उस समय निवेदन कर रहा था कि एक नयी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सैट अप होनी चाहिये। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उसमें १६,५८,७०० रु० खर्च किया है नयी मशीनरी में ४७८ लिपिक वर्ग, ८२ गजेटेड और २०९ नौन गजेटेड। उनके लिये १६ लाख रूपया चाहते हैं और ५० लाख रूपया हमसे उन्हें मिल गया है। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि वे इसमें कोई फिजूल खर्ची कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह नया विभाग अभी संभाला है। आशा है अब यह विभाग कुछ तरक्की करेगा। इसलिये अब मैं अपनी योजना पेश करता हूं जिससे २५ लाख रूपये की सालाना बचत हो सकेगी। इसके लागू करने पर उन्हें स्वयं यह पता लग जायेगा कि मेरी बात में कितनी सत्यता है। मैंने जो रेंज आफिसर्स शब्द कहा मेरा मतलब रेंज औफिसेज से था। रेंजर समाप्त करने से समस्या हल नहीं होगी। रेंज आफिसेज करने चाहिये। फील्ड औफिसर्स सब डिविजन का काम करें। ए० सी० एफ० के प्रति रेंज औफिसर्स उसी तरह से काम करें जिस तरह से एक ओवरसियर सिंचाई विभाग में एस० डी० ओ० के प्रति उत्तरदायी होकर काम करता है। इस तरह से सब-डिवीजन २–३ रेंज के बन जायें और डिवीजन ए० सी० एफ० के चार्ज में रहें। औफिस में वे ही क्लर्क रखे जायं जो रेंज औफिस से खाली हो जायें। इस प्रकार जो डिवीजन हैं उन को कम किया जाय और बड़ी डिवीजन बनायी जांय। ४–५ सब डिवीजन का एक डिवीजन बनाया जाय तो इस तरह से टैरीटोरियल जो ४० हैं उन की जगह पर २० हो जायेंगी। इस तरह से फंक्शनल डी० एफ० ओज०, एफ० आई० ओ० सी०, एफ० एल० डब्लू०, डब्लू० ओज० आदि बिल्कुल बेकार हैं। उन सब को हटाना जरूरी है और टैरोटोरियल डी० एफ० ओज० को बिलकुल जिम्मेदार बना दिया जाय। इसी प्रकार से टैरोटोरियल सर्किल बड़े कर दिये जांय और केवल ४ कर दिये जायं। एक गढ़वाल का जिसमें देहरादून, बिजनौर, टिहरी, सहारनपुर और रामगंगा का पिछला हिस्सा है उसका हेडक्वार्टर देहरादून में कर दिया जाय और दूसरा जिसमें कुमायूं सर्किल जिसका है को नैनीताल में और तीसरा इस्टर्न सर्किल जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में रखा जाय और चौथा सर्किल दक्षिणी सर्किल के नाम से इलाहाबाद में रखा जाय। एल० एम० सर्किल बिल्कुल बन्द कर दिए जाय। हेड क्वार्टर सर्किल की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको भी समाप्त कर दिया जायं।

हमारे यहां एक आडिट आर्गनाइजेशन भी इस विभाग में होना चाहिये। क्योंकि इसमें लाखों रूपये का एक्सपैन्डिचर इन्वाल्व रहता है। जहां हम अच्छे ट्रेन्ड कर्मचारी चाहते हैं वहां हम यह भी चाहते हैं कि हमारी यहां एक आडिट आर्गनाइजेशन हो जो अच्छी तरह से आडिट करे और मशीनरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चलाई जानी चाहिये और कंजरवेटर इसका हुक्मरां हो। इस तरह से रूपये पैसे की गड़बड़ी दूर हो सकती है। चीफ कंजरवेटर का स्टेटस सेक्रेटरी या एडीशनल सेक्रेटरी के समान होना चाहिये और गवर्नमेन्ट में उसकी अफेक्टिव वाइस होनी चाहिये। जो पब्लिक एनक्रोचमेंट करती है उस के लिये डी० एफ० ओ० को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स देने चाहिये जिससे वे मुकदमा कर के सजा दे सकें और वनों का प्रोटक्शन हो सके। अगर रेंज कार्यालय समाप्त कर दिये जायं और गजटेड आफिसर्स कार्यालय का संचालन करे तो भ्रष्टाचार काफी मात्रा में दूर हो सकता है। जो टेरीटोरियल कंजरवेटर्स है उनको भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी और उनको काम करना आ जायगा। बड़े अधिकारियों को जीप दे दी जायं और चीफ कंजरवेटर को जीप विद ट्रेलर्स दे दी जायं और रेंजर्स साइकिल पर चलें।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर की जाय जो देखे कि इस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। इसमें एक हाई कोर्ट जज हो, एक आई० सी० एस० आफिसर हो और आडिट एंड अकाउन्ट सर्विसेज का मेम्बर हो। यह मेरी मांग है मंत्री जी इसके लिये सक्रिय कदम उठायेंगे।

मैं बताऊं कि किस तरह से २५ लाख रूपये की बचत हो सकती है और १६ लाख रूपये के खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो यह है कि २८० के स्थान पर यदि ९० दिन काम लेंगे तो ५ रूपये के हिसाब से २८,४९९ अधिकारियों के भत्ते में १,४२,५०० रूपये की बचत हो जायगी। इस तरह से ऐसी छोटी गाड़ियां दी जायं जिनसे ५,००० के बजाय २,००० ही माइलेज पड़े और २ लाख २५ हजार की बचत होगी। इसी तरह से जो डी० एफ० ओज० हैं उनके सब डिवीजनों में कमी कर दी जायगी और ६० के बजाय २० रह जायंगे और उनके वेतन ८५० के हिसाब से लगाया जाय तो ४ लाख ८ हजार रूपये का फायदा होगा। इसी तरह से प्लांटेशन में ६० परसेंट बेकार पैसा खर्च करते हैं जिसमें ३५ परसेंट वेस्टेज है। अगर हम इसी को बचा लें तो १० लाख की बचत हो सकती है। इस तरह से अगर टोटल करें तो २७.५ लाख आता है जिसको मैंने रफली २५ लाख की बचत कही है। मैं मंत्री जी से पुर-जोर मांग करता हूं कि उन्होंने नया चार्ज संभाला है, वह इस काम को देखें और एक समिति कायम करें जो जांच करे और उचित स्टेप्स ले और जो सुझाव वह दे उस पर पूर्ण विचार करें और पूर्ण विचार करने के पश्चात् अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो भविष्य में सुचारु रूप से काम चलेगा। इतना कह कर मैं फिर आभार प्रकट करता हूं और अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि बावजूद इसके कि तीन चौथाई जंगल पहाड़ों में छाया हुआ है, वहां के जनजीवन का जंगलों से घनिष्ट सम्बन्ध है आपने उसकी आवाज सुनने के लिये सदन में इजाजत नहीं दी। लिहाजा सात लाख गढ़वालियों की तरफ से मैं अविश्वास प्रकट करता हूं और आप से प्रोटेस्ट करता हुआ इस सदन से जाना चाहता हूं। अगर आजाद भारत के सदन में उनके दुख और तकलीफ की आवाज सुनने के लिये कोई गुंजायश नहीं है तो मैं प्रोटेस्ट करता हूं।

(इसके उपरान्त श्री चन्द्रसिंह रावत सदन छोड़ कर चले गये।)

*श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माननीय मित्रों ने वन विभाग में काफी दिलचस्पी ली। एक तो समय इसके लिए कम था, ज्यादा भी होता तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने फरमाया वह पहले निश्चित हो चुका था। मैं तो इसके लिये तैयार हूं कि यह बजट सेशन जब समाप्त हो जाय और अगर सदन चाहे तो एक दिन केवल इसी पर बहस और सुझाव के लिए रख लिया जाय। मुझे कम से कम सहूलियत होगी। जो सुझाव आयेंगे उनका स्वागत करूंगा और उन पर विचार करूंगा। बाकी जो हमारे चन्द्रसिंह जी रावत ने एक दो दिन पहले भी यही दृश्य किया था, आज भी चले गये, मैं समझता हूं कि बड़े अफसोस की बात है। पहले से समय निश्चित हो गया था, और मुझे मौका मिलता तो मैं मुखालिफत करता, क्योंकि मुझे उनकी स्पीच से डर लगता है। समय भी नहीं था। जिस ढंग से उन्होंने किया, एक प्रकार से सदन और आप की अवहेलना होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सुरजनराम जी को एक मशविरा दूंगा अगर वह बुरा न मानें। वह यह है कि उन्होंने जो कल तकरीर की और आज भी की। वह गुस्से से भरी हुई थी जब कि गुस्से की कोई जरूरत नहीं थी। गुस्सा जब हो, जब वह बात मेरी नोटिस में पहले लाएं और मैं अमल न करूं। कल उन्होंने केवल जिक्र किया जमींदारी अबालिशन का। जिसका बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था। आज उन्होंने गड्ढों का जिक्र किया जो दो साल पहले खुद चुके। जिन गड्ढों का जिक्र कर रहे हैं वह फार्म फारेस्ट स्कीम का जिक्र कर रहे हैं। वह स्कीम फारेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं चलायी। वह दूसरे डिपार्टमेंट का मामला था। जब उसका अनुदान आये तब या उनके मिनिस्टर से कहें या आप मुझसे कह सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जानने की उस डिपार्टमेन्ट से चाहे मेरा कोई वास्ता हो या न हो, वास्ता है ही हर डिपार्टमेंट से। फारेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत थोड़ा काम आजमगढ़ में किया। फारेस्ट आजमगढ़ में एक एकड़ भी नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत काम किया है, दरख्त लगाये, वह पनप रहे हैं, फूल रहे हैं। जो दूसरे डिपार्टमेन्ट से लगे थे, उनके कर्मचारियों को तजुरबा नहीं था, उसमें काफी फेल्योर हुआ। उसकी गालिबन शिकायत सुरजनराम जी को है।

मैं माननीय गंगवार जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी तैयारी की। दरअस्ल तैयारी करनी चाहिये जब बोलने का मौका हो। बिना तैयारी किए हुए समय का उपयोग नहीं होता और जिस मिनिस्टर से बात कही जाती है उनको भी लाभ नहीं होता है। इसलिये उन्होंने यह चर्चा की, बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जितनी बातें उन्होंने कहीं हैं मालूम होता है कि उनके पास लिखी हुई हैं। मैं उनको नोट नहीं कर पाया। अगर वह नोट अपना मेरे पास भेज दें तो मैं उस नोट के ऊपर अपने जो अधिकारी हैं डिपार्टमेन्ट के उनसे बात करूंगा और नोट पाने के एक महीने के अन्दर-अन्दर करूंगा और फिर मैं यह चाहूंगा कि माननीय गंगवार जी भी हमारे मशविरे में आ जायें ताकि उनके मशविरे के साथ जितना मुमकिन हो सके मैं उसमें करने की कोशिश करूं। मैं समझता हूं कि उनको मेरी यह दरख्वास्त मंजूर होगी।

एक दो बात मैंने उनकी नोट कर रखी हैं। चकरौता डिवीजन की बात उन्होंने कही कि दरख्त कट रहे हैं, उनको अब तक रोका नहीं गया। ऐसी बात नहीं है। सी० सी० एफ० वहां मौके पर मौजूद हैं। मेरी नोटिस में शिकायत आयी थी एक मित्र के जरिये गालिबन गुलाबसिंह जी के जरिये ८ फरवरी को। तो उसी वक्त मैंने रिपोर्ट मांगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आयी उससे जाहिर होता है कि पहली दूसरी फरवरी को ही वह बात मालूम हो गई थी कि गलत मार्किंग हो गई है और वह काटे गये हैं। तो तभी उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी गयी थी। अब डी० एफ० ओ० को बिना तहकीकात किये हुए एकदम सस्पेंड कर देना या उनके खिलाफ कार्यवाही करना ठीक नहीं है। मौके पर डी० एफ० ओ० भी हैं और कन्जरवेटर भी हैं, देहरादून में ही चीफ कन्जरवेटर भी ठहरे हुए हैं। लकड़ी बाहर न जाय इसका भी इन्तजाम कर लिया गया है और आगे को काटना भी बन्द है।

आडिट रिपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया। अब आडिट रिपोर्ट में बहुत से सवाल उठाये गये हैं लेकिन यह आडिट की रिपोर्ट जो है यह पी० ए० सी० के सामने पेश हो चुकी है और पी० ए० सी० के सामने फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से सफाई दी जा चुकी है। उन सब बातों पर आठ, सात सफे का नोट मेरे पास है, उसे पढ़ कर सुनाना शुरू करूं तो कदाचित् ठीक नहीं होगा। मैं केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि पी० ए० सी० को हमारे डिपार्टमेन्ट का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी मालूम हुआ और आडिट रिपोर्ट के जो आबजेक्शंस थे उनका तसल्लीबख्श जवाब दे दिया गया। लेकिन मैं फिर भी तफसील से देख लूंगा।

लोकेशन आफ हैडक्वार्टर्स की बात जो है वह भी गवर्नमेन्ट के जेरे तजवीज है। यह ठीक है कि अंग्रेजों के जमाने में हेडक्वार्टर नैनीताल बनाया गया था इस्टर्न सर्किल का भी, वेस्टर्न सर्किल का भी और लैंड मैनेजमेन्ट का भी। सबका हेडक्वार्टर वहीं था। उसमें हो सकता है उनको कुछ सहूलियत रही है। लेकिन आजकल यह बात ठीक है कि उसमें जनता को तकलीफ होती है

[श्री चरणसिंह]

और गवर्नमेन्ट को भी इन्तजाम करने में तकलीफ होती है। चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट तो यहां रहते हैं और हेडक्वार्टर उनका वहां है तो बहुत दूर पड़ता है। यह ठीक है कि कम्यूनिकेशंस में बड़ी आसानी आज हो गई है। टेलीफोन, वगैरह सब है लेकिन फिर भी कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। अगरचे मुझे डर है कि हमारे दोस्त नैनीताल के यही चाहेंगे कि हेडक्वार्टर यहीं रहे। उनकी यह बात केवल एक लोकल सेन्टीमेंट हो सकती है। लेकिन जहां तक वाइडर पब्लिक इन्टरेस्ट का तकाजा है वह हेडक्वार्टर यहां आ जाना चाहिये। उस पर विचार हो रहा है। अभी पूरा फैसला हुआ नहीं है।

डी० एफ० ओज० की बात मेरे एक माननीय मित्र ने उधर से कही कि डी० एफ० ओ० हल्द्वानी के वहां रहते हैं नैनीताल में। यह बात ठीक है। मेरी नोटिस में आयी थी तो मैंने कहा चीफ कन्जर्वेटर से कि कम से कम अपने डिवीजन के बीच में रहना चाहिये। तो कुछ उन्होंने बताया कि शायद बिल्डिंग्स नहीं हैं। पहले से उनके आफिसेज वहीं थे डी० एफ० ओ० के नैनीताल में और कुछ ऐसा काम बताया कि कई महीने हर सूरत में उनको नैनीताल जाना ही पड़ेगा और कुछ काम करने के लिए। यानी हम कोटद्वारा या हल्द्वानी के अन्दर डी० एफ० ओ० का हेडक्वार्टर बना भी दें तब भी उनको वहां आठ महीने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा कुछ मुझे याद है उन्होंने बताया था। लेकिन जब सबके हेडक्वार्टर्स के लोकेशन की बात है तो उस वक्त उस पर भी विचार किया जाय।

अब सैलरी आफ फारेस्ट आफिसर्स की बात इधर से कही गई। वह बात बिलकुल मुनासिब है और जेरे तजवीज है। यह बात ठीक है कि उनकी तनख्वाह कम है। लेकिन कम तनख्वाह है, पेट नहीं भरता इसलिए वह कुछ बेईमानी कर लें इस राय से मैं सहमत नहीं हूं। अगर पेट नहीं भरता है तो इस्तीफा दे देना चाहिये, लेकिन कोई हक किसी राजकर्मचारी को गलत काम करने का नहीं है। लेकिन हम ऐसा मौका ही क्यों दें? अगर हम समझते हैं कि वे लो पेड हैं और उनको तकलीफ है तो हमें उसे दूर करना चाहिये। हम उस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है।

एक साहब ने बताया कि कुछ लोगों को बसाया गया था, लेकिन उन्होंने जमीन पसन्द नहीं की और यह सजेक्ट किया कि तराई की जमीन उनको दे दी जाय। मैं इसके लिये अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी करूंगा। वैसे उनकी तजवीज ठीक मालूम देती है।

इसके अलावा कुमाऊं फारेस्ट कमेटी की बात है। वह बड़ी भारी रिपोर्ट है और उसमें १२० सिफारिशें हैं। १० दिसम्बर को उस पर विचार करने के लिये एक मीटिंग भी बुलायी गयी थी। वह रिपोर्ट १० दिसम्बर, १९५९ को सबमिट हुई थी। कोई माकूल वजह ही रही मेरे प्रिडिसेसर के सामने जिसकी वजह से वह इतने दिन तक पब्लिक से दूर रखी गयी। तो मैंने यह तय किया कि इसे सदन की मेज पर रखवा दिया जाय। कौंसिल में वह रख दी गयी है, यहां भी मेज पर रख दी जायगी। उसमें से ४० सिफारिशों पर निर्णय लिया जा चुका है और ८० पर निर्णय लेना बाकी है। यही मोटी-मोटी बातें जिनको बहस में उठाया गया था और जिनकी बाबत मैंने अर्ज किया। मुझे आपसे कुछ और कहना नहीं है सिवाय इसके कि मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुदान को मंजूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि मद वन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४––वन के अन्तर्गत ४,९७,५४,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१––सिंचाई अधिष्ठान

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ७,२९,११,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ७,२९,११,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २५,५३,७४,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २५,५३,७४,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

*श्री शांतिप्रपन्न शर्मा––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १६,३२,९५,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)––

आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । साल भर के बाद तो यह बजट पेश होता है । मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं तो क्यों नहीं वही इसको पेश कर रहे हैं ? अगर न रहें तो वह पेश कर सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नेकाराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

यह संसदीय परम्परा है। अगर मंत्री जी न आते, घर पर बैठे रहते बीमार होकर तब तो ठीक था, लेकिन जब उपस्थित हैं तो यह हाउस आफ कामंस की और लोक सभा की परम्परा है कि वह स्वयं मांग प्रस्तुत करें। अगर उपस्थित न हों तभी वह डिप्टी मिनिस्टर को अधिकृत कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उचित तो यही होता, लेकिन उनका स्वास्थ्य इन दिनों खराब रहा है, मुझे बरसनली मालूम है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

आज भी काफी खराब है। रात को टेम्परेचर रहा है, मुझे जानकारी है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग का काम नहर बनाना, उनसे पानी लेना, बांध बनवाना, नलकूपों का निर्माण करना, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका सिविल वर्क करना।

पिछले दिनों में हमने एक बड़ा भारी काम किया और वह था बाढ़ नियंत्रण का। माननीय वित्त मंत्री जी जब इस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने अपने जमाने में एक नया काम किया था और वह था गांवों को ऊंचा करने का। प्लान के शुरू में होने से पहले हमारा कैपिटल आऊटले ३६ करोड़ रुपये का था, इस वक्त तक हमने करीब १५० करोड़ खर्च कर लिये हैं और हम चाहते हैं कि इस प्लान के अन्त तक वह १९३ करोड़ के करीब हो जाय।

प्लान से पहले सिंचाई की क्षमता हमारे यहां करीब ३६ लाख एकड़ की थी, जो करीब १८ फीसदी के थी, इस साल वह बढ़ कर ११७ लाख एकड़ के हो गयी और हमारा ध्येय यह है कि इस प्लान के अन्त तक वह बढ़ कर १३० लाख एकड़ के हो जाय।

हमारे प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे थे कि जहां जमीन तो बहुत थी, लेकिन सिंचाई के साधन बहुत कम थे। जैसे ईस्टर्न जोन में सिंचाई करीब-करीब २.३ फीसदी हुआ करती थी। यहां हमने एक नयी चीज को बढ़ावा दिया। वह था नलकूप लगाने का। दिसम्बर, ६३ तक हमारे प्रदेश में लगभग ७,६६७ नलकूप लगे। जितने नलकूप हमारे प्रदेश में हैं, उतने संसार के किसी हिस्से में नहीं हैं।

हमारे विभाग का जो काम है वह बहुत आसान काम नहीं है। जो माननीय सदस्य पहाड़ों पर गये होंगे उन्होंने हमारी स्कीम को देखा होगा। जो रास्ते हमने वहां बनाये हैं वह कितना मुश्किल काम है? कितने ही आदमी तो काम के दौरान में ही मर गये। कहीं ठेकेदार का पैर फिसल गया, तो कहीं कुछ और हो गया और वह मर गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिंचाई विभाग का काम बहुत मुश्किल है। आपको मालूम है कि गन्डक में बहुत भारी फ्लड आया करता था। वह स्पिन करके जो इस तरफ आ गयी थी, हमने कोशिश करके उसे पुरानी धारा में ही बांध दिया। हमारे इंजीनियर्स ने इस साल बड़ी कोशिश करके, मेन धारा को बांध कर डाइवर्ट कर दिया है और नैपाल सरकार से करीब करीब इजाजत मिल गई है और वह बांध बन जायगा। पांडेय जी के यहां, देवरिया और गोरखपुर में खास तौर से जो बड़ी भारी बाढ़ आया करती थी, अगर कोई खास दिक्कत नहीं हुई तो वह बाढ़ आनी बन्द हो जायगी। इस साल भी जो कोई लोग कर नहीं सकते थे, बिहार वाले भी नहीं कर सके, हमारे इंजीनियर्स ने गन्डक के प्रवाह को दूसरी ओर को मोड़ कर ऐसा काम किया है जिसकी सराहना सब लोग दिल्ली तक करते हैं कि हमारे विभाग ने बड़ा भारी काम किया है।

जहां तक आमदनी का सवाल है, ट्यूबवैल से ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। यह हमारा ध्येय भी नहीं है। वह हो भी नहीं सकता है। सिंचाई का उद्देश्य अधिक अनाज पैदा करना है और दूसरी सुविधायें भी इससे मिलती हैं। अगर हम रिटर्न्स को देखें तो बहुत सी योजनायें चल ही नहीं सकती हैं। खास तौर से ट्यूबवेल ज्यादा पे कर भी नहीं सकते चूंकि उनकी कास्ट अधिक होती है और पानी कम लिया जाता है। लोगों को चाहिये कि अधिक पानी लें।

पिछले दिनों में आदरणीय सदस्यों ने ट्यूबवैल की नालियों के बारे में शिकायतें की थीं और यह भी कहा था कि इंजिन खराब हो जाने से पानी नहीं मिल पाता है। हमने निश्चय किया है कि १० परसेन्ट पार्ट्स हम इंजनों के स्पेयर रखेंगे ताकि समय से उन्हें ठीक किया जा सके। हमने यह भी निश्चय किया है कि ट्यूबवैल की नालियां जो अभी तक १ मील कच्ची और १ मील पक्की होती थीं, वे अब २ मील पक्की और ३ मील कच्ची नाली हर ट्यूबवैल के साथ लगा दें जिससे ज्यादा दूर तक पानी पहुंचे। जैसा एक सवाल के जबाब में भी पिछले दिनों कहा था, यह भी आदेश दे दिये हैं कि नालियों की देख-भाल आपरेटर करेंगे और उसमें माननीय सदस्यों के सहयोग की भी आवश्यकता तो है ही। हम चाहते हैं कि आपरेटर को एक सीमेंट का कट्टा और कन्नी भी दे दें जिससे नाली का छोटा-मोटा रिपेयर वह कर सकें। पक्की नाली भी मिट्टी पर बीच में तिरछी ईंट रख कर बनाते हैं जिससे कास्ट ज्यादा न हो। इस तरह से बनाने से १३,००० रुपया फी मील उस नाली की कास्ट आती है। अगर हम वैसी नाली बनावें जो ज्यादा मजबूत रहे और खराब न हो, तो उसमें कास्ट ३१,००० रुपया फी मील आती है।

हम यह भी चाहते हैं कि हमारे विभाग के बड़े-बड़े इंजीनियर्स बीच-बीच में जाकर देखें कि खराब ट्यूबवैलों को जल्दी से ठीक कर दिया जाय। हमारे विभाग का काम आप लोगों के सामने है। मैं आंकड़े इसलिये पेश नहीं करना चाहता कि अगर आप नहर विभाग को पसन्द करेंगे तो आपकी पसन्द सबसे बड़ी पसन्द है और जो कमियां आप बतावेंगे उन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जितनी हमारी क्षमता है उससे जितने भी साधन हम इकट्ठा कर सकेंगे, करेंगे, और विभाग में जो थोड़ी-सी वह हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य—के अन्तर्गत जो मांग पेश की गई है उसमें कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्यों के अधीन मांग की राशि घटा कर १०० रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य है—विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार फ्री सिंचन करना और उगाना, विभाग में पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़, वेस्टेज, यानी नौकरशाही द्वारा प्लान में सैबोटेज, खाओ और खिलाओ की नीति और लेजिस्लेचर को धोखा देना। श्रीमन्, किस तरह इस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह पब्लिक धन से खिलवाड़ करके रुपया बर्बाद किया है? प्लान के लक्ष्य पूरे न करके प्लान को सेबोटेज किया है और किस प्रकार लेजिस्लेचर को इस विभाग ने धोका दिया है इसके अनेक उदाहरण आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। साथ ही किसानों को समय पर आवश्यकतानुसार पानी न देकर प्रोडक्शन को चौपट किया है।

श्रीमन्, इस विभाग के दो फंक्शन्स हैं। एक तो यह है कि खेतों को सिंचाई के लिये काफी मात्रा में आवश्यकतानुसार पानी दे और समय पर दें। दूसरा काम इस विभाग का यह है कि इर्रीगेशन तो करे ही, लेकिन इर्रीटेशन भी करे। इर्रीटेशन का मतलब यह है कि वह नाराज किसानों को करें, लैजिस्लेचर को करें, गवर्नमेंट आफ इंडिया को करे। कैसे इर्रीटेशन करता है, इसके ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

[श्री नोहराम शर्मा]

पहला उदाहरण है—works executed without specific budget provision, दूसरा works costing more than Rs. 5 lakhs each including in the budget but not executed, तीसरा works estimated to cost more than Rs. 5 lakhs each executed without sanctioned estimate अंतिम स्वीकृत तखमीने से ज्यादा खर्च किया बजट में स्पेसीफिक प्रावीजन के बिना इस विभाग ने १९६१-६२ में ३७ वर्क्स जो २ लाख रु० के तखमीने से ज्यादा थे, शुरू कर दिए। नियमानुसार २ लाख रु० ऊपर खर्च नहीं कर सकते जब तक कि लेजिस्लेचर से स्वीकृति न ले ली जाय। इस प्रकार १३.७३ लाख रु० खर्च कर दिया और लेजिस्लेचर को इगनोर कर दिया। श्रीमन्, इस विभाग के ऊपर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है लेकिन यह विभाग अभी तक उतना पानी नहीं दे पाया जितने की हमें आवश्यकता है। जबकि फसल के लिये ३ और ४ पानी की आवश्यकता होती है लेकिन एक पानी ही आप दे पाते हैं और फसल पड़ी सूखा करती है। आप एरिया बढ़ाते जाते हैं और कहते हैं कि हमारा इर्रीगेशन बढ़ गया। आवश्यकतानुसार आप पानी नहीं दे पाते हैं। अलोगढ़ में भी पैकेज स्कीम के मातहत जो कृषि हो रही है, उसको भी आप पानी सप्लाई नहीं कर पाये। फसल बरबाद होती रही और आपके बंबे सूखे पड़े रहे। इस प्रकार का इर्रीगेशन यह विभाग करता है।

दूसरा यह कि बहुत से काम इस विभाग ने ऐसे किये जिनका बजट में प्रावीजन नहीं था लेकिन वर्क एक्जीक्यूटिव किये गये। तीसरा यह कि जिन वर्क्स के लिये बजट में प्रावीजन किया गया था उनको एक्जीक्यूट नहीं किया गया, अपने निकम्मेपन के कारण। चौथा यह कि जो हमने सेंक्शन किया था उससे ऐक्सेस खर्च कर दिया। जिन वर्क्स के लिये बजट में प्रावीजन नहीं था उन पर रुपया खर्च किया गया और जिनके लिये प्रावीजन था, उनमें खर्च नहीं किया गया। यह लेजिस्लेचर को धोखा देना है। ३७ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिये बजट में प्रावीजन नहीं था और उन पर दो-दो लाख के करीब खर्चा किया गया। मुझे खुशी होती अगर वे अच्छे काम हुए होते। काम शुरू किये गये लेकिन लाखों रुपया बरबाद करके वर्क्स खत्म कर दिये गये। इस विभाग ने पब्लिक धन का क्रिमिनल वेस्ट किया है। हरिद्वार में तीन पुल बनने वाले थे, उनके लिये बजट में ७ लाख रुपया प्रावीजन किया गया लेकिन वे आज तक बन नहीं पाये। २२ काम ऐसे हैं जिन पर १,९९,५५,००० रुपया बिना एस्टीमेट्स में सेंक्शन किये ही खर्च कर दिया गया। ३१ मार्च, ६२ तक १०,८७,९०,००० रुपया एक्सेस पर खर्च कर दिया गया। इसके अलावा ९ बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स शुरु किये गये, राम गंगा, टांडा पंप कैनाल और नारायणी प्रोजेक्ट, इनके टारगेट्स अचीव नहीं हुए। ६ ऐसे वर्क्स हैं जिनके एक्सपेंसेज कलेक्शन से एक्सीड करते हैं। इनमें ९,१३,००० रुपये का नुकसान हुआ। इस प्रकार से पब्लिक धनी को वेस्ट किया गया है।

इसके अलावा कैपीटल एक्सपेंडीचर के लिए रुपया लिया गया। इस रुपये पर लाखों रुपया सूद का दिया गया। जितना रुपया लिया गया वह खर्च नहीं हो पाया। जितना रुपया हम केपीटल एक्सपेंडीचर करते हैं वह कर्ज लेकर प्रदेश में असेट्स क्रीयेट करने के लिए लेकिन यह विभाग वह रुपया खर्च नहीं कर पाया और लाखों रुपया सूद हमने दिया और देना पड़ रहा है। कई उदाहरण, श्रीमन् मैं सदन में प्रस्तुत करता हूं। एक प्रोजेक्ट चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ। जब यह मंत्रिमंडल आया तो इसने घोषणा कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द का मंत्रिमंडल निकम्मा था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसको समाप्त करने के लिये करप्शन को बन्द करने में नाकामयाब रहा और उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हमारा कार्यकारी मंत्रिमंडल करप्शन को दूर कर देगा और इसका कोई मुकाबला नहीं होगा इतिहास में। मैं इस सरकार के ऊपर चार्ज लगाता हूं कि उसने पब्लिक का पैसा बुरी तरह से बर्बाद किया है। मैं बतलाऊं कि सन् १९६०-६१ में चित्तौड़गढ़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका एस्टीमेट्स १ करोड़ ५ लाख रुपये का था, उसके बाद रिवाइज्ड

एस्टीमेट १·९८ करोड़ का हुआ जिससे सिंचाई २२,९०९ एकड़ में होने को थी लेकिन बाद में चीफ इंजीनियर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अनइकोनामिक है, इसे बन्द करो। इस तरह से उसमें १.३ लाख रुपये का वेस्ट हुआ।

इसी तरह से तकिया प्रोजेक्ट १९६१ में शुरू हुआ जिसका एस्टीमेट पहले २६.४ लाख रुपये का था, रिवाइज्ड एस्टीमेट ४७.५८ लाख का हो गया और जुलाई में चीफ इंजीनियर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अनइकोनामिक है, इसे बन्द करो। इसमें १.७६ लाख रु० का वेस्ट हुआ। नवल गढ़ प्रोजेक्ट १९६१ में शुरू हुआ और १९६२ में बन्द कर दिया गया। इसमें ६२,२६९ रुपये का वेस्ट हुआ। एक तरफ तो पब्लिक पर टैक्स बढ़ाया जाता है और हमसे अपना पेट बांधने के लिये कहा जाता है और दूसरी तरफ हमसे लिया हुआ रुपया विभाग द्वारा इस तरह से बर्बाद किया जाता है। माफ कीजिये यदि आप रूस में होते तो इसी पर शूट कर दिये गये होते। लेकिन यह तो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में क्या नहीं हो सकता। इसके लिये किसी भी हालत में इस मिनिस्टरी को माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन यह ब्यूरोक्रैसी का ही बोलबाला है जहां का टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। यहां पर अच्छे-अच्छे आफिसर रिटायर कर दिये गये। विष्ट रिटायर कर दिये गये लेकिन श्री ए० एन० मित्रा जो पहले चीफ इंजीनियर थे उनको इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया और ११ साल से उनका एक्सटेंशन हो रहा है। ऐसे लोग भी इस विभाग में हैं जिन्हें कन्सट्रक्शन का कोई ज्ञान नहीं है। इस विभाग से अच्छे अच्छे लोग धीरे धीरे गायब कर दिये गये और निकम्मे जी हुजूर भर दिए गए। ठाकुर सुमेरसिंह को एक कुत्ते को लेने का चार्ज लगा कर हटा दिया गया कि किसी गुप्ता को लाना था, उजागर लाल चतुर्वेदी को हटा दिया। किसी जैन को लाना था। अच्छे व्यक्ति हटा दिए या रिटायर कर दिये और निकम्मों को एक्सटेंशन देते जा रहे हैं बंद करिए यह खिलवाड़।

इसी तरह से बीरपुर कोसी प्रोजेक्ट १९६१ में शुरू हुआ जिसका एस्टीमेट ३००.४ लाख का था और सिंचाई ३०० एकड़ में होने को थी लेकिन बाद में चीफ इंजीनियर ने यह कह दिया कि यह अनइकोनामिक है, इसे स्टाप करो। इसमें ६१,३६१ रु० खर्च हुआ था जो बर्बाद हुआ। टुरिया मारी प्रोजेक्ट २१.७९ लाख का स्वीकृत हुआ था जिससे सिंचाई ३,९६० एकड़ में होने को थी लेकिन बाद में उसके लिये भी चीफ इंजीनियर ने कह दिया कि यह अनइकोनामिक प्रोजेक्ट है, इसे बन्द करो। १ लाख ७२ हजार रुपये का वेस्ट हो गया। हिसाब जोड़िए तो मालूम होगा कि लाखों रुपया वेस्ट हो गया। सैंक्शन नहीं, मंजूरी कर दी। काम शुरू हो गया। चीफ इंजीनियर बाद में कहते हैं कि यह सब वेस्ट है, अनएकोनामिक है।

श्रीमन्, इतना ही नहीं। प्रदेश में सबसे बड़ा खतरा आने वाला है। स्टेट की सारी एकोनामी समाप्त हो जायगी। रिहन्ड डाम जो आपने बनाया था वह चोटी तक नहीं भरा। आप कहते है कि जाड़ों में २० परसेंट वर्षा कम हुई है इसलिए भर नहीं पाया। तो इसके साथ इन इंजीनियरों ने खिलवाड़ किया वरना यह प्रोजेक्क अनइकोनामिक नहीं होता। पानी की लेविल ८ फुट तक भी नहीं हो पायी। इसके जबाव में कहा गया कि वर्षा कम हुई। तो जब आपने इसका डिजाइन किया था उस वक्त आपने ५० वर्षों की औसत वर्षा लेकर डिजायन किया था। इसकी कल्पना क्यों नहीं की थी। प्लानिंग का अभिप्राय यही है ये सब चीजें देख ली जाती हैं? कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है, इन नैचुरल कैलेमिटीज का भी। प्लानिंग कमीशन निर्माण की जो बात कही गयी तो प्लानिंग कमीशन का बनाना बिलकुल वेस्ट होगा। अगर आपको काम करना है तो आप एक कमेटी जांच के लिए बना दीजिये। इस मिनिस्ट्री ने और इन हमारे इंजीनियर्स ने कैसा सेबोटेज किया? बड़ा खतरा है रिहन्ड डाम से फेल होने का। कहा गया था कि बिजली प्रदेश में ही खपेगी हम कलकत्ते तक ले जा रहे हैं। पर पता चला है कि यह प्रोजेक्ट एक बहुत ही अनएकोनामिक है। स्टेट को भारीक्षति पहुंचेगी यदि यह प्रोजेक्ट भी असफल रहा।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, मैं माननीय शांति प्रपन्न जी से, जो कि एक बहुत अच्छे डिप्टी मिनिस्टर हैं, प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आपने बिजली का सुधार किया इसे भी सुधारने का प्रयास करेंगे। इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब की हिम्मत नहीं हो सकी कि वे इस बजट को पेश करते इसलिए शांति जी को शांति के लिये भेजा है। हमें उनसे उम्मीद है ये कुछ काम करके दिखायेंगे। आज से हम नैक्स्ट बजट में देखेंगे तब ही उनकी आलोचना और समालोचना करेंगे। श्रीमन्, आगरा जिले में एक बहुत बड़ा स्कैन्डल हो गया, १ करोड़ वेस्ट हो गया। न तो इर्रीगेशन पोटैन्शियल बढ़ा और न पानी मिला। जब उसमें सोर्स आफ वाटर ही क्रीएट नहीं करेंगे तो पानी कहां से मिलेगा? आगरा केनाल के सम्बन्ध में सबसे बड़ा गोलमाल हुआ है। एक करोड़ बर्बाद कर दिया। क्या सरकार बतायेगी एक करोड़ खर्च करके कितना अतिरिक्त पानी का सोर्स बढ़ाया? मेरी सूचना है कुछ नहीं उल्टा नहर की सतह नीची हो गई और कुलाबों से पानी निकलना बन्द हो गया। यह पब्लिकमनी से खिलवाड़ है।

श्रीमन्, तीसरा वैस्ट माताटीला डाम पर हो रहा है। उस पर ४ करोड़ के स्थान पर १२ करोड़ खर्चा हुआ है और १ करोड़ रुपया खर्च सूद पर हर साल हो रहा है। माताटीला डैम तैयार हो गया और पावर हाउस आज तक नहीं बना है। डैम को ४ साल हो गये कम्प्लीट किये हुये पर अभी तक पावर हाउस नहीं बन पाया। इस सम्बन्ध में एक जो बड़ी दिलचस्प है रिपोर्ट पढ़ देता हूं। माता टीला डैम में नहर इसलिये नहीं बन पाई कि वहां डकैती बहुत पड़ रही है। श्रीमन्, वह इस प्रकार है कि--

"All important works on the Dam have been completed. The work on the Bhandar Canal System will provide irrigation in Madhya Pradesh received a setback due to dacoit activities in the area. It is likely to be completed in 1964-65, if conditions improve."

श्रीमन्, अगर शांति एवम् व्यवस्था की कंडीशन्स इम्प्रूव हुईं तो नहर बनेगी वरना नहीं बनेगी। मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि डाकुओं के कारण नहर खुदना बंद हो गई हो। अगर आप नहर खोदना शुरू कर देंगे तो डाकुओं को मजदूरी मिल जायगी और वे डकैती डालना बन्द कर देंगे।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, इतना निकम्मापन इस विभाग में है कि इस बात को फारेन में सब लोग पढ़ेंगे कि डाकुओं की वजह से नहर नहीं खुद सकी तो हमारी मजाक उड़ेगी। आपके यहां ला एण्ड आर्डर यही है कि नहर तक नहीं बन सकी। (व्यवधान) आपने प्रोजेक्ट अपने लिये बनाया है या मध्य प्रदेश के लिये बनाया है? यह भी एक प्रश्न है।

श्रीमन्, दूसरा उदाहरण रुपया की बर्बादी का प्रोजेक्ट गन्डक कैनाल का है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के इंजीनियर की रिपोर्ट है कि यह सब से अच्छा भारत भर में प्रोजेक्ट है। १९६० में इस पर काम शुरू किया गया और अब इसकी क्या हालत है यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं? वहां पर कितना रुपया बर्बाद हुआ, कितना काम हुआ? मेरी सूचना यह है कि वहां पर रुपया बर्बाद हुआ है और कोई काम नहीं हुआ है और आफिसर्स के टी० ए०, डी० ए० बन रहे हैं। दूसरा आप रामगंगा का प्रोजेक्ट लीजिये। इसमें २७ करोड़ रुपया खर्च हुआ। बाद में यह प्रोजेक्ट ६८ करोड़ का हो गया। मैं चाहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर साहब वहां जायं और देखें कि वहां कुछ काम भी हो रहा है या खाली आफिसर्स के बंगले वगैरा बन रहे हैं? मैं हृदय की बात कह रहा हूं कि सारा रुपया बर्बाद हो रहा है। श्रीमन्, आप आज कल के जमाने में स्टीम से बिजली बना रहे हैं लेकिन आपका हाइडिल का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है और न उसकी योजना है। जिस प्रदेश

में हाइडिल से बिजली पैदा करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं बना तो वह अपने यहां सस्ती बिजली पैदा नहीं कर पाया। अगर आप कोई हाइडिल प्रोजेक्ट लायेंगे तभी आपका बिजली का प्रोडक्शन बढ़ेगा और सस्ती बिजली देने में समर्थ नहीं होंगे, अभी तो कुछ नहीं लेकिन १० साल बाद स्टेट की हालत बिगड़ेगी। आपका कैसा प्लानिंग है ? आपकी एक भी हाइडिल की योजना नहीं है। नल कूपों से जो राजस्व को हानि हो रही है वह तो सहन भी नहीं की जा सकती। आपके ८०–९० ट्यूबवेल्स का तो पता ही नहीं। कागज पर जरूर है ?

श्रीमन्, मुझे दुख हुआ कि एक साहब मेरे पास आये कि मंत्रिमंडल से उनके पास पत्र आया है कि मिल लीजिये अगर कंफरमेशन चाहते हैं। उस समय ९० इंजीनियर्स का कंफरमेशन हुआ था। दो साहब आये थे। एक ने कहा कि मैंने तो बोला था इसलिये उनको १० हजार रुपया दे दिया और दूसरा मेरा हो गया। दूसरे ने कहा कि मेरे पास रुपया नहीं है, इसलिये मेरा नहीं हो सका। मैंने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं।

यह विभाग गवर्नमेंट को भी करोड़ों रुपये की चोट दे देता है आपसे क्या लेगा ? मैं जानना चाहूंगा कि इसका पता लगायें कि कहां तक यह सत्य है वह कौन था, किसने लेटर लिखा ?

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि रुड़की से उजागर लाल चतुर्वेदी साहब को लाये चीफ इंजीनियर बनाने के लिये क्योंकि किसी को प्रोवाइड करना था। अतः उन्हें रुड़की लौटा दिया और वहाँ भी उनका हक मारा गया। यहां ११ साल से एक्सटेंशन्स लिये मित्रा साहब बैठे हुये हैं। अतः उन्हें रुड़की लौटा दिया और वहां भी उनका हक मारा गया। यह हैं पक्षपात के उदाहरण।

तीन बातें श्री प्रपन्न जी ने कहीं विभाग के पक्ष में। पहली बात यह कही कि गांव ऊंचे किये। १५० करोड़ रुपया खर्च किया और १९३ करोड़ खर्च करेंगे। हजारों रुपया गूल्स पर वेस्ट हुआ है। गूल्स बनीं और तोड़ी गयीं। १,६०० ट्यूबवेल्स के लिये इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड ने रुपया देने को कहा। उन्होंने कहा कि हम आपको डेढ़ परसेंट पर रुपया देंगे, दस साल तक रुपया वसूल नहीं करेंगे और चालीस साल में रिपे कर दिया जायगा। आपके एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमारे ट्यूबवेल्स सक्सेसफुल नहीं हुए, क्या लघु सिंचाई योजना बनायेंगे आप नहीं मानते तो हम आठ सौ ले लेंगे। अब फिर नलकूप बनाने की कहते हैं कि ट्यूबवेल्स बड़े लाभप्रद हैं जब १,६०० ट्यूबवेल्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड दे रहा था तो केवल आठ सौ लिये। अब आप कर्ज ले रहे हैं चार परसेंट पर। यह योजना है, या खिलवाड़ है, तमाशा है ? यह क्या मंत्री जी के घर का रुपया है जो इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं ? अब आप फिर ट्यूबवेल की स्कीम बना रहे हैं। उस समय उस योजना से क्या लाभ उठाया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप कह दीजिये कि ट्यूबवेल न बनायें।

श्री नेकराम शर्मा—

आप ट्यूबवेल बनायें। लेकिन आप प्लानिंग के युग में हैं, आपको बनाना है या नहीं बनाना है यह अच्छी तरह से सोच लेना चाहिये। यह नहीं कि रोज-रोज नीति बदलो। सोच समझ कर निर्णय लो। कामर्शल साइड में जो ट्यूबवेल्स हैं उनमें साढ़े चार करोड़ का नेट नास हो रहा है। यह स्टेट ट्यूबवेल्स की हालत है। पेपर्स पर कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स हैं लेकिन मौके पर नहीं हैं। जिस एरिया में लोक लेखा समिति की कमेटी गई लेकिन वहां कुएं ८०, ९० न मिले, कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स नहीं थे। आज आठ, दस साल हो गये सरकार कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स नहीं ले पायी, सरकार इसका उत्तर दे। इंजीनियर्स का हाल यह है तब से चार पांच गुना ट्यूबवेल्स की कीमत बढ़ा दी है जो नलकूप १९४६ में १३ हजार में बनता था वह आज ७० या ८० हजार में बनता है। विभाग ने कैबिनेट डिसीजन को इगनोर किया। क्यों नहीं कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स विभाग ने लिये ?

[श्री नेकराम शर्मा]

शार्टफाल देखिये । १९५१–५२ में हमारा एरिया था करीब ३,९०,७२,८४० लाख और इर्रीगेशन २९.२१४ और १९६१–६२ में जमीन बढ़कर हो गई ४,८८,७५,१७६ और इर्रीगेशन २९ से घटकर २७.५ हो गई । ५१-५२ में २९.२ इर्रीगेट करते थे और ६१–६२ में २७.५ करने लगे और यह मैं कहीं इधर से उधर से नहीं कह रहा हूं । यह किताब है नोट फार दि आफिशियल्स यूज ओनली । इसको मैंने देखा तो इससे यह पता चला कि आफिसर्स के लिये कोई और आंकड़े होते हैं और मैं इसको उठा लाया । तो इससे मैं कोट कर रहा हूं ।

श्रीमन्, गवर्नमेंट आफ इंडिया की प्लानिंग कमेटी आयी । उस कमेटी ने यह कहा कि तीन, सवा तीन सौ एकड़ से ज्यादा कमांड यह ट्यूबवेल नहीं कर सकते और यहां आपने रखा हुआ है ५०० एकड़ । पहले ८०० था अब ५०० किया है । एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात और दूसरी तरफ ८०० एकड़ कमांड एरिया जिसको न आप पानी पहुंचा सकें और न उसके बीच में कुयें बनाने दें किसी को । अभी शांति प्रपन्न जी ने हुक्म किया है कि आधे मोल पर अगर हमारा ट्यूबवेल हो तो वहां आप कुये बना लें । मैं स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं इसके लिये, एक डिपार्चर तो हुआ । इस बात को न चौधरी साहब सोच सके, न पांडेय जी सोच सके, न राममूर्ति जी सोच सके कि जब हम सिंचन नहीं कर सकते तो क्यों इतना बड़ा कमांड रखें । गवर्नमेंट आफ इंडिया की प्लानिंग कमेटी का कहना है कि ३०० एकड़ से ज्यादा कमांड यह कर ही नहीं सकते । तो यह तो इसका हाल है ।

मैं शार्टफाल की बात कर रहा था । टोटल इर्रीगेटेड पोटेंशियल जो है १९५१–५२ में वह था १,३८,७५,१०८ और १९६१–६२ में वह रह गया और भी कम । ज्यों-ज्यों खर्च बढ़ा त्यों-त्यों रकबा १० साल में कम सिंचित हुआ यानी घटा और इस पर भी कहते हैं कि हमने बड़ा तीर मारा । सारे प्लान को इन्होंने सैबोटेज किया । क्यों किया ? इसलिये किया कि अगर प्रोडक्शन किसान का बढ़ा तो उत्तर प्रदेश का किसान सम्पन्न होगा। वह खाना पीना आराम से प्राप्त होगा और जब खायेगा पीयेगा तो सोचने और समझने की उसकी ताकत बढ़ेगी । और सोचने समझने की ताकत बढ़ेगी तो वह रिवोल्ट करेगा इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इस नौकरशाही के खिलाफ । इसलिये इन्होंने कहा कि रक्खो इसको जहां था वहीं । बड़ी भारी साजिश थी कि इसको भर पेट खाना पीना न दो । न सोच समझ पायेंगे और न रिवोल्ट कर पायेंगे । इतना बड़ा षड़यंत्र ? श्रीमन् आप ऊपर से इसका अन्दाज नहीं लगा सकते लेकिन फैक्ट यही है ।

फूड मिनिस्टर साहब ने बताया कि १,६९,५७८ टन गेहूं प्रदेश में बाहर से आ रहा है । ४० रुपया टन आप उसे बेचते हैं। गुणा कर दीजिये । लाखों करोड़ों का हो गया और आबपाशी से शांति प्रपन्न जी कितना मिलता है आपको ? तीन चार करोड़ । कर दीजिये फ्री इर्रीगेशन को और करोड़ों रुपया का प्रोडक्शन देखिये किसान बढ़ाकर देता है । इतना रुपया आप गेहूं मंगाने में खर्च करते हैं । इर्रीगेशन को फ्री कर दीजिये, मुफ्त पानी दीजिये । श्रीमन्, इस सोशलिस्ट बनने वाली सरकार ने क्या किया है ? तीन आने रुपया जो रिबेट दिया था वह भी वापस ले लिया । करोड़ों रुपये का गल्ला तो बाहर से मंगायेंगे और श्रीमन्, मैं इधर के भी और उधर के भी सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि अगर इर्रीगेशन फ्री हो जाय तो क्या हम इससे ज्यादा का फायदा नहीं दे सकते ? लीजिये हमसे जितना चाहें उतना, हम प्रोडक्शन बढ़ाकर देंगे ।

अंतिम बात दो हैं श्रीमन् । शांति प्रपन्न जी ने बड़ी तारीफ की गूल बनाने की । गूल बनी और फिर तोड़ी गई । १४,६८१ रु० इसमें खर्च हुआ । हमारे गांव को ही लीजिये । वहां आपरेटर धड़ाधड़ रिश्वत लेता है । बनारस में गूलें बनीं, गोरखपुर में उन पर १२ हजार रुपया खर्च हो गया । आपको बतलाऊं श्रीमन्, कि बनारस में एक रेगुलेटर बना और

वह जो फ्लड लेविल था उससे २६ फीट नीचा बना दिया गया । उस पर ११.९४ लाख रुपया खर्च हो गया । कहते हैं तो छोड़ने को कहा जाता है । यह क्या तमाशा है ? मैं इसके आंकड़े मंत्री जी को भेज दूंगा ।

एक ठेकेदार ने नारायणी पर पुल बनाया । वह दो साल पहले ही बह गया लेकिन अब उसे देर में बनाने के लिये दो साल का टाइम दिया गया है । उस पर १७,१८ हजार रुपया खर्च हो गया है । यह निकम्मापन है सरकार का । इसके बाद आपके सामने रखूं कि एक जालीवाला कम्पनी थी बंबई की । बिलकुल फरजी । कोई नामनिशान नहीं उसका । लेकिन उस से टेंडर ले लिये गये और उसको काम दे दिया गया और यही नहीं, ८० परसेंट एडवांस भी दे दिया था । वह मामला लोकलेखा समिति में आया था और श्रीमन् भी वहां थे । मेरा सुझाव है कि एक बहुत ही हाई पावर विजिलेंस कमीशन बनाया जाय और उससे ही सर्वे कराया जाय कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं ?

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, इस सीमित समय में इस विभाग के केवल ट्यूबवेल सेक्शन की चर्चा करूंगा । सर्वप्रथम मैं वित्त मंत्री के भाषण के उस अंश को पढ़ना चाहता हूं जिसका ट्यूबवेल क्षेत्र में two part tarrif लगाने का जिक्र है । वह इस प्रकार है—इस उद्देश्य से सरकार ने सिंचाई प्रशुल्कों को एक दो मार्ग प्रणाली प्रारम्भ (two part tarrif) करने का निश्चय किया है जिससे किसानों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के इस बात का प्रलोभन मिलेगा कि जो सुविधायें उनको उपलब्ध की गयी हैं उनका वे लाभ उठा सकें । श्रीमन्, संक्षेप में मैं अर्ज करूंगा कि यह निहायत कड़वी गोली ट्यूब वेल क्षेत्र के किसानों को इस सरकार द्वारा निहायत मीठी चीनी लगा कर दी जा रही है । मैं पहले दो तथ्य रखना चाहता हूं । टू पार्ट टैरिफ पर विचार करने के लिये पहले सिंचाई मंत्री जी ने २७ मार्च, १९६३ को कृषि विभाग और सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों की एक बैठक बुलायी थी । उस बैठक में सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों ने इस टू पार्ट टैरिफ का घोर-विरोध किया इस दृष्टि से कि इसका बुरा असर कृषि पैदावार पर पड़ेगा और यह तय हुआ था कि इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के साथ यह प्रश्न इस सदन की सिंचाई स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा जायगा। हरिद्वार में उसकी बैठक बुलायी गयी और उसमें मैं भी आमंत्रित किया गया था । वहां सर्वसम्मति से इस टू पार्ट टैरिफ की योजना को खारिज कर दिया गया । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस डेमोक्रेटिक सेट अप में परामर्शदात्री समिति के सर्व सम्मति से उसे खारिज कर दिये जाने पर भी सरकार ने फैसला ले लिया कि वह योजना लागू की जाय । मान्यवर, टू पार्ट टैरिफ स्कीम क्या है ?

श्रीमन्, फाइनेंशियल पिक्चर उत्तर प्रदेश की ट्यूबवेल की मैं आपके सामने रखता हूं वह इस प्रकार है । श्रीमन, १९४६–४७ में ट्यूबवेल के ऊपर प्रदेश के अन्दर १५,७८,५५३ रुपये का नुकसान हुआ करता था । ज्यों ज्यों ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ती गयी, नुकसान बढ़ता गया । १९५८-५९ में यह बढ़ कर २,१६,८३,१२९ रुपया हो गया । इस विभाग की कोशिश है कि किसी तरह यह नुकसान पूरा किया जाय, चुनांचे इसमें टू पार्ट टैरिफ योजना निकाली गयी कि जितना भी कमांडेड एरिया ट्यूबवेल का है उसमें वह एक स्टैंडिंग फिक्सड ऐनुअल चार्ज लगायेंगे ख्वाह पानी दे पायें या नहीं । १९३६ में जब प्रदेश के अन्दर ५३३ ट्यूबवेल थे उस वक्त प्रति ट्यूबवेल के औसतन रनिंग आवर ३१,७० थे और १९५९–६० में जब ट्यूबवेल ६,२८६ हो गये तो औसतन रनिंग आवर घट करके प्रति tube well २३,९३ हो गये । यह एफिशेंसी की हालत है । १९३६–३७ में प्रति ट्यूबवेल का औसतन कमाडेन्ड एरिया जिसमें आबपाशी होती थी वह ३५३ एकड़ था, वह घट करके ३३० एकड़ रह गया । १९५९–६० में पहले जो ट्यूबवेल बनाये गये थे तो सी० सी० ए० एक हजार एकड़ रखा गया था । दूसरे प्लान में ८६५ एकड़ रखा गया और आज प्रति (Tube well) से केवल ३३० एकड़ की सिंचाई हो पाती है । इसके माने हैं कि

[श्री शिवराज सिंह]

५०० एकड़ पर आप एक स्टैंडिंग ऐनुअल चार्ज लगाना चाहते हैं और पानी नहीं दे पायेंगे। अगर हम टयूबवेल की संख्या ६,००० मान लें तो सारे प्रदेश में ३० लाख एकड़ रकबे पर एक ऐनुअल स्टैंडिंग चार्ज वसूल करना चाहते हैं बगैर आबपाशी किये हुए। यह बात उस वक्त मुनासिब होती जब आप जिनसे यह चार्ज लेंगे उनके थोड़े बहुत खेत सींचते, लेकिन लाखों कृषक ऐसे होंगे जिनके किसी खेत को भी सिंचित नहीं कर पायेंगे और उनसे यह चार्ज वसूल करने की चेष्टा करेंगे। इस प्रकार से कृषक वर्ग के अन्दर एक भारी असंतोष पैदा होगा जिन लोगों को आपके टयूबवेल की आबपाशी से कोई लाभ हासिल नहीं होगा। उनसे यह फीस लेना न्याय संगत नहीं। Tube well Charge एक fee है, टैक्स नहीं।

रनिंग एफिशियेंसी की दशा यह है, कहा गया है कि हम चाहते हैं कि ट्यूबवेल से किसान इस प्रलोभन में आबपाशी करने की चेष्टा करेगा। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, मैं इस संबंध में पी० आर० ए० आई० की एक स्टडी टीम के आंकड़े पेश करता हूं। जिससे ट्यूबवेल की रनिंग एफिशियेंसी मालूम होगी। पूर्वी जिलों में ऐवरेज रनिंग आवर प्रति ट्यूबवेल १,५२६ है और पश्चिम में ३,७३० है। हिसाब लगाया गया है कि जिन ट्यूबवेलों का रनिंग आवर ३,२०० है उनसे नुकसान नहीं होता। तो पश्चिमी टयूबवेलों से नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिये यह टू पार्टेड रिफ स्कीम को आप पश्चिम में सोचें भी नहीं। अगर सोचते हैं तो यह भी बड़ा अन्याय होगा। उस टीम के आबजर्वेशंस हैं कि डिमांड पीरियड में पूर्वी जिलों के अन्दर ३२४ घंटे का एवरेज प्रति कुआं बन्द करने को आया १५,३६ कुल एक कुंआ औसतन चला, ३२४ घंटे बन्द रहा। मिकैनिकल या हाइडेल डिफेक्ट की वजह से। इस तरह से २० प्रतिशत आमदनी तथा पैदावार बढ़ सकती है केवल डिपार्टमेन्ट के मैकेनिकल और हाइडेल एफिश्यंसी के बढ़ने के फलस्वरुप। इसमें श्रीमन्, ११९ घंटे औसतन हाइडिल डिफेक्ट की वजह से बन्द रहे और २०५ घंटे मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से बन्द रहे। इस प्रकार से ६६.२ परसेंट इस विभाग की कार्यक्षमता की कमी के कारण और ३३ परसेंट हाइडिल डिपार्टमेन्ट के कोआर्डिनेशन के न होने के कारण बन्द रहे। यह करेस्पांडिंग फिगर्स पश्चिमी क्षेत्र के लिये ९८३ घंटे हैं और उसका ब्रेक अप इस प्रकार है—८४१ घंटे हाइडिल डिफेक्ट की वजह से और १४२ घंटे मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से बन्द रहे। तो श्रीमन्, अगर हाइडिल और मैकेनिकल डिफेक्ट को दूर करने के लिये कोई स्कीम बनायी जाय तो ३०.७ परसेंट आबपाशी और अधिक हो सकती है और अधिक अन्न उपार्जन में उतनी अधिक सहायता मिल सकती है।

श्रीमन्, इसका कारण क्या है? इसका कारण है विभाग की उदासीनता। आपरेटर्स के बारे में Study Team की Report में क्या लिखा हुआ है उसको श्रीमन्, देखें। ४३ परसेंट आपरेटर्स ने शिकायत की, ईवीडेन्स देकर कहा, अपनी शिकायत लेकर जिले के अफसरों के पास वे गये, लेकिन उनकी शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ४० परसेंट के द्वारा जांच में यह शिकायत की गयी कि उनके नलकूपों की मरम्मत नहीं हुई। ६३.३ परसेंट ने यह शिकायत की कि उनको जब वे शिकायत करने गये तो ट्रेविलिंग एलाऊन्स नहीं दिया गया। इस कारण से आज टयूबवेल को ठीक कराने की उनमें हिम्मत नहीं रह गयी है।

श्रीमन्, Cabinet की प्रोडक्शन की कमेटी ने फैसला किया था कि यह विभाग यह निश्चय करेगा कि फलां तारीख तक (Rainy Season) के बाद हर ट्यूबवेल चल जायेगा। मौसम बरसात में भी यह विभाग काम करेगा। एक निश्चित तारीख तक सब डिवीजनल इन्चार्ज गूलों पर घूम कर यह सार्टिफिकेट देगा कि गूलें तैयार और साफ हो गयी हैं मान्यवर, इस प्रकार के आदेश सिंचाई सचिव की ओर से प्रसारित तो हुए, परन्तु मुझे खेद है कि उस पर अमल न के बराबर हुआ। मैंने अपने क्षेत्र में देखा पान्डे जी सभा सचिव यहां इस समय नहीं हैं. उनकी अध्यक्षता में ३० नवम्बर को बदायूं जिले में एक बैठक हुई थी और उसमें एक यह विशेष प्रस्ताव रखा गया कि १० ट्यूबवेल केवल राक बिसौले Sub-Division में अभी भी ऐसे

हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं निकला, जब कि १५ अक्तूबर तक चलने की निश्चित तिथि रखी गयी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब इस प्रकार की स्थिति है तो टू पार्ट टैरिफ की बात करना कहां तक ठीक होगा ?

यह भी निश्चय लिया गया था कि motors pumps इत्यादि को बजाय मरम्मत करने के रिप्लेस किया जायेगा, अगर मोटर खराब है तो मोटर बदला जायेगा, किन्तु वह भी नहीं हुआ। आज कितने ही कुवें ऐसे हैं जो कि मेकेनिकल डिफेक्ट की वजह से २–३ हफ्ते बन्द रहे।

गूलों की बात कही गयी। P. R. A. I. की Study Tram ने कहा गया है कि पूर्वी जिलों में १८.६ परसेंट कल्चरेबिल कमान्डेबिल एरिया के अन्दर टयूबवेल की गूलें गायब हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि आप ज्यादा स्कीमों की ओर ध्यान न दें, जो स्कीमें हैं उनके कार्यान्वयन की ओर ध्यान दें।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जब आपका एवरेज ३५३ एकड़ की आबपाशी का है तो कोई वजह नहीं है कि आप उससे अति अधिक ५०० एकड़ से अधिक कहीं कल्चरेबिल कमान्डेबिल एरिया रखें। मेरा निवेदन है कि आप पानी के सही डिस्चार्ज को लीजिये। मेरा यह निश्चित मत है कि आज टयूबवेल के रिकार्ड्स में जो डिस्चार्ज दिखाया गये है वह बोगस है। इसका नतीजा यह होता है कि वाल्यूमेटिस डिस्चार्ज हिसाब किताब में गलत होता है और किसान को जितना पैसा देना चाहिये उससे अधिक देना पड़ता है। आपरेटर्स के विषय में प्रोडक्शन सब कमेटी यह निर्णय दे चुकी थी कि वहां पर एग्रीकल्चर डिप्लोमेट रखे जायं लेकिन बावजूद इस फैसले के गत वर्ष जो आपरेटर्स रखे गये वे मैट्रिक्युलेट रखे गये। मैं चाहता हूं कि जो निर्णय एक बार हो जाय उनको कार्यान्वित किया जाय। जो स्टाफ रखा गया है उसको भी ट्रेनिंग कृषि की दी जानी चाहिये। आपरेटर्स खेती के बारे में उदासीन हैं। वह तो केवल यह चाहता है कि उसको आबपाशी हो जाय। जिला बदायूं का एक भी आपरेटर नहीं बता सकते जिसने बिना रिश्वत के किसानों को पानी दिया हो। आप किसी टयूबवेल के बारे में इंक्वायरी करके यह साबित कर दें कि उसने बिना रिश्वत के पानी दिया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्री श्री राम (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कई दिनों से यह सोच रहा था कि मैं किसी विभाग के बारे में अपने विचार प्रकट करूं। सौभाग्य से मुझे सिंचाई विभाग पर बोलने का अवसर मिला है। मैं एक फील्ड वर्कर हूं और खेती करता हूं। अतः सिंचाई के बारे में मुझे कुछ जानकारी है। और कुछ मोटे-मोटे में सुझाव मंत्री जी के सामने रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि यहां जो अधिकारीगण बठ ह उनसे लाभ उठायेंगे और मंत्री जी को भी मेरे सुझावों से लाभ होगा।

हमारे देश में बहुत विस्तृत और सुन्दर जमीन है। जब इस देश में आज के बराबर सिंचाई के साधन नहीं थे, कहीं कच्चे कुए बना लेते थे, कहीं तालाबों से सिंचाई करते थे, कहीं बहती हुई नदियों को रोककर सिंचाई करते थे, उस समय अच्छी आबपाशी करते थे। फिर अंग्रेजों ने नहरें बनाईं, उनसे भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया लेकिन ३७ में जब औपनिवेशिक स्वराज्य हुआ तो ट्यूबवेल लगाये गये और सिंचाई के नये-नये साधन हमारे सामने आये। उस वक्त इस विभाग का काम बहुत सुन्दर होता था। लेकिन जब यह काम और विस्तृत हुआ तो इसका काम खराब होता गया।

मैं मुरादाबाद जिले के बारे में कहना चाहता हूं। मुरादाबाद और बिजनौर का एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर था और बिजनौर में एक डिप्टी इंजीनियर काम करता था। उस समय सिंचाई के कुओं का जनरल ओवरहालिंग अगस्त के महीने में हो जाता था, नालियां ठीक हो जाती थीं, कुओं की पुताई हो जाती थी। सारा काम उस वक्त ठीक हो जाता था लेकिन

[श्री श्री राम]

जब इसके बाद देश आजाद हुआ तो बाद में जितनी योजनायें चलीं, उसके लिये जितना स्टाफ बढ़ता गया, जितना विभाग बढ़ता गया उतना ही उनका काम खराब होता गया। जैसा कि माननीय शिवराज सिंह व श्री नेकराम शर्मा ने कहा। इस संबंध में मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। हमारे देश में जब यह विभाग बढ़ना शुरू हुआ उसके साथ ही इसमें दोष भी बढ़ने शुरू हुए। मिसाल एक लाला ने एक नौकर रखा और उससे कहा कि तुम एक सेर दूध लाकर मुझे शाम को पिला दिया करना। जब उसने दूध पिलाना शुरू किया तो उसमें एक पाव पानी मिला देता था और पाव भर दूध स्वयं पीता था और तीन पाव दूध लाला को पिलाता था। जब लाला को मालूम हुआ कि दूध में कुछ खराबी है तो उन्होंने एक दूसरा नौकर रखा ताकि पहले वाला नौकर किसी तरह की गड़बड़ी न कर सके। जब दूसरा नौकर आया तो पहले वाले ने कहा कि पाव भर हिस्सा तुम्हारा भी रहा और इस तरह से एक सेर दूध में आधा सेर पानी मिला कर वह लाला को पिलाने लगा और आधा सेर दोनों मिल कर पीने लगे। फिर लाला को कुछ सन्देह हुआ तो उन्होंने उन लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर रखा ताकि वह उनका ठीक से सुपरविजन कर सके। फिर उस नौकर ने सुपरवाइजर के लिये एक पाव दूध का प्रबन्ध कर दिया और इस तरह से अब तीन पाव पानी मिला कर एक पाव दूध ही लाला जी को मिलने लगा। फिर उन्होंने एक मैनेजर रखा, फिर चारों ने मिल कर एक एक पाव दूध पी लिया और सोचा कि लाला जी के लिये क्या किया जाय। तो वे एक हलवाई की दूकान से गाढ़ी जमी हुई मलाई लेकर आये और लाला जी के सोते हुए होठों पर लगा दी। जब लाला जी सुबह सो कर उठे तो उन्होंने कहा कि कल शाम को तुम लोगों ने मुझे दूध नहीं दिया, तो उन लोगों ने कहा कि दूध दिया था तो। आप शीशे में अपना मुंह देख लें, अभी तक मलाई मुंह में लगी हुई है। तो यही हालत आज इस विभाग की है।

जैसा कि माननीय नेकराम जी ने कहा कि तराई के इलाके में बड़ी-बड़ी योजनायें चलाने की बात हुई लेकिन पता नहीं उन योजनाओं का पैसा कहां चला जाता है। मेरे यहां कालागढ़ में एक योजना खासन नदी योजना के नाम से बनी लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। इसी तरह मालिन डैम के लिये काफी रुपया रखा गया था लेकिन उसे भी स्थगित कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि उस योजना पर एक लाख से ज्यादा रुपया खर्च हुआ था। इसी तरह से धारा डैम के नाम से एक योजना बनी थी। उसके संबंध में कल परसों मैंने एक प्रश्न भी किया था लेकिन मंत्री जी ने बतलाया कि धारा नाम की कोई योजना नहीं थी। मुझे मालूम है कि नांगल के किसानों को उठाया गया है और धारा डैम है जिस पर काफी रुपया खर्च हुआ है। इसी तरह से पीली डैम नाम की एक योजना थी जिस पर २२ लाख रुपया खर्च किया गया है। धारा डैम में पानी एकत्र नहीं हुआ है। तराई इलाके में कालागढ़ में जो इंजीनियर या ओवरसियर हैं उनको वे अपनी ड्यूटी करने के बदले दिन भर जुआ व फ्लैश खेलते रहते हैं। वहां पर जहां एक बोरी सीमेंट खर्च हुआ उसे कई बोरी दिखलाया गया और मुझे मालूम है कि सैकड़ों बोरी सीमेंट ५ रुपये बोरी के हिसाब से उन लोगों ने पब्लिक के हाथ बेचा। इस तरह से वहां के लोग सप्लाई विभाग से सीमेंट न लेकर सिंचाई विभाग से ही सीमेंट लेते हैं और वहां की सीमेंट नूरपुर तक बिकती है। सीमेंट बेचने वालों के मैं नाम भी बतला सकता हूं। ऐसे दो आदमी हैं जो नहला दहला के नाम से कहे जाते हैं। ऐसी १०५ बोरी सीमेंट अफजलगढ़ में पकड़ी गयी थी जिसमें से १०० बोरी तो थाने में ही पड़ी रहीं और ५ बोरी कांस्टेबिल ही ले भागे। इस तरह से वहां की अधिक सीमेंट ब्लैक मारकेट में बेची जाती है।

श्रीमन्, मैं यह भी जानता हूं कि अमेरिका से कालगढ़ एक्सपर्ट आये डैम को देखने के लिये, उनकी रिपोर्ट क्या आयी? मैंने एक प्रश्न इस सम्बन्ध में दिया है। इसी तरह से लुमानिया डैम की बात है जहां ईख की बोवाई के लिये ८ आने के हिसाब से पलेवा कराया गया और गेहूं की फसल बोने का वक्त आया तो कहीं पानी ही नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि ८ आने की आबपाशी पड़ने वाली थी और ईख में ५ ६० बीघा आबपाशी पड़ेगी।

नलकूपों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। उसकी स्थिति यह है कि जिस तरह से भेड़िये का शेर के मुंह में मनुष्य का खून लग जाता है तो वह मनुष्य को मारने लगता है। आज हमारे जो मौके पर मिस्त्री या सुपरवाइजर काम कर रहे हैं वे जानबूझ कर उस वक्त उन मोटरों को खराब कर देते हैं जबकि किसान को पानी की सख्त जरूरत पड़ती है। जब किसान उनके पास दौड़ा हुआ जाता है तो विभाग को रिपोर्ट की जाती है। फिर उस मोटर को किसान बाजार में ठीक कराने भेज देते हैं और रुपया पास से देते हैं। यह उसी प्रकार हुआ कि किसी रेन्जर को फौरेस्टर ने शिकायत की कि जंगल में आग लग गयी है और बरसात बाद जाने पर आदेश दिये जाते हैं कि उसको मजदूर लगाकर बुझा दो। एक-एक महीने में ये मोटर ५–५ और ६–६ बार खराब हो जाते हैं।

ट्यूबवेल की नालियां भी अक्सर टूट जाती हैं। जब विभाग वालों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाता है तो १/१६ का सीमेंट लगाकर खुर्पी से टीम कर देते हैं। नालियां फिर टूट जाती हैं। चकबन्दी हो गई है किसान अपने चक में कुंवा बना सकता है। उस कुंये पर रहट भी लगा सकता है और बाद में जब बिजली लेना होता है तो उन्हें नो औब्जेक्शन सार्टीफिकेट लेना पड़ता है। मेरे जिले की हालत यह है कि जो कुंये के लिये नो आब्जेक्शन दरख्वास्त देता है तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नो औब्जेक्शन सर्टीफिकेट देने के लिये प्रार्थना-पत्र एक-एक साल तक डाले रहते हैं। और किसी प्रार्थना-पत्र को उस समय तक जब तक ४००–५००–६०० रुपये नहीं ले लेते हैं तब तक नौ औब्जेक्शन सार्टीफिकेट नहीं दिया जाता है। वहां का एक हेड मुन्शी था जब तबादला हो गया तो उसने बाजार में जाकर जिन लोगों का रुपया जमा था रुपया लौटा दिया कि तुम्हारा इतना रुपया जमा था यह ले लो। मैं तबादले पर जा रहा हूं इस प्रकार मैं नेकराम शर्मा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता ——

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)——

आपने मुझे जो समय दिया है उसका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सिंचाई विभाग का जो अनुदान हमारे उप मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् मैंने श्री शर्मा जी का भाषण सुना। मैं समझता था कि वे कोई ठोस सुझाव देंगे परन्तु उन्होंने वाक जाल में हमारे सामने उस चतुर जादूगर की तरह से बहुत से कागज उल्टे-पल्टे, और उनसे जादूगर की तरह करिश्में दिखाये पर उनसे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। वास्तव में वे कोई दृष्टिकोण व्यापक नहीं दे सके जिसके द्वारा हम सोच पाते कि हम को किस प्रकार से भविष्य में कार्य करना चाहिये। श्रीमन्, इस विभाग में खामियां भी हैं और कमियां भी हैं। जैसा सिंचाई के सम्बन्ध में बहुत जगह ट्यूबवैल्स लगे हुये हैं। ट्यूबवैल्स कहीं तो १–२ महीने ही चल पाते हैं। दूसरी चीज जो है वह यह है कि आबपाशी गलत लिखी जाती है। इस विभाग को कोई अपील भी नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है।

हमारे क्षेत्र में ग्राफ इकनौरा है। वहां पानी बरसा, खेत भर गये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने तब पानी खुलवा दिया और जो धान के खेत थे उसमें पानी भर गया। वहां के लोगों में मुख्य मन्त्री को अपील की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि वे अपना दृष्टिकोण बदलें और जितना किसान सोचें उतना ही लें ज्यादा न लें। मैं भगीरथ नामक एक कविता पढ़ूंगा क्योंकि माननीय सदस्यों ने कहा कि आज कोई रचना होनी चाहिये। निर्माण काल में रचना हो कवि के मुंह से फूटेगी।

[श्री रामभूति अंचल]

इस विभाग के चीफ इंजीनियर और मिनिस्टर साहब असिस्टेंट इंजीनियरों की सीनियरिटी की लिस्ट बना रहे हैं और कई साल हो गये लेकिन अभी तक बन नहीं पाई। इनका तीन तरह से चयन होता है। एक तो ओवरसियरों को तरक्की देकर, दूसरे डायरेक्ट एपायंटमेंट द्वारा और तीसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के अप्रूवल से। असिस्टेंट इंजीनियरों में से बहुत से एस० ई० और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गये हैं लेकिन यह अभी तक लिस्ट नहीं बना पाये हैं। अगर किसी प्रमोट किये आदमी को नीचे लाना है जैसे किसी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को अगर असिस्टेंट इंजीनियर बनाना है तो जल्दी यह काम होना चाहिये वरना लोग रिट कर देंगे और उनमें शासन का समय और बल दोनों बर्बाद होंगे। मैं उपमन्त्री जी के द्वारा चीफ इंजीनियर साहब से कहूंगा कि वे कोई कारगुजारी दिखाते जिससे सदन उनकी प्रशंसा करता। लेकिन वे अभी तक एक लिस्ट भी न बना सके जिसके न बनने से उनके साथी डिमोरेलाइज हो रहे हैं।

दूसरी चीज यह है कि माता टीला, रिहन्द डैम आदि सबकी माननीय शर्मा जी ने बड़ी भारी आलोचना की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव के पास से शारदा नहर बह रही है। पहले हमारे यहां पश्चिमी हार में ही पानी जाता था लेकिन अब खुदाई होने के बाद पूर्व में भी पानी जाने लगा है। ट्यूबवेल बढ़ाये जा रहे हैं। मैं न बुन्देलखंड का हूं, न पहाड़ का, न पश्चिम का और न पूर्व का बल्कि मध्य वाला हूं। हमको शिकायत जरूर है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, न हमारे कोई मन्त्री सुनता है और न चीफ इंजीनियर ही सुनते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि हमारे यहां ज्यादा संतोष तो नहीं है लेकिन असन्तोष भी नहीं है जैसा कि शर्मा जी ने कहा।

मान्यवर, बाढ़ के सम्बन्ध में जैसा काम सरकार ने किया उसकी यदि मैं सराहना नहीं करूं तो शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। हमारे प्रदेश में भयंकर बाढ़ आती है। मुझे पूर्वी जिलों में जाने का मौका मिला और मेरे यहां भी बाढ़ आती है और मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक ही वृक्ष पर सांप और आदमी निवास कर रहे थे उस समय सरकार के अधिकारियों ने बड़ी सराहना का काम किया और नाव द्वारा चना तथा गुड़ का वितरण कराया। मैं सरकार को बधाई देता हूं और साथ ही यह भी कहता हूं कि इस भौतिक युग में जैसे रूस में इच्छा के अनुसार पानी बरसता है उसी तरह से अपने प्रदेश को आगे लायें। रुपया कितना ही लें। माननीय श्रीपाल सिंह जी आ गये हैं इसलिये मैं अपनी कविता पढ़कर भाषण समाप्त करूंगा।

यह बांध—यह नहर

१

यह बांध, यह नहर
दोनों ही जीवन के कोण
दोनों ही जीवन की तुष्टि
दोनों में शक्ति
कि बुझ जाए
धरती की प्यास
पूरी हो मानव की आश

२

नृप भगीरथ
लाये थे अवनी पर
केवल एक सुरसरि
युगों का भागीरथ
लाया है
बहु संख्यक धारायें
सुरसरि प्रवाह की

करने की
प्राणवान
तृषितों को, मृतकों को
शत-शत बधाई

३

तुम कहते हो—
यह जग का बन्धन
एक अमर्यादा है
और असफलता के
वायु के समान
इसे रोकना असम्भव
आंशिक सत्य यह
क्योंकि
जीवन की गति का
संयत प्रवाह बने
इस लिये
अभीष्ठ है
यति भी बांध और नहर

४

जीवन की गति को
सुख प्रद रखने के लिये
सरल तरीका और
माध्यम है
अल्पवृष्टि के विरुद्ध
शाश्वत-संघर्ष
करने के लिये
इन बांध और
नहरों का
निर्माण
शुभ है
मंगलमय
स्वागत।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विभाग माननीय राममूर्ति जी के हाथ से जाने के साथ-साथ जिस मंत्री के हाथ में आया है, कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि वह सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो-जो खूबियां थीं सारी की सारी सिंचाई विभाग में लेते गये और जो हाल निर्माण विभाग का था उससे बदतर हालत सिंचाई विभाग की होती जा रही है। श्रीमन्, जब मैं उदाहरण पेश करने लगूंगा तो मेरा ख्याल है कि शायद शांतिप्रपन्न शर्मा कहें कि अत्युक्ति है, लेकिन मेरे सामने यह बुलेटिन है, यह अखबार है। आजमगढ़ जिले में "मानव सेवक" अखबार निकलता है। कांग्रेस पार्टी का अखबार है। उसके प्रधान संपादक हैं हमारे जिले के ही नहीं प्रदेश के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री सीताराम अष्ठाना, एम० पी०। पढ़ेंगे तो बड़ी संकोच और लज्जा होगी। सारे प्रदेश में बटता है, लेकिन उस अखबार

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। यह बुलेटिन है, महीनों की निकली हुई है और हजारों की तादाद में निकली है। मैंने चिट्ठी लिखी १३ फरवरी, १९६४ को, शांतिप्रपन्न जी के पास खुद बुलेटिन लेकर गया और मैंने निवेदन किया कि इसकी जांच करवाइये। उन्होंने उत्तर दिया कि अच्छा होता सभा सचिव के यहां चले जाइये, वही डील करते हैं। गिरधारी लाल जी बात क्या कहूं? शांतिप्रपन्न की नेकराम ने बड़ी तारीफ कर दी है। १३ फरवरी की चिट्ठी है और कल मुझे उनके दफ्तर में जानकारी हुई, चीफ इंजीनियर ने कहा कि अभी दफ्तर में पड़ी हुई है। एक महीना हम को चिट्ठी लिखे हो गया, उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। जो बुलेटिन निकला हुआ है आजमगढ़ जिले में नलकूप विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, उनमें कई ११ साल से वहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं। कई बार तबादले के हुक्म हुए और रद्द हुए, जिनके हाथों में लाखों रुपये का इंतजाम है और गबन करते हैं। यह सारे तथ्य इसमें लिखे हुए हैं। आप यदि चाहते हैं लूट बन्द हो, ईमानदारी से जनता का काम हो, पैसा जितना आप लेते हैं लोगों से जेलखाना भेजकर उसका सही इस्तेमाल हो तो फिर एक बार आपको कुछ करना पड़ेगा।

माननीय सिंचाई मंत्री, मैं आपको बताऊं एक बार बलिया जिले में एक इंजीनियर रहे, वह कहा करते थे कि हमारा घर माननीय राममूर्ति जी के दरवाजे पर है। आप हजार शिकायत करें, कुछ होने वाला नहीं है। उनके जमाने में एक दूसरे कंट्रेक्टर ने काम किया, दूसरे को वर्क आर्डर हुआ और रुपया निकाल करके दूसरे कंट्रेक्टर को दे दिया गया जिसने काम नहीं किया था। राममूर्ति जी के पास दरख्वास्त दी, लेकिन जैसे पुलिस विभाग में होता है कि आई० जी० ने एस० पी० को भेजा, एस०पी० ने थानेदार को भेजा और थानेदार ने हेड कांस्टेबिल को दे दिया, हेड कांस्टेबिल की जांच हेड कांस्टेबिल को दे दी गई, वैसे ही सिंचाई विभाग में भी सारी कार्यवाही है। शिकायत उसी के पास जांच के लिये भेजी जाती है जिसकी शिकायत होती है। इसकी जांच के बारे में हमने चीफ इंजीनियर से पूछा तो मालूम हुआ कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से जांच करायेंगे जबकि इसमें सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के खिलाफ भी शिकायत है और उसी से जांच कराने का हुक्म हुआ है। तो यह तो आपके विभाग की हालत है कि काम भी नहीं किया, काम दूसरे ने किया और पैसा दूसरे को दे दिया गया।

माननीय कमलापति जी चले गये, यह बात सही है कि जब यह विभाग उनके पास था तो पश्चिमी जिलों की बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हमारे आजमगढ़, बलिया आदि पूर्वी जिलों में उन्होंने काफी काम किया था। गांवों को ऊंचा कराने का काम किया था, बन्धे इत्यादि बनवाये थे, लेकिन मैं आज दावे से कह सकता हूं कि जो उन्होंने किया, सारे पर मिट्टी फेरी जा रही है, तहस-नहस किया जा रहा है और आज वहां लूट और घूसखोरी का राज है।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप धरती माता की प्यास को बुझायें तो बाहर से यह अरबों रुपये का गल्ला आना बन्द हो जाय। इस प्रदेश और देश में जिम्मेदारी का अगर कोई मुहकमा है तो सिंचाई विभाग है। अगर उसको ठीक से चलाया जाय, खेती में पानी पहुंचाया जाय, नदियों से कटाव को रोका जाय और पानी के लगाव को रोका जाय तो लाखों मन गल्ला हर साल आपके प्रदेश में बढ़ेगा। लेकिन सरकार, श्रीमन्, अपने काम में बिलकुल नाकामयाब रही है।

नदियों के कटाव की बात कहूं श्रीमन्। बस्ती जिले से आप आते हैं। घाघरा के कटाव, गंगा के कटाव से हजारों घर उजड़ रहे हैं। हमारे यहां हर हफ्ते में कोई न कोई मंत्री जाते रहते हैं लेकिन अगर उनसे कहो कि चलिए घाघरा का कटान देखिए तो किसी मंत्री के उसके लिए फुर्सत नहीं है, आजमगढ़, दोहरीघाट और मऊ, बस यहीं अपनी ग्रुपबाजी संभालने में लगे रहते हैं। जनता क्या चाहती है, उससे कुछ मतलब नहीं है। अभी गयी थीं सुचेता जी। श्रीमन्, उन्होंने बयान दे दिया वहां पर कि २८ लाख रुपये की थैली उनको वहां मिली है। वह क्या थैली मिली है, कहां से वह रुपया मिला है, बृजबिहारी जी बैठे हैं, वह बतायेंगे। मास्टरों का

प्राविडेंट फंड निकाल लिया गया, किसी स्कूल को ग्रांट मिली थी वह रुपया ले लिया गया, सारा रुपया इस तरह इकट्ठा करके दिखा दिया गया कि इतनी बचत हुई है। हमारे यहां एक कहावत है कि लेखा जोखा ठाढ़े, लड़िका बूड़िले काहे ? इस तरह का हिसाब है श्रीमन, इस सरकार का ।

माननीय नेकराम जी ने बहुत सा हिसाब-किताब रखा । मैं केवल एक बात कहूंगा । कहा जाता है कि नहरों की शाखायें बहुत बढ़ रही हैं । दोहरी घाट कैनाल आप चलकर देखें, बड़ी शाखायें, उपशाखायें बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन मैं नाम बता दूंगा आपको, कई शाखायें ऐसी हैं कि जिनमें पानी नहीं है, पानी जाता ही नहीं है । सोने की जमीन किसानों की बिना इजाजत के, बिना ऐक्वायर किये हुए, बिना मुआवजा बांटे, हृदयहीन सरकार के इंजीनियरों ने ले ली और नहर बना दी पानी देने के लिये, लेकिन नहर में पानी नहीं, सिंचाई का कोई साधन नहीं, जमीन गयी, मालगुजारी किसान आज भी दे रहा है । ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं और फिर भी यह कहते हैं कि हम पानी बढ़ा रहे हैं । नहर बन रही है, जमीन खुद रही है, लेकिन पानी जो मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है ।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेखपाल की तरह पतरौल इनका एक कर्मचारी है । पतरौल भी लेखपाल ही की तरह इन्दराज करता है । जिस खेत में किसान पानी नहीं लेता उसमें भी वह लिख लेता है । पश्चिमी जिलों में किसान गेहूं के लिये १०, १२ बार पानी लेता है, लेकिन पूर्वी जिलों में अगर उसने एक बार पानी ले लिया तो उसे उतना ही रुपया देना पड़ता है । ऐसा ही जौ और मटर का हाल है, लेकिन रेट एक ही है । गाजीपुर में ईख के खेत को एक बार पानी लेने का २५ रुपया फी एकड़ देना पड़ता है यह क्या है ।

मेरा सुझाव है कि सरकार की नहरों और कुओं को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहिये । उनको उत्पादन में सहायक साधन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिये । जो पिछड़े हैं, गरीब हैं उनको आपको सहायता देनी चाहिए और रेट कम रखना चाहिए । हमारे सिंचाई मंत्री, विद्युत उपमंत्री भी हैं लेकिन हाल यह है कि किसानों से १९ नया पैसा फी यूनिट बिजली का चार्ज लिया जाता है और मिल मालिकों से ५ नया पैसा फी यूनिट । किसान से कम और मिल मालिक से ज्यादा पैसा लीजिये तभी उत्पादन बढ़ेगा । इसके अलावा नदियों के कटाव की बात है । हमारे यहां हाहा नाला बांध बना और उसके कारण हजारों लोगों के घर नदी के पेटे में आ गये । आज लोग चार-चार साल से पेड़ों के नीचे रह रहे हैं और उनके पास रोजी का कोई साधन नहीं है । लेकिन नदी के कटाव को रोकने के लिये कहा जाता है कि लाखों रुपया लगा कर एक नया बांध और बनाया जायगा और उसमें लाखों रुपया नष्ट होने वाला है ।

अभी गाजीपुर के दोस्त कमलासिंह जी बता रहे थे कि चकिया ड्रेन बना, लेकिन उसका कोई निशान ही जमीन पर नहीं है । इसी प्रकार आजमगढ़ की एक योजना है । इसी प्रकार कुंओं की बात है । मेरा सुझाव है कि कुंओं को आप नियोजन से अलग कर के सिंचाई के साथ ही ले लीजिये । इससे सिंचाई का सारा काम एक ही मंत्री के पास हो जायगा और किसान को फायदा होगा । आज प्लांनिंग विभाग में न ओवरसियर हैं और न इंजीनियर । वह सारा काम सिंचाई विभाग ठीक से देख सकता है । इसके अलावा नहरें और ट्यूबवेल के एरिया में भी नियोजन विभाग कुंओं के लिये रुपया दे देता है । तो इस प्रकार का डुप्लीकेशन सिंचाई विभाग में एक साथ होने से नहीं हो सकेगा ।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि सेकेंड फाइव इयर प्लान के अन्तर्गत सिंचाई का एक्रेज ७७.९२ लाख एकड़ हो गया और उसमें से ७३.५४ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई का इस्तेमाल हुआ । यानी जितना पोटेंशियल बढ़ गया था सिंचाई के लिए उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री तमेश्वरप्रसाद]

पूरा पूरा उपयोग नहीं हुआ और थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर और भी एकेज जमीन की सिंचाई का बढ़ जायगा---उसका पूरा उपयोग हो सकेगा या नहीं, यह सोचने की बात है। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि सिंचाई का रेट बहुत ज्यादा है और छोटे-छोटे किसान जिनके पास एक बीघा या दो बीघा जमीन है वह उसमें ऊंचे रेट का पानी लेकर सिंचाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं है। बाज बाज जगह पर किसानों को सिंचाई की बहुत आवश्यकता रहती है, उस समय पानी नहीं मिलता है? तीसरी बात आपरेटर्स भी बाज बाज जगह मनमानी करते हैं। किसी को अगर एक यूनिट पानी दिया और अगर वह उससे खुश है तो उसका आधा यूनिट लिख देगा और अगर नाखुश है तो ४ का ६ लिख देगा। इसका भी प्रबंध होना चाहिये कि पानी ठीक समय पर लोगों को दिया जा सके और जितना कोई पानी पाता है उतने का ही लगान देना पड़े। अच्छा यह होगा कि बस्ती में बांध गंगा कैनाल कई लाख रुपया लेकर बनायी, लेकिन सिंचाई के समय जब पानी की जरूरत होती है तो उसमें पानी नहीं होता इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय वरना व्यर्थ में रुपया लगाना होगा। ट्रांस-राप्ती एरिया जो बस्ती का है उसमें कोई ट्यूबेल अब तक नहीं लगा है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में सौभाग्य से ११० ट्यूबेल्स लगाये जाने वाले हैं और हम आशा करते हैं कि बस्ती जिला जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र में ट्यूबवेल नहीं लगा है उसमें भी लगाने का प्रबंध किया जायगा।

ट्यूबवेल का जिस माध्यम से निर्माण होता है वह सफल नहीं होता। प्राइवेट तरीके से जो ट्यूबवेल लगाये जाते हैं उनमें पानी की कैपेसिटी अच्छी होती है और वह जल्दी खराब नहीं होते, लेकिन सरकार द्वारा जो बनते हैं उनमें थोड़े दिनों से ही खराबी आ जाती है और सब रुपया बेकार जाता है। बभनान यूनियन के मातहत कई ट्यूबवेल बने हुए हैं। वह ठीक से चल नहीं पाते, क्योंकि उस यूनियन के पास रुपया नहीं है, बल्कि काफी कर्जा हो गया है। मंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि बभनान यूनियन के अन्दर जो ट्यूबवेल हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र सरकार अपने नियंत्रण में ले लें ताकि उसका कार्य सुचारु रूप से चल सके। करीब १७ ट्यूबवेल वहां ऐसे हैं जो बभनान केन यूनियन के मातहत बने थे। अगर सरकार चाहती है कि कृषि की पैदावार बढ़े तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि पानी का रेट कम किया जाय और जो दूसरी दिक्कतें सिंचाई में जनता को पड़ती हैं वे दूर की जावें।

इस विभाग में करप्शन भी बहुत है। मैं यह तो नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं मगर अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि उनका चरित्र एबव-बोर्ड नहीं है। उनका रहन-सहन और कार का रखना और दूसरी बहुत सी ऐसी बातें जिनसे जनता को सन्देह होता है कि जो वेतन उन्हें मिलता है उससे वे कैसे ऐसा स्टैंडर्ड रख सकते हैं। इसलिये यह भी आवश्यक है कि जब तक करप्शन दूर नहीं किया जायगा, जब तक राज्य कर्मचारी ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं करेंगे, अपने को जनता का सेवक नहीं समझेंगे, तब तक यह कार्य ठीक ढंग से नहीं चल सकता है। इस विभाग में अच्छे, ईमानदार और कर्मठ लोग भी हैं। उनकी भी सराहना करना जरूरी है। लेकिन जो ठीक से या ईमानदारी से काम नहीं करते हैं ऐसे आदमियों को विभाग से निकाल देना चाहिये। बस्ती जिले में १ साल पहले मैंने एक आपरेटर की शिकायत की थी और ट्यूबवेल के इंजीनियर महोदय ने जांच करके उन्हें अलग भी किया। हमारा भी, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, यह कर्तव्य हो जाता है कि अगर कोई शिकायत है तो उसे अधिकारियों तक पहुंचायें ताकि करप्शन दूर हो सके।

सिंचाई के साधनों के साथ साथ लघु उद्योगों का भी खोला जाना जरूरी है।

गूल यानी नालियां, जो ट्यूबवेलों के साथ हैं, वे बहुत खराब हालत में हैं। इतना पैसा लगा कर ट्यूबवेल बनाया जाता है, तो उसके कमान्ड एरिया में गूलों को ठीक करना चाहिये वरना पानी इधर-उधर बह जाता है। इन गूलों का यानी नालियों का एनुअल रिपेयर होना

चाहिये। मुझे खुशी है कि बजट में इसका प्राविधान किया गया है। मुझे आशा है कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जायगा।

इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमान् जी, इस विभाग का सम्बन्ध प्रदेश की ७५ फीसदी जनता से यानी गरीब किसानों से है, जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी कहा है। जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी सेवा किसानों की होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पाई है। उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं जिन्हें विभाग को दूर करना चाहिये। सब से बड़ी दिक्कत जो मेरे सामने इस वक्त है वह यह है कि बहुत से ट्यूबवेलों का कमान्ड एरिया जो सरकार ने पहले भी निश्चित किया था और आज भी घटा कर मेरा खयाल है कि ७०० एकड़ के करीब रखा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अव्यावहारिक बात है जिसको कि विभाग ने जानबूझ कर रखा है। ट्यूबवेल का इतिहास हमारे सूबे में पुराना है। आज ३०० एकड़ से ज्यादा सिंचाई किसी नलकूप से नहीं हो रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो २५० एकड़ से ज्यादा नहीं हो पाती। इसलिये सरकार को उस पर विचार करना चाहिये और कमान्ड एरिया ४–५ सौ एकड़ के बीच होना चाहिये।

पूर्वी क्षेत्र की बात मैं जानता हूं, वहां पर एक-एक क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है कि फर्स्ट ट्यूबवेल २४ घंटे चलेगा, उसके बाद वह बन्द कर दिया जायेगा। उसके बाद दूसरे सेक्शन का चलेगा, फिर तीसरे सेक्शन का। नतीजा यह होता है कि जो पानी हम दे सकते हैं वह भी आज नहीं दे पा रहे हैं। वह इसलिये कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिजली की कमी है, इसलिये यह होता है कि २४ घंटे नलकूप नहीं चलाये जाते। एक तरफ २ पैसा से कम पर बिजली अल्मूनियम फैक्टरी को दी जाती है, दूसरी तरफ किसानों के लिये बिजली नहीं है, उनसे १९ पैसा यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। बिजली की कमी के कारण कई ट्यूबवेल बन्द पड़े रहते हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात नालियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सरकार की तरफ से कहा गया कि नालियों का हम विस्तार करेंगे। मैं कहता हूं कि नालियों का विस्तार करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक उनका सिंचाई एरिया नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। आप की प्लान बन गयी कि ८०० एकड़ कमान्ड एरिया रहेगी, इसलिये नालियां बनायी जायेंगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा तो यह होगा कि जो नालियां कच्ची हैं उनको आप पक्की करायें। अभी जौनपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, मैं उस क्षेत्र में गया था, वहां पर एक जगह मैंने देखा हथेड़ा ट्यूबवेल को, वहां इंच भर भी नाली नहीं बनी थीं। मैंने चीफ इंजीनियर को लिखा, कुछ नहीं हुआ।

हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वह ऐसी मनमानी करते हैं कि उसका उदाहरण मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं। अगर कहीं ८०० एकड़ का कमांड एरिया है और उसके बीच में कहीं नलकूप की जरूरत है तो उसको काट दिया जाता है। हसनपुर बिरौन ग्राम में जो हमारा क्षेत्र है, वहां पर ट्यूबवेल लगाने के बारे में मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि ११० ट्यूबवेलों को लगाने की जो योजना है उसमें से यहां भी लगेगा। अभी मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि ११० वालों में नहीं, जो आगे ६०० लगने वाले हैं उनमें यह ट्यूबवेल लगेगा। बनारस में एक सेकिन्ड डिवीजन है, हमारा ५वां डिवीजन है। आप दोनों का सर्वे कराइये। सेकिन्ड डिवीजन में ४०० एकड़ कमांड एरिया मिलेगा, ३५० एकड़ का मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि यह क्यों मनमानी एग्जीक्यूटिव-

[श्री ऊवल]

इंजीनियर को हो रही है। जितने ट्यूबवेल आपने लगाये हैं उनको आप देखें उनमें से हजारों ऐसे मिलेंगे जिनका सिंचाई का एरिया ३००-४०० से अधिक न होगा और आपने जो ७००-८०० एकड़ का प्लान बनाया है वह बेकार रहा है। इसके अलावा ट्यूबवेल से जितनी बार पानी लिया जाता है, उतनी ही बार सिंचाई की कीमतें देनी पड़ती हैं। पानी भी महंगा और बिजली भी मंहगी। ट्यूबवेल का पानी बहुत महंगा पड़ता है। किसानों की रीढ़ टूट जाती है। इससे तो नहर का पानी ही अच्छा है कि एक ही सिंचाई देनी होती है। इसलिये आपको ट्यूबवेल से सिंचाई करने वालों को कुछ सुविधा देनी चाहिये।

जैसा कि राम सुन्दर जी ने कहा चकिया इलाके में से गाजीपुर के लिये एक नहर निकाली गयी लेकिन अब दूसरी शाखा आप बना रहे हैं जिसके द्वारा आप बिहार को पानी देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इस नई शाखा को बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी। खुद तो आप पानी के लिये भीख मांगते हैं और कहीं बिहार को और कहीं मध्य प्रदेश को आप दान करते फिरते हैं। शारदा सागर बांध के बारे में मैं निवेदन कर दूं। हमारे क्षेत्र में केराकत माइनर के नाम से जौनपुर की सरहद पर है। वहां पर उसके बीच में ऐसी बहुत सी जमीन है जिसमें नहर से सिंचाई नहीं हो पाती है। जब हमने वहां पर ट्यूबवेल लगाने के लिये कहा तो टाल दिया गया और कहा गया कि यह तो नहर का इलाका घोषित हो चुका है, यहां ट्यूबवेल नहीं लगेगा। और नहर में पानी है नहीं। इसी प्रकार फूलपुर माइनर और फतेहपुर माइनर का सर्वे किया गया लेकिन उसकी खुदाई नहीं हुई। जब कहा गया तो बतलाया कि गोमती बांध बनाने वाले थे उसका सर्वे किया गया था। लेकिन वह तो बहुत दूर है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नहर के दक्षिण की तरफ पानी की बहुत जरूरत है। सिंचाई विभाग आप को बहुत गलत रिपोर्ट देता है। जरा हमारी बात पर भी विश्वास कीजिये। इसकी खुदाई जल्द की जाय। किसानों को ३ आना हरवा की जो छूट दी गयी है उसको दीजिये। सिर्फ लाल साहब से काम चलने वाला नहीं है। जैसे राममूर्ति जी कह देते थे कि मैं तो टेक्नीकल आदमी नहीं हूं, उसी प्रकार लाल साहब भी कह सकते हैं। लेकिन वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भी करता हूं, आप भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन आप इनके आंकड़ों और कागजों का विश्वास न कीजिये, नहीं तो किसान लुट जायेंगे, मिट जायेंगे।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्षजी महोदय, सिंचाई विभाग पर जो विवाद हो रहा है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। माननीय मंत्री राम जी के भाषण को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कर्मठ व्यक्ति हैं, मैं आशा करता था कि वे कुछ सुझाव देंगे जिससे विभाग को कुछ मेरणा मिलेगी लेकिन उनको विभाग के सारे काम ही खराब दिखायी दिये, उन्हें एक काम भी अच्छा न लग सका। हो सकता है प्लानिंग में अथवा किसी योजना में खराबी रही हो, लेकिन मैं यह कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि विभाग में कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो सब खराब ही हुआ है। इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। सिंचाई विभाग ने असम्भव को सम्भव कर दिया है। यद्यपि मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है, शीघ्र ही आप कहेंगे कि समय समाप्त हो गया तथापि मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहता हूं और आशा है कि आप मुझे समय देने के लिये तैयार होंगे।

मैं पूर्वी अंचल के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। आप भी बस्ती जिले के रहने वाले हैं। इन जिलों की हालत आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। सन् ४६ की बात मैं आपको बतलाऊं उस समय बड़े इंजीनियरों ने मेरे अपने जिले में नहर तथा ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में बात की थी। उन्होंने कहा कि "उस जिले में ट्यूबवेल इसलिये नहीं लग सकता कि अगर ट्यूबवेल बन जायें तो सारे कुओं का पानी ही गायब हो जायगा। सारे कुएं सूख जायें। और नहरें इसलिये नहीं बन सकतीं कि आपके यहां मलेरिया बहुत है और नहरें बनने के बाद

'वाटर लेबिल' ऊंचा हो जायगा, उसका नतीजा यह होगा कि मलेरिया और फैलेगा और मृत्यु संख्या और अधिक हो जायगी।" लेकिन हुआ क्या ? जब से स्वराज्य हुआ और सन् ५१ से जब हमने अपना नियोजन किया तो भगवान की कृपा से हमारे जिले में नहरें भी बनीं और ट्यूबवेल भी लगे और भगवान की कृपा से सारे कुओं में पानी पूर्ववत् है और नहरें बनने के बाद भी मलेरिया वहां से बिल्कुल समाप्त हो गया। फिर माननीय सदस्यों का यह कहना कि कोई काम ही नहीं हुआ, बिलकुल गलत है। जितने भी माननीय सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन है कि स्वस्थ आलोचना करना हमारा कर्त्तव्य है और हमें चाहिये कि माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी दें।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का अगर 'डिटेल' में मैं विवरण प्रस्तुत करना चाहूं तो उसमें बहुत समय लगेगा। वैसे जो हमारा लक्ष्य है उसमें कितना काम हमें करना चाहिये था और कितना काम हमने किया, इस पर विचार करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी हमने बहुत काम किया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उससे दुगुना काम किया गया और तृतीय पंचवर्षीय योजना के इन दो तीन वर्षों में भी हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और बहुत काफी काम करने में हम समर्थ हुए हैं। साथ ही बहुत कुछ काम करने का हमने प्रयास भी किया है और उन्हें सफलता पूर्वक सम्पन्न किया है। हां, जैसा कि कहा जाता है हर विभाग के काम में कुछ खराबी हो सकती है, इसको भी हम जानते हैं, और माननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार करते हैं। इस विभाग के जो इंजीनियर हैं वे भी इसको स्वीकार करते हैं, इससे इन्कार नहीं कर सकते कि विभाग में खराबी है, कहीं-कहीं भ्रष्टाचार भी है, लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि क्या इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी हम लोगों पर नहीं है ? जितने माननीय सदस्य चुन कर आये हैं, वे सभी उसके लिये जिम्मेदार हैं, और कोई भी इससे बरी नहीं हो सकता। इससे अपने को हम दूर नहीं रख सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम गांव-गांव में घूम-घूम कर जहां नहरें तथा ट्यूबवेल हों और जहां-जहां आपरेटर्स काम करते हों, उनको समझाने का प्रयास करें कि इस विभाग के अन्दर जो खराबी आ गयी है वे उसे निकालें। मैं भी जानता हूं कि जहां नहरें बनती हैं व ट्यूबवेल बनते हैं वहां सीमेंट वगैरह की लोग चोर बाजारी कर डालते हैं, लेकिन क्या हमें इसे रोकने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिये ? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम लोगों को बतलावें व समझावें कि यह काम बुरा है ? साथ ही गांव वालों को भी समझावें कि आप लोग इस तरह से सीमेंट ब्लेक में क्यों लेते हैं।

मैं आप को बतलाऊं कि जब माननीय श्री राममूर्ति जी सिंचाई मंत्री थे तो मुझे कहा गया कि हजारों बोरी सीमेंट हाहा नाले पर ब्लेक में बिकी है। श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने मांग की थी कि इसकी जांच की जाय। उस समय श्री रामसुमेर सिंह सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर थे और उनके साथ हम लोग गांव-गांव में घूमे, लेकिन एक आदमी भी कहने को तैयार नहीं था कि यहां पर ब्लैक में सीमेंट उसने या किसी दूसरे आदमी ने खरीदा है। फिर क्या करें अधिकारी लोग ? केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार चिल्लाने से तो इस समस्या का हल होगा नहीं। हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार न रहे। हो सकता है कि हमारे कुछ इंजीनियर व कर्मचारी भी खराब हों, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसमें अधिकतर यानी ९५ फीसदी ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और जिनका काम बहुत अच्छा है। कठिनाई यह है कि केवल अधिकारी ही भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते। भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब हम लोग भी इस सम्बन्ध में उनकी पूरी-पूरी सहायता करेंगे। बिना हम सब की सहायता के उनके लिये यह काम असम्भव सा ही रहेगा।

श्रीमन्, आप के द्वारा मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि हम देखें कि अगर कुछ खराब कार्य हो रहा हो तो इस खराबी की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करें ताकि वह दूर हो सके।

[श्री बृजबिहारी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जिले में नहरें भी हैं, ट्यूबवेल भी हैं। नहरों में भी समय से पानी नहीं मिलता। पूर्वी जिलों को केवल ११० ट्यूबवेल दिए जा रहे हैं। इनसे काम नहीं चलने वाला है।

श्री शान्तिप्रसन्न शर्मा---

५०० ट्यूबवेल दिए जा रहे हैं।

श्री बृजबिहारी---

मुझे प्रसन्नता है उपमंत्री जी ने अभी-अभी कहा है कि ५०० ट्यूबवेल और दिए जा रहे हैं। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक ट्यूबवेल उन जिलों को दिए जायें। और जहां भी संभव हो सिंचाई साधनों को प्रस्तुत कर दिया जाये, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर पानी का इन्तजाम हो गया तो हम आश्वासन दे सकते हैं कि हमारी खेती की सब समस्यायें हल हो जावेंगी और उत्पादन अवश्य बढ़ जावेगा। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्षता--

अब हम कल प्रातः १०-३० बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ मार्च, १९६४।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३७ पर)

श्रीमान् दरोगा जी, थाना गोला, गोरखपुर, हमारे गांव के पश्चिम मौजा सहसराव हमारे हो खेत गोजई में पानी चल रहा था। लगभग चार बजे दिन में हम और हमारे भाई रामनयन मिश्रा खेत में पानी चलवा रहे थे वहीं से दो बीघा उत्तर पूरब कोने पर हमारा धान का खेत जो मौजा मखटिया उर्फ मिश्रौलिया में है जो सहराब के बागसे सटा हुआ पूरब तरफ है उसी खेत को देखने के लिए हमारे भाई रामनयन मिश्रा गये। कहे कि पानी चलवाओ तब तक मैं खेत देख कर आता हूं चने के खेत में गंगा मिश्र की भैंस चने की फसल चर कर नुकसान कर रही थी जिस पर उस भैंस को हांकते हुए मुझे बुलाये आवो भैंस फसल चर रही है मवेशीखाना ले चला जाय। उनकी आवाज को सुनकर मैं भी चने की खेत की तरफ चल पड़ा। तब तक बढ़े जोरों से गंगा के दरवाजे की ओर से हल्ला करते हुए गंगा मिश्र, जगरनाथ मिश्र, पुरषोत्तम मिश्र, परशुराम मिश्र, दुर्गा मिश्र हरकृष्ण उर्फ बतुआ मिश्र ग्राम भरखठिया उर्फ मिश्रौलिया रामनगर ग्राम प्रतापीपुर रामनैन अहीर ग्राम रतनपुरा हाथ में भाला लिए हुए भैंस छीनने के लिए दौड़ते हुए बाग में पहुंच गये। मैं भी बाग के करीब पहुंच गया था। रामनरायन भैंस हांक कर सहसराव वाली बाग में पश्चिम कोने तक गये थे कि मुल्जिमान ने घेर लिया और गंगा मिश्र व दुर्गा मिश्र ने ललकारा कि क्या देखते हो मारकर भैंस छीन ली। इतनी आवाज सुन कर पुरषोत्तम ने पहले पेट में रामनयन के भाला मार दिया। इसके बाद सभी मुल्जिमान मारते रहे। भाला से। मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर आरजू मिन्नत कर रहा था कि मत मारो छोड़ दो परन्तु एक नहीं सुने और कह रहे थे कि तुम भी साले नजदीक आवो तो बता देते हैं। भाला की चोट खाकर मेरा भाई एक अमोला के पास गिर पड़ा गिरने पर भी सभी मुल्जिमान ने भाले से मारा। मेरी व मेरे भाई के चिल्लाने पर सामरथी पुत्र सुखई चमार बैरागी हरिजन जो वहीं बाग के पास घास कर रहे थे तथा विन्द्रावन मिश्र, केशव मिश्र, कोमल हरिजन जो मेरे खेत में पानी भरा रहा था दौड़ कर पहुंच गये थे और सारी घटना को देखे। इनके अलावा भृगुनाथ दास वाराकिन (अस्पष्ट) रामदरश तीरागांव भी मौके पर पहुचे थे। जो मुल्जिमान की भाला से रामनारायन को मारते देखा व पहचाना है। हम लोग भाले के डर से नजदीक न जा सके। आदमियों के पहुंचने पर मुल्जिमान मेरे भाई को मरा समझ कर मारना छोड़ कर चले गये, हम लोग रामनरायन को उठा कर थाना ला रहे थे कि मेरे दरवाजे पर आते-आते मर गये। मुल्जिमान से पहले से बलवा व १०७ का मुकदमा चल रहा है जिससे काफी रंजिश रखते थे। इसी रंजिश से मुल्जिमान मारने की फिक्र में पड़े थे कि मौका पाकर आज तैयारी करके एक राय होकर भाला से मार कर जान ले लिए हैं। मेरे भाई की लाश दरवाजे पर है रिपोर्ट लिख कर शीघ्र कार्रवाई की जाय। प्रार्थी रामनरायन मिश्र वल्द रामलाल मिश्र ग्राम भरवटिया उर्फ मिश्रौलिया, थाना गोला, जिला गोरखपुर, दि० २६-१२-६२।

लेखक

रामानन्द यादव,

एच० सी०

२६-१२-६३

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

तालिका

				प्रस्तावित स्थान	जिला
१	..	..	..	मझोला	पीलीभीत
२	..	..	..	हरदागंज	अलीगढ़
३	..	..	..	कायमगंज	फर्रुखाबाद
४	..	..	..	रसड़ा	बलिया
५	..	..	..	ओराई	वाराणसी
६	..	..	..	बड़ौत	मेरठ
७	..	..	..	बादरी	बुलन्दशहर
८	..	..	..	ननौता	सहारनपुर
९	..	..	..	इन्दारा	आजमगढ़
१०	..	..	..	खुरन्ड	बांदा

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४८ पर)

दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की दरख्वास्त में निम्नलिखित स्त्रियों के विरुद्ध शिकायत थी।

१—मुन्नी बाई साकिन मछरहट्टा,

२—सुधरी

दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ की दरख्वास्त में निम्नलिखित स्त्रियों के विरुद्ध शिकायत थी।

१	..	..	..	मुन्नीबाई	साकिन मछरहट्टा
२	..	..	..	सुधरी	,,
३	..	..	..	केशरी	महाजनटोला
४	..	..	..	शान्ती	,,
५	..	..	..	शिवकुमारी	मछरहट्टा
६	..	..	..	सस्ती	काजीटोला
७	..	..	..	बसन्ती	महाजनटोला
८	..	..	..	तपेशरी	सट्टी मस्जिद
९	..	..	..	गीता	,,
१०	..	..	..	बसन्ती	मछरहट्टा
११	..	..	..	सावित्री	,,
१२	..	..	..	मोती	सट्टी मस्जिद
१३	..	..	..	अख्तरी	,,
१४	..	..	..	नूरजहां	मछरहट्टा
१५	..	..	..	कमरून्निसा	,,
१६	..	..	..	नसीम	,,

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

तालिका

गन्ने का मूल्य जो ३१-१२-६३ तक चीनी मिलों के जिम्मे बकाया था

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	चीनी मिलों के नाम	बकाया धनराशि
१	सिम्भौली	१३.०३
२	मोदी नगर	६.८०
३	जसवन्त	८.७५
४	मोहीदीनपुर	६.२८
५	दौराला	५.८४
६	मवाना	९.६५
७	सकोटीठांडा	१०.२३
८	बागपत	७.६१
९	बुलन्दशहर	८.६१
१०	खतौली	१२.१२
११	मनसरपुर	१४.३९
१२	रोहानाकलां	८.०
१३	शामली	८.८२
१४	दोईवाला	३.१५
१५	सहारनपुर	२.८६
१६	देवबन्द	२.३९
१७	इकबालपुर	११.२६
१८	लकसर	५.६९
१९	सरसावां	१०.३५
२०	हरगांव	४.२६
२१	महोली	३.५२
२२	बिसवां	१.२४
२३	गोला	८.६४
२४	ऐरा	२.८०
२५	हरदोई	१.७७
२६	बरेली	११.५७
२७	बहेड़ी	६.७३
२८	बिजनौर	३.६२
२९	धामपुर	५.८८
३०	सिवहरा	४.९१
३१	रामपुर	१४.१६
३२	रोजा	५.१५
३३	पीलीभीत	४.६४
३४	अमरोहा	१२.४१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	चीनी मिलों के नाम	बकाया धनराशि
३५	बिलारी	४.५६
३६	नियोली	१३.२३
३७	काशीपुर	९.९७
३८	बाजपुर	७.५३
३९	मसूधा	३.५८
४०	बलरामपुर	४.९५
४१	तुलसीपुर	८.२३
४२	बभनान	३.०७
४३	नवाबगंज	६.७७
४४	बाराबंकी	१३.६१
४५	बुढ़वल	३.१
४६	जरवलरोड	७.४०
४७	शाहगंज	३.४९
४८	खलीलाबाद	३.७९
४९	मुदरवा	३.७९
५०	बस्ती	५.३७
५१	वाल्टरगंज	७.३०
५२	पीपराइच	६.८०
५३	घुघली	५.६४
५४	सिसवाबाजार	१.११
५५	आनन्दनगर	४.६९
५६	सरदारनगर	७.५२
५७	गौरीबाजार	०.०७
५८	बैतालपुर	२.८६
५९	देवरिया	२.३६
६०	भटनी	११.४७
६१	प्रतापपुर	३.३३
६२	छितौनी	८.२८
६३	खंडा	५.०३
६४	लक्ष्मीगंज	९.४३
६५	कैपटेनगंज	१०.७९
६६	रामकलां (पी)	११.३९
६७	रामकलां (के)	१४.४०
६८	पडरौना	३.८३
६९	कठकुइयां	१.४७
७०	सिवराही	६.६६
	योग ..	४३७.५७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति (ख) विभाग
संख्या ०२८८२/२-बी-१३४/५२
लखनऊ, दिनांक २६ नवम्बर, १९५२

विज्ञप्ति-विविध

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर, तथा विज्ञप्ति संख्या ६९६९/२-४२-४२, दिनांक ७, दिसम्बर, १९४४ ई० में प्रचारित आदेशों का आंशिक परिष्करण करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के मामलों के सम्बन्ध में किसी नान-गजटेड नौकरी में या पद पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिये आयु सम्बन्धी निम्नांकित सामान्य नियम बनाया है :—

"उत्तर प्रदेश के मामलों के सम्बन्ध में किसी नान-गजटेड पद या किसी सिविल सर्विस के किसी पद पर भर्ती किये जाने की आयु सम्बन्धित किसी नियम में किसी बात के होते हुये भी, अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार की दशा में अधिकतम आयु-सीमा ऐसे उम्मीदवार की तुलना में, जो अनुसूचित जाति का न हो, ५ वर्ष अधिक होगी।"

भोला नाथ झा,
चीफ सेक्रेटरी।

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति (ख) विभाग
संख्या २४४४/२--बी-१३४-५२
लखनऊ, दिनांक १२ अगस्त, १९५५

विज्ञप्ति
विविध

विज्ञप्ति संख्या ६९६९/२-४२-१९४२ दिनांक ७ दिसम्बर, १९४४ ई० में जारी की गई आज्ञा को अवक्रांत करके, और भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी गजटेड सेवा या पद पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिये आयु सम्बन्धी निम्नलिखित सामान्य नियम बनाते हैं।

"उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध किसी असैनिक सेवा के किसी गजटेड पद या पदों पर भर्ती के लिये आयु सम्बन्धी किसी नियम में किसी बात के होते हुये भी, अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार की दशा में अधिकतम आयु सीमा, उन उम्मीदवारों के लिये जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से ५ वर्ष अधिक होगी।

आदित्य नाथ झा,
मुख्य सचिव

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५६ पर)

तालिका

	कत्ल			डाका			बलवा		
	६१	६२	६३	६१	६२	६३	६१	६२	६३
	६२	६३	६४	६२	६३	६४	६२	६३	६४
	जनवरी तक			जनवरी तक			जनवरी तक		
मड़ियाहूं	१	२	३	४	..	१	५	५	३
रामपुर	१	१	३	१	..	१		१	३
मछलीशहर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जलालपुर	..	..	..	१	..	..	४	२	..
मीरगंज	३	२	२	..	..	..	३	६	४
योग ..	५	५	८	६	..	२	१२	१४	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

अपराध	१९६१	१९६२	१९६३
चोरी	७७३	९७४	१०६९
नकबजनी	६३९	७९३	८५१
डकैती	६०	६५	९९
कत्ल	६३	७९	६५
राहजनी	२३	२८	४०
बलवा	१०६	१०८	१४५

विधान सभा सचिवालय